खण्ड-289, अंक-5
शुक्रवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1893
(16 जुलाई, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	..	५२६–५३३
"नेशनल हेराल्ड" द्वारा नेता विरोधी दल के भाषण को न छापने पर आपत्ति			..	५३३–५३४
प्रश्नोत्तर	..	..	..	५३४–५७१
नगरपालिका कर्मचारियों के अनशन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न			..	५७२
प्रश्नों के गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न			..	५७२–५७३
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	..		..	५७३
'नेशनल हेराल्ड' द्वारा नेता विरोधी दल का भाषण न छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गई)	..	..	..	५७३–५७४
१९७१–७२ के आय व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी) ..			..	५७५–६२१
अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना	..	..	..	६२१–६२२
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	..	..	..	६२३–६२५
गोंडा जिले के गांव नवडिहवा में हरिजन परिवारों को लूटने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	..	..	..	६२५–६३०
सत्यिया	..	..	..	६३१–६४४

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १६ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८३

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली ,श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैय्याजी)
उमादत्त, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री

ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थासिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णाकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केसरराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल सरदार, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुरराम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द्र, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बरबनसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवतदयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कमिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर सिंह, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री

राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डे, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लखन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामसिंह अन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुल हफीज खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
बिशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री
शेर अली खां, श्री

शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथसिंह, श्री
श्याम किशोर , डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीरामसिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

नेशनल हेराल्ड द्वारा नेता विरोधी दल के भाषण को न छापने पर आपत्ति

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सम्मुख सर्वप्रथम रखना चाहता हूं जिसका इस प्रोसीडिंग्स से गहरा सम्बन्ध है और जो बहुत आवश्यक है। कल हमारे लीडर आफ अपोजीशन की तीन साढ़े तीन घंटे की स्पीच हुई थी जिसमें स्टेट पालिसीज पर सारा डिस्क्शन हुआ। यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि नेशनल हेराल्ड अखबार ने लीडर आफ अपोजीशन की स्पीच को टच तक नहीं किया। डेमोक्रेसी में एसेम्बली और पार्लियामेंट में लीडर आफ अपोजीशन का एक निश्चित स्थान और फंकशन होता है। जो प्रेस के रिप्रेजेन्टेटिव हैं वे जहां गवर्नमेंट, और मिनिस्टरों की पब्लिसिटी करते हैं वहां पर वे जो अपोजीशन की पालिसीज हैं उनका भी पब्लिकेशन करते हैं अन्यथा डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती है। अगर वे ऐसा नहीं करते और केवल मिनिस्टरों तक ही और सरकार तक ही महदूद रहते हैं तब यह डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है।

श्री अध्यक्ष--

इस समय क्वेश्चन आवर है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, यदि इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेटिव रहेंगे जो लीडर आफ आपोजीशन की एक लाइन भी न छापें तो क्या यह डेमोक्रेसी होगी । क्या आप लीडर आफ अपोजीशन का कोई महत्व ही नहीं समझते हैं । अगर वह ब्लैक आउट कर दिया जाय तो यह कैसे चल सकता है । आप इसकी कोई व्यवस्था कीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप लीडर आफ अपोजीशन की जगह पर बैठे हैं । इसकी जो शान है, गरिमा है उसको मेन्टेन करें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

इस प्रकार का प्रश्न असेम्बली के शुरू में ही हम कर सकते हैं । मिनिस्टरों की स्पीचेज अखबारों में छपवा दी जायं, गवर्नमेंट की बातें आयें लेकिन अपोजीशन को इतना नेग्लेट किया जाय यह कहां तक उचित है । नेशनल हेराल्ड जो राजधानी का एक प्रमुख पत्र है उसने लीडर आफ अपोजीशन को टच तक नहीं किया है इसकी आप कोई व्यवस्था कीजिये । हम लोगों को इससे बहुत दुख है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

जो यहां पर नेशनल हेराल्ड के नुमाइन्दे बैठते हैं वे बेचारे मजबूर हैं । ८० प्रतिशत शेयर तो इस पत्र के हमारी प्रधान मंत्री के हैं । वे उसको कैसे छाप सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसको लिख कर भिजवा दें ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १६ जुलाई, १९७१

[१५-७-७१ के स्थगित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न]

जिला अधिकारियों को ६-१/४ एकड़ तक लगान मांफी आदेश

**१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार ने कोई आदेश या सूचना जिला अधिकारियों को इस विषय में भेजी है कि रबी १३७८ फसली में ६ १/४ एकड़ तक का लगान माफ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

जी हां । ६ १/४ एकड़ तक भूमि रखने वालों की मालगुजारी रबी १३७८ फसली से माफ करने के सम्बन्ध में अधिनियम संख्या ३५, १९७०, २९ दिसम्बर, १९७० के असाधारण गजट में प्रकाशित हो चुका है तथा सभी जिलाधिकारियों को ऐसे खातेदारों से रबी १३७८ फसली की मालगुजारी न वसूल करने के आदेश राजस्व परिषद् द्वारा ३१ मार्च, १९७१ को भेजे जा चुके हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस सदन में १५ दिसम्बर को सवा ६ एकड़ की माफी का बिल पास कर दिया और २९ दिसम्बर को गजट हो गया लेकिन आदेश ३१-३-७१ तीन महीने बाद हुये और अमीन लोग लगान वसूल करते रहे। तो, विलम्ब का क्या कारण था ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

मैं रियासत हुसेन साहब से माफी चाहूंगा क्योंकि ३१ मार्च के आदेश, राजस्व परिषद् की ओर से गये थे, वैसे सरकार की ओर से १०-२-७१ को ही राजस्व परिषद्, कमिश्नर्स और जिलाधीशों को यह सूचना भेज दी गई थी।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि इस आदेश जाने के बाद कि समूचे खातों की वसूली न की जाय लेकिन फिर भी अप्रैल के अन्त तक अमीन वसूली करते रहे, तो क्या सरकार इसकी कलक्टर या तहसीलदार से जांच करायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसकी जांच ही नहीं करायेंगे बल्कि जांच हम कर रहे हैं और जिन्होंने १०-२-७१ के बाद वसूली की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी और कुछ के खिलाफ की जा रही है।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, जिन अमीनों ने लगान वसूल कर जमा किया और जिलाधीश ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही करायेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

यदि यह मालूम हुआ कि यह जिलाधीशों ने जानबूझ कर किया है तो उसकी भी जांच करायेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

१५ दिन पहले तक वसूली क्या नायब तहसीलदार और तहसीलदार लगान माफी के बाद भी नहीं करा रहे थे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इन सब बातों की हम जांच करा रहे हैं।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लगान किसानों से वसूल किया गया है उसकी वापसी के भी आदेश करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

श्रीमन्, जिन लोगों से वसूलयाबी नहीं होनी चाहिये थी और उनसे वसूल किया गया और यदि उनके पास दूसरे ड्यूज देय नहीं हैं तो उनको वापस करने के सिवाय हमारे लिये और दूसरा चारा नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस बात का आवश्वासन देंगे कि ऐसे किसानों से अमीनों ने वसूल कर लिया है और उन पर कोई और मुतालबा बाकी नहीं है तो उनका पैसा जिस तरह अमीन वसूल करता है उसी तरह गांव-गांव जाकर उनके द्वारा वापस करवायेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, हम अमीनों के द्वारा वापस कराने से ज्यादा कोई अच्छा उपाय करेंगे।

श्री यादुवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, आपने कहा कि जांच करा रहे हैं और किसानों के पास ड्यूज नहीं होंगे तो उनका रुपया वापस करायेंगे ? क्या आप जांच की रिपोर्ट और किन-किन किसानों को कितना रुपया वापस कराया गया इसकी रिपोर्ट से इसी सत्र के अन्दर सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जैसे ही आंकड़े एकत्र हो जायंगे हम सदन को अवगत करा देंगे।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सवा छः एकड़ से कम के किसानों से वसूली में कुछ काश्तकारों को जेल भी भेजा गया ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मुझे इसकी सूचना नहीं है। लेकिन यदि १०-२-१९७१ के बाद सवा छः एकड़ के किसान से वसूल किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वसूलयाबी किसानों से हो गयी उसकी वापसी के स्पष्ट आदेश जिलाधिकारियों को भेज दिये गये हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अभी तक नहीं दिये गये हैं।

श्री मोहम्मद असगर अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि राजस्व मंडल से आदेश देरी से जारी हुये और उस देरी के क्या कारण थे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

कोई विशेष देरी नहीं हुई। दिसम्बर में हुआ था और १०-२-१९७१ को आदेश जा चुके थे।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्तों और कलक्टरों को फरवरी के महीने में आदेश दे दिये गये थे तो उन्होंने इन आदेशों को अमीनों को भी भेज दिया था या नहीं ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

हमारे पास यह सूचना नहीं है कि हरेक अमीन को हरेक कलक्टर ने आदेश भेज दिये थे या नहीं। लेकिन यह सूचना है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां १०-२-७१ के बाद भी वसूली हुई है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है जिस अवधि के अन्दर लगान माफ हो जाना चाहिये था उस अवधि के अन्दर किसान से सारे मुतालबा अदा करा लिये गये हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

सरकार को इस बात का ज्ञान है, यह आदेश ३१ मार्च के पहले दे दिये गये थे।

(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)--

जो अमीनों द्वारा लगान वसूली की जाती है उसकी खतौनी तहसीलदार बना कर देता है। क्या सरकार को यह जानकारी है ? यदि हां, तो तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

ऐसे केसेज में जहां वसूली १०-२-७१ के बाद हुई है वह चाहे अमीन द्वारा हुई हो या तहसीलदार द्वारा खतौनी बना कर देने से हुई है, वह गलत है, ऐसे केसेज में उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

जो गलत वसूली हुई है उसकी वापसी के लिये मंत्री जी क्या कोई ऐसा ढंग अपनायेंगे जिससे कि किसान को अपना रुपया वापस लेने के लिये तहसील में न आना पड़े, बल्कि वह पैसे उसे घर बैठे ही वापस मिल जाय ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने अभी निवेदन किया था कि अमीन द्वारा बटवाने से ज्यादा अच्छा तरीका कोई अपनाया जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा सवाल तो निश्चित है, उसका उत्तर श्रीमन् दिलवा दें।

श्री उदित नारायण शर्मा--

इसके ऊपर हम विचार करेंगे कि कौन सा तरीका इसके लिये अपनाया जाय।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के आदेश तथा विभिन्न जिलों के लिये आबंटित धनराशि

**२--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, १९७१ से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को समय-समय पर क्या आदेश भेजे और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या आदेश जिला अधिकारियों को भेजे और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई और किस आधार पर धन का वितरण किया जा रहा है ? क्या सरकार इन सब आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खेगी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के संबंध में जनवरी, १९७१ से अब तक जो आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं उनमें मुख्यतः दो स्कीमें शामिल हैं। (१) ग्रामीण निर्माण कार्य योजना जो प्रदेश के ६ जिलों सूखाग्रस्त जिलों में चलाई जाने के लिये भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है। प्रदेश के मिर्जापुर जिले में इस स्कीम के अन्तर्गत १९७०–७१ में ही काम शुरू हो गया था और अन्य पांच जिले, इलाहाबाद, वाराणसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा में इस वर्ष लागू हो रही है। इन स्कीमों के अन्तर्गत वे स्कीमें ली जा रही हैं जिनमें रोजगार देने की योजना है। इस प्रोग्राम में सड़कें, नहरें, बांध, बन्धी के साथ साथ जंगल लगाने और उसकी संरक्षता के कार्यों पर भी जोर दिया जा रहा है। मिर्जापुर, वाराणसी तथा इलाहाबाद में स्कीमों का कार्य शुरू हो गया है तथा बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों में भारत सरकार की स्वीकृति आने पर कार्य प्रारम्भ किया जायगा। अभी २१–२३ जून, १९७१ को केन्द्रीय टीम ने इन ६ जिलों में ११.५४ करोड़ रु० की स्कीमों के लिये धन आवंटन करने का विचार प्रकट किया है। यह धन तीन वर्ष में व्यय होगा। इसका अन्तरिम विवरण जिलेवार इस प्रकार है:—

		रु०
मिर्जापुर	.. .. ..	२.३५ करोड़
वाराणसी	.. .. ..	२.१८ ,,
इलाहाबाद	.. .. ..	१.६२ ,,
बांदा	.. .. ..	२.०० ,,
हमीरपुर	.. .. ..	१.५७ ,,
जालौन	.. .. ..	१.८३ ,,

जो प्रगति स्वीकृत स्कीमों पर अभी तक हुई है वह परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(२) दूसरी स्कीम जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त हुई है वह प्रदेश के सभी ५४ जिलों में कार्यान्वित की जायेगी। प्रत्येक जिले के लिये १२.५० लाख रु० प्रतिवर्ष ३ सालों तक खर्च किया जायेगा और प्रत्येक जिले में १ हजार व्यक्तियों को वर्ष में १० महीने रोजगार दिया जायगा। मजदूरों के वेतन का अनुमान १०० रु० प्रति माह है और ऐसे व्यक्तियों को काम दिया जायेगा जिनके यहां रोजगार का कोई साधन नहीं है। यद्यपि इस स्कीम में १००० व्यक्तियों को रोजगार देने का ध्येय मुख्य है। इसके साथ-साथ इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि योजनायें ऐसी हों जो काफी समय के लिये अपनी स्थिरता बनायें रखें और जिले की आर्थिक प्रगति में समुचित योगदान दे सकें। सड़कों के अभाव को देखते हुये अधिक धन सड़कों पर ही व्यय करने का विचार है। वैसे सड़कों के अलावा गूल, पानी के निकास की नालियों, तालाबों को गहरा करना, बन्धियां, भूमि-संरक्षण इत्यादि की योजनायें भी शामिल हैं। स्कीमें भारत सरकार के परामर्श से बनाई जा रही हैं।

२—पहले यह विचार था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में जिन सड़कों को बनाने का लक्ष्य है उन सड़कों पर इस त्वरित योजना के अन्तर्गत मिट्टी डलवाने का कार्य करा लिया जाये क्योंकि इस कार्य में मजदूर अधिक लगते हैं और सामग्री पर व्यय कम होता है। उसके पश्चात् योजना के उपलब्ध धन के सहारे से इन सड़कों को पक्की करा लिया जाय। मिट्टी के कार्य को त्वरित योजना में कराने से जो धन योजना का अवशेष रह जाता है उसे अन्य नयी सड़कों पर लगाने का विचार शासन का था, परन्तु भारत सरकार ने इस राय पर अपनी सहमति देने में कठिनाई प्रकट की और यह चाहा है कि त्वरित योजना के अन्तर्गत जो भी सड़कें बनाई जायें वह चौथी पंचवर्षीय योजना की सड़कों से बिलकुल भिन्न हों। इस विचार के अनुसार सभी जिलों से पुनः योजनायें बनवाई जा रही हैं।

एक कठिनाई जो सामने आ रही है वह यह है कि भारत सरकार पक्की सड़कों के बनाने पर जोर दे रही है अर्थात् विटुमिनकोट की सड़कें। ऐसी सड़कों पर, सामिग्री पर क्यों कि अधिक व्यय होता है, और मजदूरी की दर आजकल काफी ज्यादा है इसलिये कुछ जिलों में

ऐसी सड़कों के बनाने के साथ-साथ १,००० व्यक्तियों को रोजगार देने में कठिनाई हो रही है। भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह विटुमिनकोट की सड़कों पर अधिक बल न दें और दो कोट कंकड़ की सड़कों के बनाने की स्वीकृति दे दें। वैसे भारत सरकार से ६७५ लाख रु० व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसमें से १६८.७५ लाख रु० प्रथम त्रेयमास में व्यय करने के लिये भी अनुमति मिल गई है। क्योंकि काम ज्यादातर वर्षा के बाद ही शुरू होगा अभी उक्त स्वीकृति में से कोई धन का व्यय नहीं हुआ है। योजना को प्राथमिकता दी जा रही है और यह अनुमान है कि वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी हो जायेगी और स्कीमों पर जिलों में भौतिक प्रगति होना शुरू हो जायेगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३१ पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

(मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ने पर) श्रीमन्, उत्तर की कापियां हम लोगों को मिल गयी हैं, अब सप्लीमेन्टरीज करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग प्रश्न कर लें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैंने यह प्रश्न किया था कि केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर जो आदेश भेजे हों उसकी प्रति तथा इस सरकार ने जिला अधिकारियों को उस संबंध में जो आदेश भेजे हों उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय, किन्तु उन आदेशों की प्रति क्यों नहीं रखी गयी, इसका उत्तर मंत्री जी देने की कृपा करें?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, यह जो उत्तर तैयार किया गया है उसमें भारत सरकार से जो आदेश प्राप्त हुये हैं तथा जिलाधिकारियों को जो भेजे गये हैं उनका उसमें जिक्र है और उसी के आधार पर यह उत्तर तैयार किया गया है और उन पत्रों का सारांश इस उत्तर में दे दिया गया है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी? कह देते नहीं रखेंगे। स्कीम बनी और फेल हो गयी छः महीने के बाद। हम देखते कि क्या आदेश वहां से आये थे, क्या कमी थी। वह खासतौर से छिपाया जा रहा है। या यह कह दें कि हम देना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष—

सवाल कीजिये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

माननीय मंत्री जी यह बतायें कि किस कारण यह प्रतिलिपियां मुझे नहीं दी गयीं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था। अगर इसका उत्तर देने में बिलम्ब होता तो माननीय सदस्य को शिकायत हो सकती थी। जो पत्र केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुये हैं वे सब के सब अंग्रेजी में हैं। उनका हिन्दी अनुवाद करने में कुछ समय लगता। इस कारण से उन पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रख सके हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इनका अनुवाद करवा कर कितने समय में जल्द से जल्द सदन की मेज पर प्रतिलिपियां रख देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये समय की आवश्यकता होगी, अध्यक्ष महोदय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सवा महीना हो गया नोटिस दिये हुये ।

श्री अध्यक्ष—

४-६-१९७१ को दिया था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सवा महीने से ज्यादा हो गया । कोई सूचना इकट्ठी नहीं करनी है । इसी सेक्रेटेरियेट में सब चीजें मौजूद हैं । केन्द्र से आये हैं वह मौजूद हैं, खुद जारी किये हैं वह मौजूद हैं । अंग्रेजी में हम पढ़ लेंगे । अंग्रजी की प्रतिलिपियां रखी गयी हैं । हमें अंग्रेजी में दे देते । आपने आदेश हिन्दी में जारी किये हैं । वह हिन्दी के ही मिल जाते ।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि अनुवाद करके आपको दे दें ?

आप १५-२० रोज में दे देंगे ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अंग्रेजी-हिन्दी दोनों की दे दें तब कंसेशन यहां हो सकता है ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे कार्यालय में आकर देखना चाहें तो वह देख सकते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं नहीं जाऊंगा । अगर आप कहेंगे तो भी नहीं जाऊंगा । क्या मैं भिखमंगा हूं ? मैं नहीं जाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके १५ रोज में इनके पास भेज दीजिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह सदन की प्रापर्टी है । सभी सदस्यों को मिलना चाहिये । यह कोई थोड़े ही है कि माननीय असरार अहमद को ही मिल जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह सवाल अजेंडा पर दोबारा रखा जाय । यह तय कर दीजिये कि आइन्दा रखा जायगा ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, असरार साहब और किसी के कमरे में न जायं । मेरे कमरे में आते रहते हैं । तशरीफ ले आयें । रह गया यह कि जो चीजें आप मांग रहे हैं वह आपके कमरे में पहुंचा दी जायंगी । कोई हर्ज नहीं होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

असरार साहब के कमरे का प्रश्न नहीं है। चूंकि सभी माननीय सदस्य दिलचस्पी रखते हैं इसलिये सभी के कमरे में रख दें या कबूतरखाने में रख दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जहां आपकी आज्ञा होगी वहीं पहुंचा दिया जायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस पर आप प्रश्न करने दीजिये।

मान्यवर, इसमें अब आप सप्लीमेंटरी तो करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

अब इसके लिये दूसरा दिन मुकर्रर करेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि इन अदेशों में गड़बड़ी सही न होने के कारण ये लोग इसको लाना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब आप बैठें। सवाल यह है कि इसकी प्रतिलिपियां करके सभी माननीय सदस्यों को दे दी जायं। जो पीजन होल हैं उसमें इसकी प्रतिलिपियां रख दी जायेंगी और वहां से सब लोग ले लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इसमें एक सवाल तो करने दीजिये। पहली स्कीम के तहत एक मिर्जापुर में चालू किया गया था जैसा कि परिशिष्ट "क" में दिया है। उसमें ६१ लाख रुपया लघु सिंचाई और ५० लाख रुपया सड़क निर्माण पर खर्च किया गया है। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस स्कीम के अन्तर्गत कितने लोगों को काम मिला और उनको कितनी मजदूरी मिली।

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न को जब हम इस सवाल को दूसरे दिन लेंगे उस समय रखिये। १५ रोज में यह प्रश्न पुनः यहां पर आ जायेगा क्योंकि १५ रोज के अन्दर उसको कापीज भी सब लोगों को मिल जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री रामकुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)---

जो यह नम्बर २ पर सवाल है उसके सम्बन्ध में जो जिला स्तर पर इस रुपये का वितरण किया जा रहा है उसका मापदंड क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दिया है

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न माननीय मोहम्मद असरार का है। उत्तर भी इसका माननीय मंत्री जी के पास है। अब सिर्फ सप्लीमेंटरी करने का सवाल है। आपको अब इसमें सवाल पूछने की इजाजत दे देनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर वे क्यों इस प्रश्न को टालना चाहते हैं १५ दिन के लिये जबकि वह तैयार भी हैं? उनका सवाल यह है कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, १९७१ से अब तक ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी दूर करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को समय समय पर क्या आदेश भेजे और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या आदेश जिला अधिकारियों को भेजे हैं.....मंत्री जी इसका जबाव दे रहे हैं। आप हमको सप्लीमेंटरी सवाल पूछने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

यह जो प्रश्न में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या आदेश भेजे गये और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला अधिकारियों को क्या-क्या आदेश भेजे हैं, तो उन आदेशों की वे नकल चाहते हैं और वे चाहते हैं कि इस पर पूरक प्रश्न तभी हों। इसलिये पूरक प्रश्न करने के लिये भी हम कोई दूसरा दिन ही मुकर्रर कर देते हैं। पहले उसकी प्रतियां आप लोगों को मिल जायं। कल भी इसी प्रश्न पर बहस होकर उसे पोस्टपोन कर दिया था....

श्री रामकरन सिंह---

मान्यवर वे क्या पेश करेंगे ...।

श्री अध्यक्ष---

आदेशों की प्रतिलिपि।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो माननीय मोहम्मद असरार साहब का है...

श्री रामकरन सिंह---

मान्यवर, माननीय दीपनारायण जी दूसरा ही एक प्रश्न उठा दिया कि यह प्रश्न तो माननीय मोहम्मद असरार साहब का है। तो क्या यह एक नई व्यवस्था पदा हो जायेगी कि जिसका प्रश्न होगा वही पूरक प्रश्न पूछ सकता है और कोई सदस्य नहीं पूछ सकता....

श्री अध्यक्ष---

इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

श्रीमन्, इस सदन के पीछे के जो माइक हैं वह कार्य नहीं कर रह हैं इस बात को देखते हुये जो पीछे बैठने वाले हैं वे अपनी आवाज आप तक नहीं पहुंचा पाते। श्रीमन्, सदन में माइकों की संख्या बढ़ाने की कृपा करें और जो माइक लगे हैं वे भी कार्य करने लगें, इस बात की आप व्यवस्था करने की कृपा करें।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

अभी आपने माननीय असरार अहमद साहब के प्रश्न के बारे में कहा कि १५ दिन के बाद लिया जायगा। अगर यह रिवाज कायम कर दिया गया तो बहुत से ऐसे प्रश्न आयेंगे जिनमें जिला लेविल और प्रान्त लेविल के कागजात की आवश्यकता होगी और उसके लिये सवालों

को स्थगित किया जाता रहेगा। जितनी संबंधित सूचना है वह करीब-करीब आ चुकी है, इसलिये उन पर अनुपूरक प्रश्न न करने देना उचित न होगा और आगे के लिये कार्य भी बहुत बढ़ जायगा।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने इस प्रश्न में कहा है कि क्या सरकार कुछ आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी। अगर उसके उत्तर में सरकार यह बात कह देती कि हम नहीं रखेंगे तब तो दूसरी बात थी, लेकिन उन्होंने उनको देने के लिये कमिट कर लिया है, इसलिये मैं उसके लिये प्रेस कर रहा हू।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय असरार साहब का जो सवाल है उसमें यह बतलाया गया है कि मिर्जापुर में यह स्कीम लागू की गयी और कुछ रुपया भी खर्च किया गया। अब उसकी डिटेल के लिये आप १५ दिन का समय दे रहे हैं। इसलिये आप सरकार को यह भी आदेश दे दें कि वे इसके साथ-साथ वह सूचना भी इकट्ठा कर लें कि किस गांव में कितना-कितना काम हुआ और कितने आदमियों ने काम किया ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपना प्रश्न अलग से पूछ लीजिये, दूसरे प्रश्न में और कोई बात नहीं मिलाऊंगा।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डा० घोष, माडर्न कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों का वेतन

**१—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा०घोष, माडर्न कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों को गत अगस्त, १९७० से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार उन्हें कब तक वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

डा० घोष मार्डन कालेज, इलाहाबाद के अध्यापकों को नवम्बर १९७० से फरवरी १९७१ तक का तथा अक्टूबर व नवम्बर, १९६९ का वेतन देय है। विद्यालय के खाते में धन उपलब्ध होने पर उपर्युक्त अवधि का वेतन भुगतान संभव होगा।

श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि कालेज की प्रबन्ध समिति नहीं है, जिला विद्यालय निरीक्षक ही पिछले चार वर्ष से इसका वेतन देते हैं ? फिर वह कौन सा धन है जो कालेज में आ जाने पर वेतन दिया जायगा ? क्या डेफिसिट ग्रांट के द्वारा इन लोगों को तनख्वाह दी जायगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह ठीक है कि हमारे इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स वेतन बांटते हैं, लेकिन जो कमी हुई है वह मैनेजमेंट की तरफ से ही हुई है। इस विषय में उन्होंने मांग की है और हम उस पर विचार कर रहे हैं कि हम उनको क्या मदद करें।

श्री रामगोपाल संड—

माननीय शिक्षा मंत्री को जिला विद्यालय निरीक्षक ने गलत सूचना दी है। यह विद्यालय पिछले तीन वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक की देखरेख में चल रहा है। फीस वही लेते हैं और अनुदान से अध्यापकों का वेतन मिलता है। उसी का यह वेतन बकाया है। डेफीसिट ग्रांट लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन नहीं दिलाया है, क्या मंत्री जी इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अध्यापकों को वेतन दिलायेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसमें जो हिसाब दिया हुआ है उसके देखने से पता चलता है केवल ४५१ रुपये की कमी है उतनी आमदनी और हो जाय तो वेतन देय हो जायगा। यही मांग उन्होंने की है। हम अनुदान देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री रामगोपाल संड—

अध्यापकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ३१ अगस्त तक का उनका वेतन विशेष अनुदान द्वारा दिला देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

श्रीमन्, वेतन देने का प्रबन्ध हो रहा है। हम अप्रैल, मई का देंगे, पीछे की बकाय' की बात मैंने नहीं कही।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

जो आदेश अध्यापकों के वेतन के बारे में मंत्रीजी ने जारी किये गये हैं वह पहली अप्रैल, १९७१ से लागू हैं। तो यह जो पुराना वेतन बकाया है क्या उसके लिये माननीय मंत्री जी कोई विशेष प्रबन्ध करने जा रहे हैं या नहीं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मैंने अभी निवेदन किया कि अप्रैल का वेतन मई में देय है और मई का जून में। हमने जो व्यवस्था की है हम देनदार हैं और उसका इन्तजाम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मांग की है उस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री रामगोपाल संड—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने एक नीति का प्रश्न उठा दिया। प्रदेश के लगभग ३२ सौ विद्यालयों में से अनेक विद्यालयों में ३१ मार्च के पहले का वेतन मैनेजरों ने नहीं दिया है चूंकि यह चेक द्वारा दिया जायगा। तो क्या मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि चूंकि अब वेतन चेक द्वारा दिया जायगा इसलिये जितना भी बकाया वेतन इन ३२ सौ विद्यालयों का आता है यह सरकार देगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिये कि जब से यह व्यवस्था लागू हुई उससे पहले के हम देनदार नहीं हैं। यह तो नीति का प्रश्न है। अगर हमारी वित्तीय स्थिति इजाजत देगी तो सरकार आगे तय करेगी, लेकिन आज मैं यह बात नहीं कह सकता।

भयानक वर्षा से अलखनन्दा में भीषण बाढ़

*२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि पिछले सप्ताह भयानक वर्षा से अलखनन्दा नदी में भीषण बाढ़ आ गई है जिससे बद्रीनाथ जाते हुए और आते हुये हजारों यात्री घिरे पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार उन यात्रियों की जान बचाने हेतु तत्काल क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तीन हजार यात्री मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण फंस गये थे जो सब के सब २३ जून, १९७१ तक सुरक्षित रूप से मोटर स्टैंड तक पहुंचा दिये गये। अब कोई यात्री नहीं घिरा पड़ा है। अतः किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो बाढ़ अलखनन्दा में आयी उससे कोई जान-माल का नुक्सान हुआ या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके बारे में सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो यात्री थे उनमें से कोई मिसिंग नहीं है क्या, यह निश्चित है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि ३ हजार आदमी घिरे हुये थे और उनको किसी तरह से पैदल बस स्टैंड तक पहुंचा दिया गया। तो क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि ११ तारीख को चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स तीन जीप लेकर वहां गये थे और जब वह वहां फंस गये तो तीन जीप वायरलेस से और मंगाई गयी ? तो इस समाजवादी सरकार में आम जनता को तो पैदल पहुंचाया गया लेकिन एक चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स के लिये तीन जीपें और मंगाई गयीं वायरलेस से। तो क्या इस आरोप की जांच करा कर संबंधित अफसर को सजा देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न से संबंध है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह—

बिल्कुल है। वहां लोग घिरे पड़े हुये थे। उनको तो पैदल पहुंचाया गया और चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स तीन जीपें लेकर अपने परिवार के साथ वहां गये थे उनके लिये तीन जीपें और वायरलेस से पहुंचाई गयीं। यानी एक अफसर के लिये ६-६ जीपें जायं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

गत वर्ष भी अलखनन्दा की बाढ़ से बद्रीनाथ का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार को, जो उस यातायात को सम्हालती है, इसके लिये कोई विशेष प्रतिवेदन भेजेगी जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके और दूसरी पैरेलल रोड बनायी जा सके ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हम स्वयं भी यदि और जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय सरकार से इस बात की सिफारिश करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन यात्रियों के घिरने के अलावा ६० गांव वहां पर ऐसे हैं जो धंस रहे हैं जिसके लिये राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ने भी वक्तव्य दिया है, क्या यह सही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे इस समय स्मरण नहीं है कि भंडारी जी ने क्या वक्तव्य दिया है । जो वक्तव्य उन्होंने दिया होगा वह सही ही होगा ।

विधान सभा के तथा विधान परिषद् के उपाध्यक्ष एवं उप सभापति का स्टेटस

**३—श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने विधान मंडल के उप सभापति और उपाध्यक्ष का स्टेटस राज्य मंत्रियों के बराबर मान लिया है जैसा कि प्रेसाइडिंग आफिसर्स कमेटी रिपोर्ट, १९६८ के अनुच्छेद ४६ में यह सिफारिश की गई थी ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

सरकार ने इस विषय पर विचार करके यह निर्णय लिया कि उपाध्यक्ष एवं उप-सभापति को तत्समय १५० रु० मासिक परिवहन भत्ते के एवज में उनको सरकारी मोटर गाड़ी दी जाये तथा वेतन एवं अन्य भत्ते व सुविधायें यथावत् रहें । तदनुसार संबंधित अधिनियम में संशोधन करके २४ दिसम्बर, १९७० से सरकारी मोटर गाड़ी दी जाने की व्यवस्था कर दी गयी थी ।

श्री प्यारे लाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उपाध्यक्ष का स्टेटस डिप्टी मिनिस्टर के बराबर है या स्टेट मिनिस्टर के बराबर है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपाध्यक्ष जी के स्टेटस की जो गरिमा इस सदन में है उसकी तुलना किसी मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री से करना कोई उचित नहीं होगा ।

श्री प्यारे लाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उपाध्यक्ष प्रदेश के अन्तर्गत अन्य जिलों का दौरा करते हैं तो उनके स्वागत के लिये वे ही अफसर आते हैं जो राज्य मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर के स्वागत के लिये आते हैं या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा विचार है कि प्रोटोकोल के अनुसार जो अधिकारी इस अवसर पर जाते हैं वह सभी उपस्थित होते होंगे । यदि इसमें किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो अवश्य किया जायगा ।

श्री प्यारे लाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि करीब एक मास हुआ लोक सभा में एक बिल पास करके उपाध्यक्ष का स्टेटस राज्य मंत्री के बराबर मान लिया गया है और बिहार, मध्य प्रदेश और काश्मीर में भी ऐसा किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि यहां पर संसदीय मंत्री जी ने इशारा कर दिया है। इतनी डिटेल में इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिये। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में यहां पर प्रश्न प्रैस नहीं किये जा सकते हैं। अच्छा हो कि यह सब आप मेरे पास भेज दीजिये, मैं गवर्नमेंट से बातचीत कर लूंगा।

कई सदस्य एक साथ--

केवल एक प्रश्न हमें करने दें।

श्री अध्यक्ष--

(व्यवधान)

अच्छा यही होगा कि इस विषय में यहां प्रश्न न हों और मेरे कक्ष में ही बातचीत हो।

श्री गोविन्द सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष का प्रोटोकाल के अनुसार कौन-सा स्थान है ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री रामकरन सिंह--

यदि उपाध्यक्ष जी या उपसभापति का दर्जा मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, किसी की भी श्रेणी के समकक्ष नहीं है तो वह कौन-सी चौथी श्रेणी है जिसके वह समकक्ष हैं ? यह स्पष्ट कर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस सदन के वह उपाध्यक्ष हैं।

श्री रियासत हुसैन--

जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि माननीय उपाध्यक्ष की गरिमा और रहन के स्थान को देखते हुये बहुत ऊंचा स्थान है, इस चीज को सामने रखकर क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करेंगे कि जब माननीय उपाध्यक्ष प्रदेश के किसी भी जिले में जायं तो उनको वही सम्मान वहां के अधिकारी दें जो सम्मान मंत्रियों को मिलता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं सदन का ध्यान इतना अवश्य आकृष्ट करूंगा कि विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दो पद संविधान के अन्तर्गत होते हैं और यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष पद की जो सुविधायें हैं उसी के समकक्ष उपाध्यक्ष या उप-सभापति पद के लिये सुविधायें देने में कठिनाई होती है। इसीलिये उस पद की गरिमा और महत्व को देखते हुए और सब बातों को ध्यान में रखकर आदेश दिये गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उपाध्यक्ष की वर्तमान उपलब्धियां और सुविधायें क्या हैं और प्रश्नकर्ता ने जो सुझाव दिया है उसके माने जाने पर वे क्या हो जायंगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस समय माननीय उपाध्यक्ष जी व उपसभापति जी को ६५० रुपया मासिक वेतन, ५,००० रुपया वार्षिक निःशुल्क आवास-व्यवस्था के लिये, ५०० रुपया वार्षिक आवास के रख-रखाव के लिये, ७५ रुपया वार्षिक अधिकतम बिजली व्यय, रेलवे यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के किराये का दुगुना, दैनिक भत्ता-१० रुपया प्रति दिन मैदान में और १५ रुपया पहाड़ में दिया जाता है।

(प्रश्न ४ के लिये मंत्री जी को पुकारने पर)

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरे प्रश्न के दूसरे अंश का उत्तर नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

वह काफी हो गया ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

मैं व्यवस्था चाहता हूं, मुझे व्यवस्था मांगने का अधिकार है उसकी आप इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष—

अब बहुत हो गये, अब आगे का प्रश्न चलगा ।

प्रदेश में असामयिक वर्षा के फलस्वरूप हुई स्थिति पर विचार

**४—श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर), श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच) तथा श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में असामयिक वर्षा के फलस्वरूप स्थिति पर विचार करने के लिए एक बैठक २३ जून, १९७१ को लखनऊ में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई थी ? यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

प्रदेश में असामयिक वर्षा के फलस्वरूप स्थिति पर विचार करने के लिये २३ जून, १९७१ को मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी उसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(१) रबी की फसल को जो बहुत बड़ी क्षति पहुंची है उसको देखते हुए भारत सरकार से ६५ करोड़ रुपये की सहायता के लिये अनुरोध किया जाय ।

(२) चूंकि इस क्षति से काश्तकारों के पास रबी का बीज बिल्कुल नहीं रह गया है और जो गल्ला बचा है वह बीज के लायक नहीं है इसलिये कम से कम ५ लाख क्विंटल बीज का प्रबन्ध किया जाय । २ लाख क्विंटल की व्यवस्था हो चुकी है और ३ लाख क्विंटल का प्रबन्ध कृषि विभाग द्वारा किया जाय । अगर आवश्यकता हो तो निर्धारित मूल्य की सीमा से अधिक दाम पर भी बीज लिया जा सकता है ताकि काश्तकार को अच्छा बीज उपलब्ध कराया जा सके ।

(३) अगर भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में सहायता मिल जाती है तो एक एकड़ तक की जोतों के काश्तकारों को निःशुल्क बीज दिये जाने का प्रबन्ध किया जाय ।

(४) कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाय अगर केंद्रीय सरकार से मांगी गई धनराशि मिल जाती है । उर्वरक के लिये जो तकाबी दी जाय उसे आपातकालीन तकाबी दी जाय ताकि कृषकों को ५ १/२ प्रतिशत से अधिक सूद न देना पड़े ।

(५) थ्रैशर की सप्लाई को बढ़ाने की चेष्टा की जाय ताकि काश्तकार फसल कटन के बाद शीघ्र ही मड़ाई कर सके ।

(६) इस बात की आवश्यकता समझी गई कि सहकारिता विभाग द्वारा अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाना उचित होगा । लेकिन यह उसी समय सम्भव होगा जब भारत सरकार से सहायता मिल जाय और एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फंड की सीमा बढ़ाई जा सके ।

(७) लैंड मार्गेज बैंक द्वारा दिये गये खेत के ऋणों के बारे में विचार हुआ और यह तय हुआ कि बैंक के अधिकारियों से बातचीत कर ली जाय और फिलहाल ऋणों की अदायगी ३० जून, १९७१ के बदले ३१ जुलाई, १९७१ तक बिला किसी दंड ब्याज के कर ली जाय ।

(८) यह भी तब हुआ कि बिजली की अदायगी में जहां पर बहुत कठिनाई है सुविधा दे दी जाय ।

(९) अभी घास है और हरा चारा भी उपलब्ध है इसलिये यह निर्णय लिया गया कि अभी चारे का प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन संभवतः कुछ जगहों पर कुछ महीने बाद भूसे का प्रबन्ध करना पड़ेगा ।

(१०) जिस क्षेत्र में आवश्यकता हो, सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी जायं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में अभी कहा कि प्रदेशीय सरकार केंद्रीय सरकार से ६५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त कर रही है। यदि केंद्रीय सरकार इस सहायता को न दे तो उस दशा में प्रदेशीय सरकार अपनी ओर से क्या सहायता करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

भारती सरकार की यहां एक टीम आयी हुयी थी हमारी इस मांग पर और उसने कुछ इलाकों में दौरा भी किया । यह टीम मुझ से भी मिली और उनको ये सब बातें समझायी भी गयीं । उन्होंने कोई वायदा तो नहीं किया लेकिन उन्होंने सहानुभूति दिखायी है और यह कहा है कि वे इसकी रिपोर्ट करेंगे कि आवश्यकता इस बात की है कि धन दिया जाय । मुझे आशा है कि भारत सरकार से ६५ करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन अगर यह रकम न मिली तो भी एक खासी रकम मिलेगी । अगर कुछ भी सहायता न मिली तब राज्य सरकार अपने सीमित साधनों को देखते हुए इन चीजों को पूरा करने की यथासंभव कोशिश करेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

प्राइवेट ट्यूबवेल्स से बिजली का १२० रुपया प्रति हार्स पावर सालाना मिनिमम चार्ज बोर्ड द्वारा वसूल किया जाता है । चूंकि अबकी बार सारी फसल बर्बाद हो गयी है तो क्या माननीय मंत्री जी इस वसूलयाबी को माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, वह इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वसूल करता है । हमने जरूर इस बात की कोशिश की है, जैसा उत्तर में कहा भी गया है कि इर्रीगेशन और रेवेन्यू के चार्जेज तो रुक ही गये हैं, लेकिन बिजली के चार्जेज भी सख्ती से वसूल न किये जायं, जैसा कि होता रहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सरकार की ओर से नरमी बरती जाय या न बरती जाय, यह बात अलग है । मैंने निश्चयपूर्वक यह पूंछा है कि क्या वे बिजली के चार्जेज के लिये भी आदेश देंगे कि उसकी वसूली किसानों से तत्काल माफ कर दी जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

माफ करने की बात तो अभी नहीं उठती । वसूली स्थगित करने की बात है । माफ करने की बात आयेगी, तब विचार किया जायगा ।

श्री राम कुंवर सिंह---

किसानों का जो गल्ला सड़ गया है तो क्या माननीय मंत्री जी उनको मुआविजा देने का कुछ निर्णय लेंगे ? और जैसा कि हमारे माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि बिजली के मिनिमम चार्जेज को सरकार माफ करेगी, वैसे ही जो इस खेती में खाद पर पैसा लगा हुआ है, उसकी वसूली को माफ करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैंने निवेदन किया कि सारी वसूली को यथासंभव स्थगित करने की बात हुयी है । माफ करने का जब प्रश्न आयेगा, तब उस पर भी विचार कर लेंगे ।

श्री इन्द्रमणि---

अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय जिलों में जो रास्ते बन्द हो गये हैं और खाद्यान्न पहुंचाने में जो कठिनाई उत्पन्न हो गई है और खाद्यान्न को खींचने और ले जाने में जो भाड़ा पड़ता है, उसको क्या सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

पचास फीसदी खर्चा तो सरकार उसका देती है । बाकी पचास फीसदी के संबंध में भी जरूर विचार करेंगे ।

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)---

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि छोटे कृषक का गेहूं न खरीदे जाने के कारण उसके समक्ष जो कठिनाई उत्पन्न हो गई है उसके समाधान के लिये क्या जिलाधीशों को सरकार ने आदेश प्रसारित किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, जो अच्छा गल्ला बचा हुआ है उसको हम खरीदते जायं यह तो सरकार की नीति घोषित हो चुकी है और यह घोषित हो चुका है कि हम बराबर सालभर गल्ला खरीदते रहेंगे जिससे किसान के गल्ले की कीमत न गिरने पाये और न अच्छा गल्ला उनके पास पड़ा रह जाय ।

श्री रामचरण त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)---

जिन-जिन जिलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं क्या आपने वहां जिलाधीशों को लिखा है ? स्थगन के आदेश के बाद भी भ्रष्टाचार है ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

जैसे-जैसे हमको मालूम होता जाता है हम आदेश देते जाते हैं ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

प्रश्नगत विपदा हेतु केंद्र से पैसा मांगने के क्या आधार थे, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

आधार ये हैं कि हमने अनुमान लगाया कि कितना-कितना कहां-कहां खर्च होगा, इसका अनुमान लगाकर ही पैसा मांगा गया है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि गवर्नमेंट ड्यूज की वसूलयाबी स्थगित कर दी गई है परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है तकावी की वसूली हर जिले में जारी है। तकावी की वसूली के लिये आदेश हैं या स्थगन के आदेश हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

तकावी की वसूली के लिये आरम्भ से स्पष्ट आदेश हैं इसमें सख्ती नहीं बरती जायेंगी।

श्री कृष्ण कांत अवस्थी—

श्रीमन्, असामयिक वर्षा के कारण अधिकतर किसानों का गेहूं भीग गया। था क्या उन किसानों के गेहूं की वसूलयाबी लिये सचल केंद्र स्थापित करायेंगे ? इसकी वसूलयाबी में काफी भ्रष्टाचार अपनाया गया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, उनकी जांच करायेंगे। और जो जांच के खिलाफ मालूम पड़ेगा तो सजा भी दी जायेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१—नरेन्द्रसिंह भंडारी—

[मंत्री-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

वन रक्षकों को तृतीय श्रेणी के राज्य कर्मचारियों के समान सुविधा

*२—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार को मालूम है कि वन रक्षक वन संहिता के अनुसार सहायक वन कर्मचारी माने गये हैं ? यदि हां, तो उन्हें तृतीय श्रेणी के राज्य कर्मचारियों की सुविधा से क्यों वंचित रखा गया है ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

यह सही कि वन रक्षक वन संहिता के अनुसार सहायक वन कर्मचारी माने गये हैं। उन्हें तृतीय श्रेणी के राज्य कर्मचारियों की भांति पदोन्नति, वैकेशन, छुट्टी, पेंशन के मामलों में सुविधायें दी जाती हैं। परन्तु वन रक्षकों का वेतनमान १०० रु० से कम होने के कारण वेतन अभिनवीकरण समिति की संस्तुति पर आधारित शासनादेश के अनुसार नियत भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि देने में उसको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में गिना जाता है।

आजमगढ़ के गजहड़ा ग्राम में ग्राम समाज की भूमि का भूमि-हीनों में वितरण

*३—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आजमगढ़ जिलान्तर्गत मुहम्दाबाद गोहना तहसील के गजहड़ा ग्राम में कितनी एकड़ भूमि ग्राम समाज की है और उसमें से कितनी एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की गई है और शेष वितरण न होने का क्या कारण है।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री उदित नारायन शर्मा—

आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत मुहमदाबाद गोहना के गजहडा ग्राम में १६२.०३४ एकड़ भूमि गांव सभा में निहित है जिसमें से सुरक्षित भूमि को छोड़ने के पश्चात् २६.९४२ एकड़ भूमि वितरण करने योग्य है। उक्त भूमि में से २१.११९ एकड़ भूमि को प्रधान द्वारा अनियमित रूप से पट्टे पर उठा दिया गया था। अतः परगनाधिकारी द्वारा अनियमित पट्टों को निरस्त कर दिया गया है और भूमि प्रबन्धक समिति से पुनः प्रस्ताव पारित होने की प्रतीक्षा की जा रही है। वांछित प्रस्ताव प्रधान से प्राप्त न होने के कारण उक्त भूमि का वितरण अभी नहीं हो सका है।

*४–५—श्री नरेन्द्रसिह भंडारी—

[मन्त्री परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

[दिनांक १६ जुलाई, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गढ़वाल कुमायूं मंडल को लीसा से लाभ

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६९-७०, १९७०–७१ में लीसे से गढ़वाल कुमायूं मंडल को अलग-अलग कितना लाभ और लीसा किस रेट पर बिका ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गढ़वाल के मुख्यालय का पौड़ी से स्थानान्तरण

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले का मुख्यालय पौड़ी से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

गढ़वाल की नई तहसील थैली सैंण की स्वीकृति

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जिले में नई थैली सैंण तहसील कब तक स्वीकृत हो जायगी और कब तक इस कार्य के लिये आवश्यक आदेश भेजे जायेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इस सम्बन्ध में शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

इनफैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपदपुर के कर्मचारी एवं उनके जिले

*४—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इनफेंट मिल्क पाउडर फैक्टरी दल पदपुर में इस वक्त कुल कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

इस समय इनफेंट मिल्क फूड फैक्टरी, दलपतपुर, मुरादाबाद में कुल २३८ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? इनका पैदवार विभाजन संलग्न सूची में दिखाया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३२–६३३ पर)

*५—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि फैक्टरी में कार्य करने वालों में अधिकतर कर्मचारी जिला मुरादाबाद से बाहर के रहने वाले हैं ? यदि हां, तो किस-किस जिले के कितने कर्मचारी हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

फैक्टरी में कार्य करने वालों में अधिकतर अर्थात् २३८ में से १३० कर्मचारी जिला मुरादाबाद के ही हैं।

ग्राम चिउठहा व वसावनपुर, जिला गोरखपुर में बन्जर भूमि का वितरण

*६—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

१७ दिसम्बर, १९७० के प्रश्न सं० ३५ व ३६ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के तहसील बांसगांव के भौवापार परगने के ग्राम चिउठहा व बसावनपुर में बन्जर भूमि कितने एकड़ है और उन सभी जमीनों पर नाजायज कब्जेदारों को बेदखली करके भूमि हरिजनों में बांटने के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

गोरखपुर जिले के तहसील बांस गांव में भौवापार परगने के ग्राम चिउठहा (बसावनपुर) में २.४७ एकड़ खाली भूमि है। उक्त भूमि में से १.७३ एकड़ पर गांव के लोगों का खलिहान है। शेष ०.७४ एकड़ भूमि बेदखली से प्राप्त हुई है। इस गांव में खाली भूमि कुल क्षेत्रफल के ८ प्रतिशत से कम होने के कारण उठाई नहीं जा सकती।

नैपाली नागरिकों द्वारा गोंडा एवं बहराइच के वन खंडों में जंगली जानवरों का मारा जाना

*७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या वन मन्त्री को पता है कि जिला गोंडा और बहराइच के उन वन खन्डों में जो कि नैपाल की सीमा से मिलते हैं नैपाली नागरिक १५ नवम्बर, १९७० से १० अप्रैल, १९७० तक अनेक बार भारतीय जंगलों से संकड़ों जानवर मार ले गये जिसकी सूचना लिखित उपरोक्त अवधि में वाइल्ड लाइफ गार्ड द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो सरकार ने रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये हैं?

श्री अजीतप्रताप सिंह—

गोंडा वन विभाग के सोहेलवा रेंज, जो गोंडा व बहराइच जिले में पड़ता है में, १५ नवम्बर, १९७० से १० अप्रैल, १९७१ तक नैपाली नागरिकों द्वारा अवैध शिकार की सूचना इसी अवधि में कई बार जन्तु रक्षकों ने अन्य जन्तु प्रतिपालक को दी परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि नैपाली नागरिकों द्वारा जानवर मारे गये। इसकी रोकथाम के लिए सभी अधिकारी गश्त करते हैं और जिलाधिकारी, गोंडा व बहराइच को भी सहायता के लिये पी० ए० सी० नियुक्त करने की प्रार्थना की गई है।

[illegible]शाहजहांपुर डी० सी० डी० एफ० में गबन

*८--श्री सुरेंद्र विक्रम--

क्या सहकारिता मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर डी०सी०डी० एफ० में १लाख का गबन, आडिट रिपोर्ट से मालूम हुआ है और गबन करने वालों के विरुद्ध असिस्टेंट रजिस्ट्रार, शाहजहांपुर नेआवश्यक रिपोर्ट के साथ सी०आई० डी० को भेजने हेतु सारे कागजात दिसम्बर, १९७० में डी०एम० नियोजन के पास भेजे थे किन्तु वहां से कागजात गायब हो गये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जिला सहकारी संघ लिमिटेड, शाहजहांपुर की आडिट रिपोर्ट तथा विभागीय जांच के आधार पर रु०१,४२,३६६.४० पैसे का गबन का मामला प्रकाश में आया । गवन से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ गुप्तचर विभाग से जांच कराने हेतु तीन पत्रावलियां सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, शाहजहांपुर, जिलाधीश शाजहांपुर को जुलाई १९७० में भेजी जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन शाहजहांपुर को परिनिरीक्षण के लिये उसी माह में भेज दी गईं । पत्रावलियां सुरक्षित हैं और तीनों मामलों में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी हैं तथा आवश्यक कार्यवाही हो रही है ।

सहकारी बैंक, सुल्तानपुर में अनियमितताएं

*९--श्री सुरेंद्र विक्रम--

क्या सरकार को पता है कि श्री यू० एन० त्रिपाठी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सुल्तानपुर ने १ अप्रैल, १९७१ से १० अप्रैल, १९७१ तक कई रिपोर्ट शासन को भेजी हैं जिनमें बतलाया गया है कि सहकारी बैंक, सुल्तानपुर में भयानक घुटाला है और जिसमें यह भी कहा गया है कि सन् १९६३ से लेकर १९७० तक किसी भी आडिट आब्जेक्शन की ओर ध्यान नहीं दिया गया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जनवरी, १९७१ में एक रिपोर्ट सहायक निबन्धक ने निबन्धक, सहकारी समिति को भेजी थी जिसमें जिला सहकारी बैंक, सुल्तानपुर में बहुत-सी अनियमितताएं बताई गई हैं तथा यह बताया गया है कि सन् १९६३ से किसी भी आडिट आब्जेक्शन का अनुवर्तन नहीं किया गय १ अप्रैल, १९७१ से १० अप्रैल, १९७१ तक कोई रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

बलिया जिले में माल और चकबन्दी के मुकदमें की फाइलों का गायब होना

*१०--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले म माल और चकबन्दी विभाग की मुकदमों की फाइलें रिकार्ड से गायब हैं, यदि हां, तो इन फाइलों के गायब होने के क्या कारण हैं तथा अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

प्राप्त सूचना के अनुसार माल व चकबन्दी विभाग के मुकदमों की कुछ फाइलें नहीं मिल रही हैं । उक्त पत्रावलियों के न मिलने के कारण संबंधित न्यायालय के लिपिकों की लापरवाही व असावधानी तथा चकबन्दी की पत्रावलियों के रखने के लिये चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में पर्याप्त सुरक्षात्मक स्थान की कमी है ।

खोई हुई पत्रावलियों की खोज की गयी जिसके फलस्वरूप कुछ पत्रावलियां मिल गयी हैं । शेष की खोज अब भी जारी है । समस्त चकबन्दी अधिकारियों को पत्रावलियों के सुचारू रूप से रख-रखाव के लिये समुचित आदेश दे दिये गये हैं । जिन कर्मचारियों के संरक्षण से पत्रावलियां नहीं मिली हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गयी है।

बलिया जिले के न्यायालयों में लैंड रेवेन्यू तथा जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन मामले

*११—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिले में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के ऐसे कौन-कौन मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं जिनको अदालत में दाखिल करने से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा इनमें से कौन-कौन मुकदमें ५ वर्ष पुराने हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

बलिया जिले में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अन्तर्गत ऐसे मुकदमों की संख्या क्रमशः एक व १६५ है । इनमें से ५६ केसेज रिमांड होकर प्राप्त हुये हैं । पांच वर्ष पुराने मुकदमों की संख्या ७६ है जिसमें रिमांड वालों की संख्या ६२ है।

उत्तर काशी के ग्राम पावतल्ला पट्टी पचगाई में अग्निकांड

*१२—श्री गोविन्द सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ मार्च, १९७१ को क्या जिला उत्तरकाशी के ग्राम पाव तल्ला पट्टी पचगाई में कोई आग लगी है ? यदि हां, तो उसमें कितने मकान जले व अन्य हानि हुई और सरकार की ओर से क्या राहत दी गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, इस अग्निकांड में २० घर, ७ खाद्य भंडार तथा १८ पशु जल गये । कुल क्षति लगभग ५०,००० रुपये की हुई । शासन की ओर से कुल १५ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार २५ रुपये अहेतुक सहायता तथा ३०० रुपये प्रति मकान के हिसाब से गृह निर्माण अनुदान दिया गया तथा वन विभाग द्वारा हक हकूकों को मुफ्त इमारती लकड़ी दी गई ।

उत्तर काशी नगर में अग्निकांड

*१३—श्री गोविन्द सिंह—

दिनांक २१, २२ मार्च की रात्रि को उत्तरकाशी नगर में क्या कोई अग्निकांड हुआ ? यदि हां, तो उसमें कितनी जन-धन की हानि हुई है और सरकार की ओर से क्या राहत दी गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, इस अग्निकांड से तीन परिवारों को लगभग २०,३०० रुपये की क्षति हुई तथा एक व्यक्ति की जलकर मृत्यु हो गई । शासन की ओर से कुल ५०० रुपये की सहायता दी गई ।

एस० डी० एम०, जसराना, जिला मैनपुरी के यहां पट्टे खारिज के मुकदमें

*१४—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० एम०, जसराना, जिला मैनपुरी के यहां इस समय कितने मुकदमें पट्टे खारिद के पड़े है । यह कब के मुकदमें है और अभी तक फैसले क्यों नहीं नहीं हुए हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

एस० डी० एम०, जसराना, जिला मैनपुरी के न्यायालय में पट्टे खारिज के १ जून, १९७१ तक जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८(२) के अन्तर्गत दायर किये गये कुल ५० मुकदमें विचाराधीन थे । यह मुकदमें जनवरी से जून, १९७१ तक के महीनों में दायर किये गये थे। इनके निस्तारण में विलम्ब का कारण कुछ नोटिसों का तामील न होना तथा कुछ विपक्षियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की याचना है ।

उपमंडलाधीश, जसराना, जिला मैनपुरी के यहां माल, फौजदारी के अनिर्णीत मामले

*१५—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा—

क्या माल मंत्री यह भी बतायेंगे कि उप-मंडलीयाधीश, जसराना, जिला मैनपुरी के यहां इस समय माल, फौजदारी के कितने मुकदमें अनिर्णीत पड़े हुए हैं ? वह कब के हैं, और उनका कब तक फैसला हो जायगा ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

परगनाधिकारी जसराना के न्यायालय में १ जून, १९७१ को माल के ३७४ व फौजदारी के २८ वाद महीना जनवरी से मार्च, १९७१ की विभिन्न तिथियों से विचाराधीन थे । आशा है कि उक्त वाद निकट भविष्य में शीघ्र ही निर्णीत हो जायेंगें ।

बलिया जिले के द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*१६—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला अन्तर्गत द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष १९७०–७१ की अवधि में किन-किन गांवों में कब-कब आग लगी और किनका-किनका नुकसान हुआ और कितनी अहेतुक एवं अन्य सहायता दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६३४–६३७ पर)

श्री जगदीश प्रसाद के राजनैतिक पीड़ित होने का प्रमाण-पत्र

*१७—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक २९ अप्रल, १९७० के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या २ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री उल्लिखित व्यक्ति के पोलिटिकल सफरर के प्रमाण-पत्र की एक प्रति सदन में रखेंगे ? जिस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के पोलिटिक्स सफरर होने की रिपोर्ट शासन को दी गई, उसका आधार क्या था और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

श्री जगदीश प्रसाद पोलिटिकल सफरर नहीं हैं। अतः उनके पोलिटिकल सफरर होने के प्रमाण पत्र की प्रति सदन में रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*१८-१९---श्री डी० पी० बोरा---

[५वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्थायी नायब तहसीलदारों की पदोन्नति तथा परिगणित जाति के आधार पर की गयी नियुक्तियां

*२०---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९६२ को जो व्यक्ति नायब तहसीलदार के पद पर स्थायी हो गये थे उनमें से कितने व्यक्तियों की पदोन्नति हो चुकी है और कितने शेष रह गये हैं तथा उनके क्या-क्या नाम हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

स्थायी नायब तहसीलदार की उनकी तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत हेतु १९६६ में लोक सेवा आयोग द्वारा चयन कराया गया। तहसीलदारी के १४८ स्थायी पदों के लिये १४८ व्यक्तियों को लिस्ट 'ए' में रखा गया। तहसीलदारी के अस्थायी व स्थानापन्न पदों पर प्रोन्नति के लिये ३०० व्यक्तियों की लिस्ट बनायी गयी। इन लिस्टों के अनुसार चुने गये अभ्यर्थियों की प्रोन्नति की जा चुकी है। सिर्फ 'बी' लिस्ट के एक श्री भागमल सिंह नायब तहसीलदार शेष रह गये हैं। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलने के कारण उनकी प्रोन्नति अभी स्थगित रखी गयी है।

*२१---श्री नौनिहाल सिंह---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिनकी पदोन्नति हुई है उनमें परिगणित जाति क सुरक्षित कोटे के अनुसार व्यक्ति लिये गये या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

तहसीलदार पद पर प्रोन्नति परिगणित जाति के सुरक्षित कोटे के अनुसार नहीं की जाती। तहसीलदार सेवा नियमावली के अनुसार योग्यता का ध्यान रखा जाता है, जाति अथवा वर्ग का नहीं परिगणित जाति के सुरक्षित कोटे का पालन नायब तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त करते समय किया जाता है।

ग्राम अइला, जिला बस्ती के लेखपाल तथा तप्पागौर के कानूनगो के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा

*२२---श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अइला तहसील हरैया, जिला बस्ती के लेखपाल तथा तप्पा गौर के कानूनगो के विरुद्ध दिनांक ८ अक्तूबर, १९७० को भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा थाना सोनहा, जिला बस्ती में कायम हुआ है ? यदि हां, तो लेखपाल द्वारा गवाहों पर नाजायज दबाव डालने की शिकायत के कारण पुलिस अधिकारी ने लेखपाल का स्थानान्तरण करके निष्पक्ष जांच करने के लिये दिनांक २९ नवम्बर, १९७० को जिलाधिकारी को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो १३ अप्रैल, १९७१ तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

८–९–७० को श्री सुखपाल पांडेय, विधायक की लिखित शिकायत पर एक अभियोग सं० १५५ धारा १६१/१६२/१७०/४६८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत सोनहा में कायम हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने दिनांक २८–११–७० को एक पत्र जिलाधीश बस्ती को लेखपाल के स्थानान्तरण के लिये लिखा था।

१३–४–७१ तक इस मुकदमें में सम्बन्धित गवाहान से पूछताछ की गई। सबूत की कमी के कारण तथा भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित न होने पर दिनांक २०–५–७१ को अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

अल्मोड़ा जिले के लोहाघाट को पिथौरागढ़ तहसील में सम्मिलित किया जाना

*२३—श्री गोपालदत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या अल्मोड़ा जिला का लोहाघाट तहसील पिथौरा गढ़ जिले में सम्मिलित किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस प्रकार का एक प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

पिथौरागढ़ जिले में ओला वृष्टि

*२४—श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक १० अप्रल, १९७१ को पिथौरागढ़ जिले में भयंकर ओलावृष्टि से फसल की अभूतपूर्व बरबादी हुई? यदि हां, तो सरकार प्रभावित काश्तकारों के लिये क्या करने जा रही है?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां। जिन ग्रामों में ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षति पहुंची है उनमें भूराजस्व लगान, तकाबी, नहर कर तथा अन्य कृषीय देयों की वसूली १५ अक्तूबर, १९७१ तक के लिये स्थगित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी को क्षतिग्रस्त ग्रामों में काश्तकारों को आपदा तकाबी ऋण वितरण करने के लिये ३०,००० रुपया तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के असहाय तथा अपंग व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता देने के लिये ५१,००० रुपये आवंटित किया जा चुका है। अगली रबी की फसल के लिये किसानों को बीज तथा खाद देने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

*२५—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[४थे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरिजनों के लिये मकान बनाने की योजना

*२६—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सरकार हरिजनों को मकान बनाने के हेतु जमीन देने की योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब से लागू होगी?

श्री उदितनारायण शर्मा—

सरकार ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के खेतिहर मजदूरों व ग्रामीण शिल्पकारों व अन्य खेतिहर मजदूरों व शिल्पकारों के लिये मकान बनाने हेतु जमीन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन)

अध्यादेश, १९७१ के माध्यम से जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन किया है। इस संशोधन द्वारा परगना अधिकारी को गांव सभा में निहित भूमि में से आबादी स्थल हेतु भूमि आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। यह भी प्राविधान किया गया है कि इस समय अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के खेतिहर मजदूरों व ग्रामीण शिल्पकारों व अन्य खेतिहर मजदूरों व शिल्पकारों ने गांव सभा में निहित भूमि में यदि कोई मकान बना रखा है तो मकान के अधीन की भूमि व सम्बद्ध भूमि का बन्दोबस्त उन्हीं के साथ किया गया समझा जायेगा। ये संशोधित प्राविधान दिनांक २४ मई, १९७१ से लागू हो गये हैं।

जिला सहकारी संघ, बस्ती का सालाना जलसा

*२७—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी संघ, बस्ती का पिछला सालाना जल्सा कब हुआ था? तथा कौन-कौन से संचालक निर्वाचित हुए थे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जिला सहकारी संघ, बस्ती का पिछला सालाना जल्सा दिनांक २२-१०-६७ को हुआ था तथा इस जलसे में श्री पदुम नाथ सिंह, श्री काशीनाथ त्रिपाठी, श्री शिव मूर्ति चौबे एवं श्री रूप नारायन शर्मा संचालक निर्वाचित हुए थ।

तराई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत तहसील किच्छा व काशीपुर में आवास क्वार्टर

*२८—श्री इन्द्रलाल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९४७-४८ ई० में जिला ननीताल के तराई क्षेत्र को बसाने के लिये शासन द्वारा तराई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत सहसील किच्छा व काशीपुर में कुल कितने आवास के क्वार्टर्स बनाये गये और प्रति क्वार्टर का मूल्यांकन क्या निर्धारित किया गया था?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तराई एवं काशीपुर उपनिवेशन योजनाओं के अन्तर्गत जिला नैनीताल की तहसील, किच्छा, बाजपुर तथा काशीपुर में उपनिवेशकों के निवास हेतु अब तक कुल ३,९८२ क्वार्टर्स बनवाये गये हैं। इन क्वार्टरों का मूल्य उनके क्षेत्रफल के अनुसार ७४५ रुपये से लेकर ३,११५ रुपया है।

*२९—श्री इन्द्रलाल—

क्या यह सही है कि तब तराई उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत तराई क्षेत्र को आबाद करने के उद्देश्य से यह आवास व्यवस्था शासन की ओर से एक रियाअत मात्र थी? यदि हां, तो क्या इस वक्त इन क्वार्टरों की कीमतें कृषकों से वसूल की जा रही हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। उपनिवेशन योजना के अनुसार इन क्वार्टरों का पूरा मूल्य उपनिवेशकों से किस्तों में ब्याज सहित वसूल किया जाना था।

जिला प्रतापगढ़, की तहसील कुंडा में मकानों के निर्माण हेतु अतिरिक्त अनुदान

*३०—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च सन् १९७१ में शासन ने जिला प्रतापगढ़ की तहसील कुंडा में सितम्बर, १९७० की वर्षा से गिरे मकानों के निर्माण हेतु ३ लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकार किया था? यदि हां, तो उक्त अनुदान अभी तक क्यों नहीं वितरित किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन द्वारा वर्ष १९७०–७१ में पूरे जिले में व्यय के लिये, न कि केवल तहसील कुंडा के लिये कुल १८,८९,००० रु० स्वीकृत किया गया था जिसमें से वर्ष के अन्त में जिलाधिकारी ने २,००,००० रु० की बचत प्रत्यार्पित की थी।

*३१—श्री जयराम यादव—

क्या माल मंत्री को जानकारी है कि तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गृह-निर्माण अनुदान की २ लाख धनराशि वितरित नहीं की गई तथा मार्च, सन् १९७१ में वापस कर दी गई? यदि हां, तो शासन उस पर क्या कार्यवाही करेगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को २,००,००० रु० वितरित करने के लिये पुनः स्वीकृत कर दिया गया है। पिछले वर्ष बचत हो जाने के कारणों की जांच की जा रही है।

सीतापुर के कलेक्शन अमीनों को नोटिस देकर पद मुक्त किया जाना

*३२—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के अन्तर्गत जनवरी, १९७० से सन् ३१ मार्च, १९७१ तक कलेक्शन अमीनों को नोटिस देकर पद मुक्त किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से कलेक्शन अमीनों को पद मुक्त किया गया तथा उनकी सेवायें कितने-कितने वर्षों की थीं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। जिन सात अमीनों को सेवा मुक्त किया गया उनके नाम और सेवा काल संलग्न सूची में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३८ पर)

*३३—श्री रामलाल राही—

क्या मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि अमीनों को पद मुक्त करने का क्या आधार रहा है? और क्या कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें नोटिसें देने के बाद पुनः सेवा में रख लिया गया है? यदि हां, तो वह कौन से कर्मचारी हैं और पुनः सेवा में किस आधार पर रखा गया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कार्य तथा आचरण असन्तोषजनक होने के कारण इन अमीनों को सेवा मुक्त किया गया। दो और अमीनों, सर्वश्री दीवाकर शुक्ल तथा जानकी प्रसाद, को उनके कार्य की

शिथिलता की बिना पर सेवा मुक्ति के नोटिस दिये गये थे परन्तु नोटिस की अवधि में उन्होंने वसूली कार्य में सन्तोषजनक प्रगति दिखाई। अतः उनके नोटिस निरस्त कर दिये गये।

मथुरा जिले में ग्राम समाज की भूमि एवं उस पर अनधिकार कब्जा

*३४—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या माल मंत्री को मालूम है कि सन् १९५८ के जी० ओ० के अनुसार ट्रांस जमुना एरिया, मथुरा में ग्राम समाज की बचत की कृषि योग्य भूमि पट्टे पर उठाना वर्जित है? और तहसील छाता तथा मथुरा में ऐसी बचत की भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकार कब्जा कर रखा है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। गांव सभा में निहित भूमि में से कुछ पर अनधिकार कब्जा भी है।

*३५—श्री तेजपाल—

क्या सरकार ऐसी दशा में ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में भूमिहीनों की विधिवत् पट्टे पर उठाये जाने का आदेश प्रसारित करने की सोच रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह मामला शासन के विचाराधीन है।

कानपुर जिले की चौबेपुर, शिवराजपुर, मेथा और बिल्हौर विकास खंडों की सहकारी समितियों में गबन

*३६—चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की चौबेपुर, शिवराजपुर, मेथा और बिल्हौर विकास खण्डों की सहकारी समितियों में कुल मिला कर ५ लाख रुपये का गबन है? यदि हां, तो अब तक गबन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

दिये गये विकास खण्डों में विकास खण्ड, शिवराजपुर का वर्तमान समय में अस्तित्व नहीं है। इस विकास खण्ड का विलोनीकरण चौबेपुर एवं बिल्हौर विकास खण्डों में हो चुका है। इन विकास खण्डों की सहकारी समितियों में गबन का धन पांच लाख न होकर २,५५,९६८ रु० ९२ पै० हैं। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३९ पर)

*३७—श्री पन्नालाल गुप्त—

[निरस्त किया गया।]

जनपद गोरखपुर, तहसील फरेंदा, ग्राम गजरही में ग्राम समाज की बंजर भूमि

*३८—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माल मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील, फरेंदा ग्राम गजरही में ग्राम समाज की कितनी जमीन बंजर है? तथा उसकी व्यवस्था ग्राम प्रधान ने क्या की है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद गोरखपुर के गांव, गजरही में ग्राम समाज के पास १७.४३ एकड़ बंजर जमीन है जिसमें से ७.८५ एकड़ जमीन सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय, गजरही को पट्टे पर देने के लिए भूमि प्रबन्धक समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया। चूंकि यह प्रस्ताव अवैधानिक है उसको निरस्त करने के लिए परगनाधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

देवरिया जनपद की हाटा और पडरौना तहसीलों में जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत विचाराधीन मामले

*३९—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद की हाटा और पडरौना तहसीलों में अलग अलग जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा २२९-बी के अन्तर्गत ३१ मार्च, सन् १९७१ तक कितने मुकदमें विचाराधीन थे और कितने दिनों से? साथ ही एक रेवेन्यू अफसर के लिये कितने मुकदमों की सीमा निर्धारित की गई है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

३१ मार्च, १९७१ ई० तक देवरिया जिले की हाटा व पड़रौना तहसीलों में जमींदारी उन्मूलन तथा भुमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २२९–बी के अन्तर्गत विचाराधीन वादों की संख्या क्रमशः १५२३ व ३४४६ थी। उक्त तहसीलों में सबसे पुराने वाद क्रमशः १६ नवम्बर, १९६७ व १ जनवरी, १९६९ से अनिस्तारित है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत विवाद-ग्रस्त वादों का मानक ५ वाद प्रतिदिन और निर्विवाद वादों का मानक १२ वाद प्रति दिन है।

*४०—श्री गजेन्द्रसिंह—

[निरस्त]

मूसलाधार वर्षा से बस्ती जिले के किसानों को हानि तथा सरकारी सहायता

*४१—श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत अप्रैल माह के चार-पांच दिन लगातार मूसलाधार वर्षा से बस्ती जिले के किसानों को कितना नुक्सान हुआ है और कितना अनाज सड़ गया है? क्या सरकार वर्षा से पीड़ित किसानों को सहायता देने का विचार रखती है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अप्रैल माह में असामयिक वर्षा के कारण बस्ती जिले में काट कर खलिहानों में रखी हुई तथा खेतों में काटने को शेष फसलों को २० से ५० प्रतिशत तक हानि पहुंची। लगभग १० लाख क्विंटल गन्ना क्षतिग्रस्त हुआ जिसका मूल्यांकन ६,६७,८९,८५३ रु० है।

असामयिक वर्षा से प्रभावित किसानों की सहायता के लिये शासन ने ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में मालगुजारी, तकाबी तथा सिंचाई कर की वसूली स्थगित कर दी है तथा ग्राम सभा की वसूली स्थगित कर दी है तथा ग्राम सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा के कारण देय क्षतिपूर्ति की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही न करने के आदेश दिये गये हैं। आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता और तकावी वितरित करने के लिये जिलाधिकारी को आदेश और धनराशि दे दिये गये हैं।

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में बाढ़पीड़ितों को सहायता

*४२--श्री दर्लासगार यादव--

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहसील, सगड़ी में इस वर्ष बाढ़पीड़ितों की सहायता के लिये कितनी धनराशि सरकार ने दी थी?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी के बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिये वर्ष १९७०-७१ में २३,५३७ रुपया दिया गया जो बाढ़ क्षेत्र के असहाय व्यक्तियों को वितरित किया गया ।

*४३--श्री कल्याण सिंह--

[४थे गुरुवार के ता० प्र० संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोंडा के कलेक्शन अमीनों का समय से वेतन न मिलना

*४४--श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में वर्तमान व भूतपूर्व ऐसे कितने कलेक्शन अमीन हैं? जिनकी तनख्वाह समय से न मिलने के कारण उनके तनख्वाह के बारे में सरकार को धारा ८०, जाब्ता दीवानी के तहत नोटिस मिली है उनको समय से तनख्वाह न देने का क्या कारण है?

श्री उदित नारायण शर्मा--

केवल एक भूतपूर्व अमीन ने बकाया वेतन के लिये नोटिस दी है । समय से वेतन का भुगतान न होने का कारण यह है कि ट्रेजरी से पास शुदा बिल तहसील में खो गया था ।

उन्नाव जिले की तहसीलों में भूमिहीनों तथा हरिजनों को वितरित की गई भूमि

*४५--श्री संजीवन लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९७० से अब तक उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितनी भूमि भूमिहीनों में तथा हरिजनों में बांटी गई और कितनी भूमि अब भी बांटने के लिये उपलब्ध है ? और वह कब तक बंट जावेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

उन्नाव जिले में १ जनवरी, १९७० से अब तक गांव सभा एवं सीलिंग की कुल २२,०७७ एकड़ भूमि हरिजन एवं अन्य भूमिहीनों को बांटी गई है तथा ३,८३६ एकड़ उपलब्ध भूमि बांटने के लिये अवशेष है, जिसको शीघ्र वितरण करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अलग-अलग तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :--

तहसील का नाम	१-१-१९७० से बांटी गई भूमि (एकड़ में)	बांटने के लिये शेष उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
१--उन्नाव	६,८१०	८२९
२--पुरवा	२,०८०	२,३२५
३--हसनगंज	७,२८३	१०३
४--सफीपुर	५,९०४	५७९
योग ..	२२,०७७	३,८३६

*४६-४७---श्री हलीमुद्दीन अहत मौलाई तथा श्री रियासत हुसैन---

[२रे गुरुवार के ता० प्र० सं० ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री विश्वनाथ सिंह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, शाहजहांपुर का ६ माह के अन्दर शाहजहांपुर को पुनः स्थानान्तरण

*४८---श्री उमा शंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री विश्वनाथ सिंह, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, शाहजहांपुर का सन् १९७० में शाहजहांपुर से स्थानान्तरण हुआ और छः महीने के भीतर उन्हें पुनः शाहजहांपुर बुला लिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

जी हां। श्री विश्वनाथ सिंह को ६ महीने के पश्चात् ही जनहित में पुनः शाहजहांपुर स्थानान्तरित करना पड़ा।

सहकारी समिति जमुका, जिला शाहजहांपुर का किसानों पर ऋण

*४९---श्री उमाशंकर शुक्ला तथा श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि ३१ मार्च, सन् १९७१ को सहकारी समिति जमुका, जिला शाहजहांपुर का कितना कर्ज काश्तकारों के ऊपर था और वह कितना पुराना है ? क्या सरकार द्वारा इस समिति की अनियमितताओं की जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

३१ मार्च, १९७१ को क्षेत्रीय सहकारी समिति लि० जमुका जिला शाहजहांपुर में मुबलिग ६,८५,८१३ रु० ६८ पै० सदस्यों के ऊपर कर्ज था जिसमें से चालू वर्ष का ऋण वाजिब वसूली रु० ५,७३,८८८.०३ प० है। शेष रु० १,११,९२५.६५ पैसा पिछले सवा सालों का बकाया था जिसका विवरण संलग्न है।

सहकारी संस्थाओं का नियमित संप्रेक्षण संप्रेक्षासंगठन, उ० प्र० द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्रीय, सहकारी समिति लि०, जमुका का वर्ष १९६९-७० तक का सम्प्रेक्षण सम्प्रेक्षक द्वारा किया जा चुका है। संप्रेक्षण में कोई विशेष आपत्ति का उल्लेख नहीं किया गया। वर्ष १९६८-६९ तक के आडिट नोटों का परिपालन हो चुका है। फलस्वरूप सरकार द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६४० पर)

*५०-५१---श्री रघुनाथ सिंह वर्मा---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*५२---श्री राम प्यारे---

[२रे गुरुवार के ता० प्र० संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५३---श्री महराम सिंह---

[४थे मंगलवार के ता० प्र० संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोंडा के सोमरहा वन खंड में पेड़ काटने की अनुमति

*५४---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि सोमरहा सुरक्षित वन खंड, जिला गोंडा में रेंज रेहरा की सीमा पर स्थित आराजी नम्बर १०६७ का डिमार्केशन १९६९ में करके उसका कब्जा सर्वश्री दुर्गा प्रसाद सिंह तथा रामराज सिंह मौजा, कराडीह पूरे ईटीहन पुरवा, जिला गोंडा को दिया गया किन्तु उनको उक्त वन के पेड़ काटने की अनुमति अभी तक नहीं मिली ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

सोमरहा सुरक्षित वन खंड, जिला गोंडा में रेंज रेहरा की सीमा पर स्थित आराजी नं० १०६७ का डिमार्केशन १९६९ में करके उसका कब्जा सर्वश्री दुर्गा प्रसाद सिंह तथा राम राज सिंह, मौजा केराडीह पूरे इटोहन पूरवा, जिला गोंडा को नहीं दिया गया है। अतः उसमें पेड़ काटने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता।

*५५---श्री मंजूर अहमद---

पेड़ काटने की अनुमति हेतु उक्त व्यक्तियों का प्रार्थना-पत्र क्या वन मंत्री को अप्रैल, १९७१ में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी

*५६---श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं और वे किन-किन जिलों में नियुक्त हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

तेरह। इन अधिकारयों के नाम तथा इनके वर्तमान तैनाती के लिये (७-७-७१) संलग्न सूची में दर्शित हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६४१ पर)

*५७---श्री मुंशीलाल चमार---

[२रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चकबन्दी विभाग के ए० सी० ओ० लोगों की विभागीय ज्येष्ठता

*५८---श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि चकबन्दी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत ए० सी० ओ० लोगों को कोई विभागीय ज्येष्ठता की लिस्ट बनाई गई है ? यदि हां, तो वह लिस्ट कब-कब बनाई गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

चकबन्दी विभाग में कार्यरत सहायक चकबन्दी अधिकारी की ज्येष्ठता क्रम सूची बनाई गयी है। यह सूची प्रथमबार सन् १९५८ में बनाई गयी थी। इसके बाद इसे १९५९, मई, १९६५ और दिसम्बर, १९७० में उद्यतन (up-to-date) किया गया।

प्रदेश के वर्षा तथा पानी से पीड़ित जिलों के किसानों की लगान वसूली रोकना

*५९—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या राज्य सरकार अप्रैल एवं मई, १९७१ की वर्षा तथा पानी से पीड़ित जिलों के किसानों की लगान वसूली रोक रही है ? सरकार क्या यह भी बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन से जिले अधिक प्रभावित हुए हैं ? तथा वहां के किसानों को क्या राहत दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रदेश के सभी जिलों के ऐसे क्षेत्रों में जहां असामयिक वर्षा आदि से रबी की फसल को ५० प्रतिशत या उससे अधिक और कुछ क्षेत्रों में जहां ४० प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई है, शासन ने मालगुजारी, सिंचाई कर तथा तकाबी की वसूली स्थगित कर दी है । हानि कुल ३७ जिलों में अधिक हुई जिनकी सूची संलग्न है। सरकारी देयों की वसूली व स्थगन केअतिरिक्त शासन ने सहायता के लिये ३६,५७,००० रुपये अहेतुक सहायता तथा १,३५,००,००० रुपये आपदा तकाबी के लिये आवंटित कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६४२ पर)

रुहेलखंड में मध्यावधि चुनाव के समय ली गई प्राइवेट गाड़ियों तथा उनके किराये व पैट्रौल का बकाया

*६०—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रुहेलखण्ड डिवीजन में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के समय कितनी प्राइवेट गाड़ियां ली गईं तथा अब तक कितनी गाड़ियों को किराया तथा पेट्रोल का पैसा देना बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के समय रुहेलखंड चुनाव के समय रुहेलखंड डिवीजन में कुल १,१५२ गाड़ियां ली गयी थीं जिनमें से ३३८ गाड़ियों का भुगतान किया जाना शेष है।

पेट्रोल के समस्त बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

आश्रम पद्धति विद्यालय, जनपद गोंडा के सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा की गई अनियमिततायें

*६१—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आश्रम पद्धति विद्यालय, जनपद गोंडा में संस्था के सुपरिन्टेन्डेंट द्वारा अनियमितताओं की जांच निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण ने हाल में की है ? यदि हां , तो क्या-क्या अनियमितताये प्रकाश में आईं और शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

निदेशक ने प्रश्नगत विद्यालय के सुपरिन्टेन्डेन्ट की अनियमितताओं की जांच तो नहीं की, परन्तु इस संस्था का सामान्य निरीक्षण अप्रल, १९७१ में किया था ।

सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध उक्त विद्यालय के एक अध्यापक, श्री मनमोहनदास का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्हें मार्च, १९७० की इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने की मुख्य शिकायत थी। इस विषय पर विचार करने के उपरान्त उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गयी थी।

फतेहपुर जिले में बाढ़ के फलस्वरूप गृह क्षति पूर्ति सम्बन्धी अनुदान

*६२—श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जिला फतेहपुर में पिछली बाढ़ (१९७०) के संबंध में गृह क्षति पूर्ति हेतु बांटे गये सरकारी अनुदान के वितरण के सम्बन्ध में कुछ अनियमितायें जनवरी या फरवरी, १९७१ में प्रकाश में आईं ? यदि हां, तो उसमें मुख्य बातें क्या थीं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला फहतेहपुर में पिछली बाढ़ (१९७०) के संबंध में गृह निर्माण अनुदान बांटने में हुई अनियमितताओं से संबंधित ७८ शिकायतें जनवरी व फरवरी, १९७१ में प्राप्त हुई थीं। इनमें से मुख्य शिकायतें अनुदान बांटने में पक्षपात तथा अनुदान वितरण के समय पैसा मांगने की थीं—शिकायतों की जांच कराई गई। ७३ शिकायतें जांच के समय निराधार पाई गयीं। ४ शिकायतों में ४ लेखपाल दोषी पाये गये जिनमें से २ को सेवा से पृथक कर दिया गया और दो लेखपाल निलम्बित कर दिये गये हैं। एक शिकायत के सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है।

तहसील कासगंज, जिला एटा में खरीफ की लगान वसूली के साथ अलाभकारी जोतों की रबी की लगान वसूली

*६३—श्री नेगराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिला की तहसील, कासगंज में वर्ष १९७०–७१ की खरीफ की लगान की वसूली के साथ-साथ अलाभकारी जोतों से रबी की भी लगान वसूली कर ली गई है ? यदि हां, तो क्यों और वह धनराशि कितनी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। तहसील कासगंज में लगभग १५,३९६ खातों में खरीफ की वसूली के साथ कुल ८०,२०३ रु० ५० पैसे की धनराशि रबी १३७८ फसली की मालगुजारी अग्रिम रूप से वसूली हुई थी।

उपर्युक्त धनराशि दिनांक १९ जनवरी, १९७१ तक वसूल हुई थी जिसे खातेदारों ने स्वेच्छा से दिया था। यह स्पष्ट है कि इसकी वसूली शासन के आदेश दिनांक १० फरवरी, १९७१ की प्राप्ति के पहले हो चुकी थी। दिनांक १९ जनवरी, १९७१ के बाद इस तहसील में सवा छः एकड़ तक की जोतों से रबी १३७८ फसली से संबंधित कोई मालगुजारी नहीं वसूल की गई।

*६४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जिला गढवाल में वन विभाग के अन्तर्गत सड़कों के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

*६५—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में वन विभाग के अन्तर्गत वह कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला गढ़वाल में वन विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई सड़कें नहीं हैं जिनका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया हो। खिर्सू-पैठाणी मार्ग तथा रातूखाल-छानीखाल मार्ग के निर्माण का कार्य अभी समाप्त नहीं हो पाया है। इन दोनों मार्गों का निर्माण कार्य सन १९७१-७२ से ७३-७४ तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

*६६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[२रे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसीलों में राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन भुगतान की तिथि

*६७—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में तहसील के राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारियों के मासिक वेतन किस तिथि तक वितरण किये जाने के सरकारी आदेश हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड ५, भाग १ के अनुच्छेद ९७ के अनुसार अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को पिछले मास का वेतन यथासम्भव अगले मास की पहली तारीख को मिल जाना चाहिये। राजपत्रित सरकारी अधिकारी अपना वेतन स्वयं निकालने के जिम्मेदार हैं।

मुजफ्फरनगर की तहसीलों में चपरासियों व नायब तहसीलदारों को अप्रैल व मई में वेतन भुगतान की तिथियां

*६८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मुजफ्फरनगर जिले की चारों तहसीलों के चपरासियों व नायब तहसीलदारों को अलग-अलग मास अप्रैल व मई, १९७१ का वेतन भुगतान किन-किन तिथियों में किया गया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुजफ्फरनगर जिले की सदर तहसील में अप्रैल, १९७१ का वतन नायब तहसीलदारों को १० मई, १९७१ को और चपरासियों को ११ मई, १९७१ को वितरित हुआ। जिले की शेष तीन तहसीलों (कराना, बुढ़ाना तथा जानसठ) में नायब तहसीलदारों व चपरासियों को १२ मई, १९७१ को वेतन वितरित किया गया।

मई, १९७१ का वेतन नायब तहसीलदारों तथा चपरासियों को चारों तहसीलों में १ जून, १९७१ को वितरित किया गया।

*६९—श्री महीलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सहकारी समिति, पिपलगवां, तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ में गबन की सूचना

*७०—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति, पिपलगवां तहसील, सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सन् १९७० में हजारों रुपये का गबन सिद्ध हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। सहायक विकास अधिकारी (सह०) से गबन की सूचना मिली, जिसकी एफ० आई० आर०, २५ अप्रैल, १९७० को रु० ३०,१७४.१६ के गबन के संबंध में सहायक निबन्धक ने थाना सिकन्दराराऊ में दर्ज कराई। इसकी जांच पुलिस में चल रही है।

*७१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

विश्व बैंक के प्रतिनिधि-मण्डल का वन उपज की उन्नति के अध्ययन के लिये उत्तर प्रदेश में आगमन

*७२—श्री शिवराज सिंह—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक की ओर से कोई पार्लियामेंटरी प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के वन उपज की उन्नति के अध्ययन के लिये मई के महीने में आया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनसे क्या वार्ता हुई?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

विश्व बैंक की ओर से कोई पार्लियामेंटरी प्रतिनिधि मण्डल उत्तर प्रदेश की वन उपज की उन्नति के अध्ययन के लिये मई के महीने में नहीं आया था, परन्तु विश्व बक ने दो प्रतिनिधि दिनां क ७-५-७१ को लखनऊ आये थे जिन्होंने वन महानिरीक्षक (आई० जी० फारेस्ट) तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दो बैठकें कीं जिनमें उत्तर प्रदेश में वानिकी विकास प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये वित्तीय सहायता के विषय में वार्ता हुई।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में तहसील सदर परगना, नगर पूर्व के ग्रामों में सीलिंग के अन्तर्गत भूमि

१—श्री सुखपाल पाण्डय तथा श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में तहसील सदर परगना, नगर पूर्व के प्रत्येक ग्राम में सीलिंग के अन्तर्गत कितनी-कितनी जमीन निकली?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बस्ती जिले की तहसील सदर के प्रत्येक गांव में सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के विषय में सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६४३ पर)

आजमगढ़ जिले में राजस्व संग्रह अमीनों के पदों पर नियुक्तियां एवं अनुसूचित जाति के व्यक्ति

२—श्री लालसा (आजमगढ़)—

क्या सरकार उन कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी कि जो माह मार्च, सन् ७१ में राजस्व संग्रह विभाग, जिला आजमगढ़ में राजस्व संग्रह अमीन पद पर पूर्ण वर्षीय (ए० वा० आर०) बेसिस पर नियुक्त किये गये हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

संलग्न सूची में दर्शाये गये ३६ कर्मचारी मार्च, १९७१ में पूर्ण वर्ष कालिक अमीन के अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये। इनमें अनुसूचित जाति का कोई नहीं है। जिलाधिकारी से पूछा जा रहा है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं लिया गया।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६४४ पर)

मुरादाबाद की तहसीलों में संग्रह विभाग के लिपिक वर्ग के कर्मचारी

३—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करगे कि जिला मुरादाबाद म संग्रह विभाग के लिपिक वर्ग में प्रत्येक तहसील में कुल कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला मुरादाबाद की प्रत्येक तहसील में संग्रह योजना के अन्तर्गत लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की संख्या निम्नांकित है :—

१—बिलारी	९
३—मुरादाबाद	५
३—सम्भल	८
४—अमरोहा	८
५—हसनपुर	७
६—ठाकुरद्वारा	४

गोरखपुर की बांसगांव तहसील में असामयिक वर्षा एवं आंधी से आर्थिक क्षति

४—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत बांसगांव तहसील में असामयिक वर्षा एवं आंधी के कारण १५ अप्रैल से २ मई, १९७१ तक कितने धन-जन की हानि हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील बांसगांव में अप्रैल व मई, १९७१ में असामयिक वर्षा से लगभग ८ करोड़ रुपये के मूल्य के गल्ले की हानि हुई है। कोई जीव हानि नहीं हुई है। आंधी से कोई क्षति नहीं हुई है।

५—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित क्षेत्र के निवासियों को कौन-कौन सी सरकारी सहायता अब तक दी जा चुकी है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

उन क्षेत्रों में जहां रबी की फसल को ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुई है, मालगुजारी लगान, सिंचाई कर तकाबी तथा अन्य कृषीय देयों (एन० ई० एस०, जी० एम० एफ०, कृषि बीज भंडार देय, कृषि आयकर बृहत जोत कर बी० जे० के०, विकास ऋण, आदि तकावी) की वसूली १५ अक्तबर, १९७१ तक स्थगित कर दी गई है और ग्राम समाज भूमि पर अनधिकृत

कब्जा से संबंधित क्षति पूर्ति (डेमेजज) की वसूली में उत्पीड़क कार्यवाई न करने के आदेश दिये गये हैं। शासन ने जिलाधिकारी, गोरखपुर को ३०,००० रुपये निःशुल्क सहायता हेतु, ६,००० रुपये प्रकीर्ण व्यय के लिये तथा २५,००० रुपये तकाबी के लिये आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के अधीन निःशुल्क सहायता/, गृह निर्माण सहायता वितरित करने के लिये ५,००,००० रुपये की अतिरिक्त धनराशि रखी गई है जिससे वे जिले की मांग पर यथासंभव आवश्यकता पूरी कर सकें।

६—श्रीमती मसाली देवी—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि बांसगांव तहसील क किन-किन गांवों म अपेक्षाकृत अधिक क्षति हुई है? क्या सरकार की ओर से क्षति पूर्ति के आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं? यदि, नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

लगभग सभी १९६८ ग्रामों में क्षति का प्रतिशत समान है। शासन द्वारा क्षति के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश-विहार स्थायी सीमा निर्धारण

७—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश-बिहार स्थायी सीमा निर्धारण से जो मौजे उत्तर प्रदेश राज्य में आ गये हैं उनमें उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू और भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट कब से लागू होंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसे मौजों में राजस्व सम्बन्धी अधिनियमों के शीध्र लाग करने के लिय आवश्यक कार्यबाही की जा रही ह। यह अधिनियम लागू करने में यथा सम्भव शीध्रता की जायगी।

८-९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित]

अलीगढ़ जिले की कोआपरेटिव सोसाइटियों में गबन के मामले

१०—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले की कोआपरेटिव सोसाइटियों में १९६९ तथा १९७० में कुल कितने गबन के मामले पकड़े गये थे और उनमें सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अलीगढ़ जिले की सहकारी समितियों में वर्ष १९६९ में ७ गबन के मामले मुबलिग रु० ३६,८०७.२७ के तथा वर्ष १९७० में २ गबन के मामले मुबलिग रु० ४८,९३९.२२ के प्रकाश में आए। उक्त सभी गबन के मामलों में पुलिस द्वारा जांच हो रही ह।

नगर पालिका कर्मचारियों के अनशन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। दो दिन की छुट्टी होने वाली है, शनिवार और रविवार की। हमारी विधान सभा के सामने दो-तीन तम्बू लगे हैं। एक नगरपालिका के कर्मचारियों का है जो आमरण अनशन कर रहे हैं। दो कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। श्री कृष्ण चन्द कपूर की और श्री राम नरेश सिंह की। इसी तरह से सिंचाई विभाग के लोग भी हैं। जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने पंचायत मंत्रियों के मसले को हल करने की बात की, क्या यह उचित नहीं होगा कि मुख्य मंत्री जी इन लोगों के प्रतिनिधियों को भी बुलाकर बात कर लें? नगरपालिका कर्मचारियों की मांगों के बारे में कल जो जवाब मंत्री जी ने दिया वह सही नहीं था क्योंकि उन्होंने यह कह दिया कि अन्तरिम रिलीफ उनको नगरपालिका देगी। वह तो सरकार देगी जैसा कि तय हुआ था। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी का आश्वासन चाहता हूं कि उनसे बुलाकर बात कर लें और मसले को निपटा दें। अनशन में कहीं जान चली गयी, आप तो श्रीमन्, अहिंसावादी हैं, विधान सभा के सामने हिंसा नहीं होने देंगे। तो मुख्य मंत्री जी कुछ बता दें।

श्री अध्यक्ष—

कल वक्तव्य तो हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वक्तव्य से तो काम नहीं चलता। उसमें गलतबयानी हो गयी कि नगरपालिकायें अन्तरिम रिलीफ देंगी जबकि एस०वी०डी० ने जो तय किया था उसके अनुसार सरकार को देना था। तो मुख्य मंत्री जी इस विषय पर बता दें। श्रीमन्, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वह कहने के लिए तैयार हैं, आप जरा सा इशारा कर दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तैयार हैं तो उनको आजादी है। आप कृपा कर बैठें। अब वह बोलना चाहें तो बोल दें। (कुछ रुक कर) वह कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो बात खत्म हुई।

प्रश्नों के गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक सवाल था। बदकिस्मती से १६ वें नम्बर पर आया। मैंने जो बाढ़ के संबंध में भाषण दिया उसमें दो-चार बार राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये नालायक शब्द का प्रयोग किया था। इस पर शायद बड़ी आपत्ति थी कि वह संसदीय है या असंसदीय है। मैं इस सिलसिले में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे १६वें प्रश्न का जो उत्तर मिला है उसमें २२ गांव हैं जिनमें एक को छोड़कर, जबकि संसद सदस्य, श्री चन्द्रिका प्रसाद जी ने दिल्ली से खटखटाया.....

श्री अध्यक्ष—

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री मैनेजर सिंह—

मेरा कहना है कि एक ही गांव में सहायता मिली, २१ में नहीं मिली, जबकि शासन का आदेश है कि जहां इस तरह से घर नष्ट हों वहां कम से कम १२० रु० दिया जाय।

अधिकारियों ने वह नहीं दिया। मैंने नम्बर ८ के बारे में राजस्व सचिव से लिखकर शिकायत की है। राजस्व सचिव ने उसकी प्राप्ति तक नहीं स्वीकार की और कार्यवाही भी नहीं की.....

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास लिखित भेजिये।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मंत्री जी की वजह से यह अनुशासनहीनता और नालायकी फैली हुई है। वह बुलाकर डाटते और कहते, तो होता। लेकिन इनके लिये अतहर हुसेन की वाणी वेद का मंत्र है.....

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास लिखित भेज दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह—

आपके पास लिखित भेज दूंगा। श्री अतहर हुसैन की वाणी इनके लिये वेद मंत्र है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री राम वचन (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल अल्पसूचित प्रश्न ४ लिये गये और आज भी अल्पसूचित प्रश्न ४ लिये गये। अक्सर अधिक से अधिक प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिये आप ऐसी तो व्यवस्था करें कि रोज अधिक से अधिक प्रश्न लिये जा सकें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, हमारे सामने जो प्रश्न आते हैं वे स्थानान्तरित होकर बाद में दूसरे नम्बर पर चले जाते हैं। जब कि पहले दिये हुए प्रश्न पहले आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में आकर आप इस सुझाव को दे देंगे तो मैं उसको देख लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक भी सवाल नहीं आ रहा है। मालूम होता है कि बिलकुल मेरा नाम ही काट दिया गया है।

'नेशनल हेराल्ड' द्वारा नेता विरोधी दल का भाषण न छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न आपके सामने पेश किया है। मेरा आपसे निवेदन है...

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय ने एक प्रश्न उठाया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने और श्री सुरेंद्र विक्रम ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने आपके सम्मुख एक विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दी है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री कृष्णानन्द राय ने उसी बात को कहा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्री कृष्णानन्द राय का नाम उसमें नहीं है जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपके सामने पेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा था कि वे पहले बोल रहे थे, और उसी प्रश्न को यहां इस तरह से दिया गया है । जिस प्रश्न को उन्होंने उठाया था, उसी को श्री कल्पनाथ सिंह ने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाया है। अब सवाल यह है कि इसमें उनका नाम नहीं है तो मैं सोचता था कि जब उन्होंने इस प्रश्न को पहले उठाया है तो उनका नाम इसमें भी होगा । विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो आपने उठाया है वह यह है कि कल आपके विरोधी दल के नेता ने दो तीन घंटे तक भाषण दिया और उसका जिक्र इस (नेशनल हेराल्ड) में कहीं नहीं है । मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ा सा कहीं मार्क कर दिया गया होता तो उससे मालूम होता कि किस तरह से प्रीविलेज क मोशन बनता है। लकिन इसमें कहीं भी पता नहीं लगता । इसमें माननीय नता विरोधी दल के भाषण का कहीं जिक्र भी नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, आपकी बात साफ सुनाई नहीं पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत अनुचित बात है। इस सदन की यह प्रथा रही है कि जो महत्वपूर्ण भाषण होते हैं और खासतौर पर नेता सदन, और नेता विरोधी दल, इनके भाषणों कों ज्यादा प्रामिनेंस दें । अगर इनका जिक्र नहीं है तो मैं समझता हूं कि बहुत अनुचित बात हुई है । इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तो उत्पन्न नहीं होता है, यह प्रश्न इन्तजाम का है और मेरा कर्त्तव्य है इस बात को देखना कि यहां की प्रथा के अनुसार हाउस में जो प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, उस तरह का व्यवहार करें । अगर उनके दिल में थोड़ी सी पक्षपातपूर्ण भावना हो जाय तो मैं अवश्य उनके ऊपर ऐक्शन लूंगा और इस संबंध में मैं उनसे बात करूंगा । लेकिन विशेषाधिकार की हद तक यह जाता नहीं है । इसलिये इसको विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मान कर इसको मैं समिति के पास नहीं भेजूंगा । मैं खुद ही ऐक्शन लूंगा उनके ऊपर जो कुछ कि लेना है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, यह एक बिल्कुल ही पार्टी का अखबार बन गया है । इसको आप देखें ।

श्री अध्यक्ष—

यहां की प्रोसीडिंग्स को छापने का अधिकार उनको इसीलिये दिया है कि वे निष्पक्ष रूप से काम करें और इसको छापें ।

१९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत) †

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो वित्त भाषण १२ तारीख को दिया और १४ तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी शहरी सम्पत्ति और कृषि योग्य भूमि पर चकबन्दी करने का आश्वासन दिया इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । सन् ६२ में जब दोनों कांग्रेस पार्टीज एक थीं, सन् ६७ में भी और सन् ६९ में भी कांग्रेस के घोषणा पत्रों में शहरी सम्पत्ति की सीमा की हदबन्दी करने का आश्वासन दिया गया था । क्यों उसको पूर्ण नहीं किया जा सका, क्यों उसके ऊपर कार्य आरम्भ नहीं किया गया उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी बेहतर उत्तर दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि इन २४ सालों में गांव में रहने वाले व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आमदनी करीब २ वही रही है अथवा गिरी ही है, शहर में रहने वालों की आमदनी में तो वृद्धि जरूर हुई है । यहां पर आर्थिक विषमतायें बढ़ती जा रही हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब ।

यहां के रहनेवालों के आर्थिक स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो वादा उन्होंने वर्षों पूर्व किया था उसको पूर्ण करने की ओर अभी तक कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। इस समय मुख्य मंत्री जी चले गये हैं, वित्त मंत्री जी हैं नहीं । राजस्व तथा कृषि मंत्री जी हैं उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जमींदारी समाप्त हुई प्रदेश में सन् १९५० में तब गावों में बढ़ी हुई जमीन ग्राम समाज को दे दी गई ताकि वह जमीन गरीब आदमियों को दी जा सके परन्तु शहरों में जमींदारी के खातमें का कानून सन् १९६५ में लागू किया गया। किन कारणों से उस कानून को कई वर्षों तक लागू नहीं करवाया जा सका, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है और इसका उससे संबंध है । शहरों में जिन अमीर आदमियों के पास बड़ी हुई जमीनें हैं जिनको वे प्लाट्स बनाकर बहुत अधिक कीमतों में बेंच कर लाभ कमा रहे हैं मध्यम तथा गरीब आदमी उनको ले रहा है और मकान बना रहा है उनके कष्टों की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये था ।

मुझे निवेदन करना है कि शहरों और कस्बों में इस तरह की जो बढ़ी हुई जमीनें हैं वह गरीब आदमियों के मकान बनाने के लिए स्कूल या फिर अस्पताल, बच्चों के खेल के मैदान तथा इसी प्रकार से अन्य विकास कार्यों के लिये गांव की तरह स्वायत्त संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना चाहिये था ।

मेरा यह तीसरा सुझाव है, मान्यवर आपको याद होगा कि १५ अगस्त, १९४७ को जब देश आजाद हुआ था, गांवों में जिस भूमि पर जो आदमी छप्पर या झोपड़ी डालकर रह रहा था उसका वह मालिक बना दिया गया था लेकिन ऐसा शहरों में नहीं किया गया । वहां पर गरीब आदमी अब भी उसका मालिक नहीं हो सका है और उस पर वह एक मंजिला या दो मंजिला मकान नहीं बना सकता है । उसको निकालने की भी बराबर कोशिश की जाती है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो इस प्रकार के जो पट्टे हैं, या जहां गरीब आदमी कच्चा मकान बना कर या छप्पर डालकर बसे हुए हैं उनको उस स्थान का मालिक बना दिया जाय । उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये ।

जहां तक किराये के कानून का सवाल है, मैं यह निवेदन करूंगा कि सन् १९५१ तक के बने मकान इस कानून के अन्दर आते हैं। इसको बढ़ाकर १ जनवरी, १९७१ तक लागू किया जाना चाहिये जिससे उस समय तक के मकान जो बने हैं इस कानून के अन्दर आ जावें । यह कानून किरायेदारों की रक्षा के लिये है, मकान मालकों के लिये नहीं, न जाने कितने मकान मालिक किरायेदारों के पीछे पड़े रहते हैं और जब जी में आता है मुकदमा शुरू कर देते हैं। गरीब आदमी परेशान हो जाता है । कहीं किराया बढ़ाने की चेष्टा की जाती है और कहीं मकान खाली कराने की चेष्टा की जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि कानून जो विचाराधीन है और संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द है उसमें इस बात की चेष्टा की जाय कि किरायेदारों के हित की रक्षा हो सके और ज्यादा से ज्यादा मकान इस कानून के अन्तर्गत आ सकें। समाजवाद

---

†१५ जुलाई १९७१ की कार्यवाही से ।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

का तो नारा दिया जाता है, अभी पार्लियामेंट के चुनाव में इसकी पूरी तरह से चर्चा की गई कि समाजवाद लागू किया जावेगा । हमारे उदित नारायण शर्मा साहब पी० एस० पी० से आये हैं, माल मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो आदमी दूसरे की मेहनत को बैठकर खा रहे हैं उसको समाप्त कराया जाय । इसलिये मेरा ठोस सुझाव है कि किरायेदार को उसके मकान क मालिक बनाने पर विचार किया जाय ।

किसानों का कर्जा सन् १९३७-४० के बीच इन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट पास करके खत्म किया गया था लेकिन आज भी प्रदेश के ग रीब इन्सान १० रुपये उधार लेने जाता है तो ९ रुपये ही दिये जाते हैं उसके बाद हर महीने १ रुपया ब्याज का उसे देना पड़ता है । कोरे रुक्के पर अंठूठा लगवा लिया जाता है । क्या सूद होगा या कितने का रुक्का होगा, यह कुछ भी पता नहीं लगता है । इस व्यवसाय को करने वाले लोगों का प्रदेश में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है । वह कोई इंकमटैक्स भी अदा नहीं करते हैं । संविद सरकार में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो उस जमाने में बिल बना था कि इनका रजिस्ट्रेशन किया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गरीब इंसानों को शोषण न बचाने के लिये जल्द से जल्द कर्जा देने वालों का पंजीकरण हो, कानून बनाकर कर्जे का विनियमन किया जाय जिससे गरीब इंसान शोषण से बच सके ।

मान्यवर, मैं इस प्रदेश के माननीय मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि २४ साल हुए इसको आजाद हुए । यहां १८ प्रतिशत हरिजनों के लिये राजपत्रित सेवाओं में स्थान सुरक्षित हैं लेकिन इन २४ सालों में आज तक ८ प्रतिशत व्यक्तियों को ही सेवायें दिला सके हैं । इनकी सेवायें न मिलने में कहां-कहां त्रुटियां रहीं और उनको दूर करके किस प्रकार उनका प्रतिशत पूरा कराया जा सकता है, इस पर विचार नहीं किया गया । इस पर विचार किया जाना चाहिये ।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता था । जिस विभाग के वर्मा जी मंत्री रहे उस विभाग में १८ प्रतिशत क्यों नहीं पूरा करा दिया ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मैं तो साढ़े सात महीने सरकार में रहा और उस समय भी कोशिश की थी लेकिन यह लोग, कांग्रेस, तो प्रदेश में साढ़े बाईस साल हुकूमत करती रही । कौन जिम्मेदार होगा ? अगर उन लोगों का आरक्षण पूरा नहीं हो पाया । यह कहते हैं कि आठ महीनों में हम पूरा कर सकत थे तो कांग्रेस क्यों फेल रही साढे बाईस साल में । श्रीमन्, आपके जरिये प्रार्थना करूंगा कि जिस आरक्षण की घोषणा हुई उसको पूरा कराने में जो कमियां या त्रुटियां हों, उनको दूर किया जाय । आपकी सरकार ने चतुर्थ श्रेणी में ४५ प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को रखने के आदेश भेजे थे । लेकिन क्या सरकार ने कभी मालूम करने की कोशिश की कि जो आदेश भेजे गये उन आदेशों की पूर्ति भी कोई कर रहा है या नहीं । आदेश दिये जा सकते हैं, आरक्षण की परसेंटेज मुकर्रर की जा सकती है लेकिन अगर उसकी कंप्लायेंसन हो तो इसमें सरकार की कमजोरी है, सरकार की वीकनेस है । आप सहमत होंगे कि पिछड़ी जाति के लोगों का ५३ प्रतिशत है । लेकिन आप देखें कि एक फीसदी भी वह राजपत्रित सेवाओं में नहीं है । इसके लिये किसने रुकावट डाल रखी है । क्या इन सेवाओं में समाजवाद नहीं आता । अगर हरिजन और पिछड़ी जाति के लोगों को गिना जाय तो २/३ से भी अधिक जनसंख्या इन लोगों की हो जाती है । लेकिन जिन लोगों की मोनोपली गुलामी के जमाने में उएथकनकी मोनोपली आज भी है । जिन लोगों का आजादी के पहले सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार था उनका एकाधिकार आज भी है ।

राजपत्रित सेवाओं में ही नहीं बल्कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में भी कभी कोशिश नहीं की गयी कि उन लोगों की संख्या बढ़े । इस बात को सभी जानते हैं कि अगर समाज का कोई भी अंग कमजोर रहेगा तो पूरा समाज कमजोर रहेगा । समाजवाद की दृष्टि से आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक अंग को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में स्थान दिया जाय । जहां तक तृतीय श्रेणी की सेवायें हैं चाहे उनका कृषि से वास्ता हो, पशुपालन या गन्ना विभाग से वास्ता हो, अगर आप सफलतापूर्वक योजनायें चलाना चाहते हैं, तो यह उचित होगा, जैसा कि अमेरिका में भी है कि किसान के बेटा को, जो उस परिस्थिति में फला फूला है, इन सेवाओं में स्थान दिया जाये ।

मैं ऐसा समझता हूं कि सरकारी नौकरियों में जहां व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है वहां उसके साथ साथ शिक्षा में भी उसकी उन्नति होती है और राजनीति क्षेत्र में भी उसके लिये द्वार खुलते हैं । प्रदेश में ८७ फीसदी जनता देहात में रहती है और उसमें भी २/३ आदमी हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं । यदि आई०ए०एस०, आई० पी० एस०, पी०सी० एस०, डी०वी० एफ० आदि सेवाओं के लिये इन आदमियों के लिये कोचिंग की व्यवस्था की जाय तो मेरा विश्वास है कि प्रदेश का समुचित विकास हो सकेगा । (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे १० मिनट और दे दिये जायं ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन् हमारे नेता भाग नहीं ले रहे हैं, इसलिये उप नेता को ही अधिक समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप १० मिनट ले लें ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

श्रीमन्, बेकारी दूर करने के लिए आज बड़ी चर्चा चल रही है । भारत सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिये साढे १२ लाख रुपये रोजगार देने की व्यवस्था करने के लिये दिये हैं । मेरा कहना है कि दैनिक रोजगार देकर बेकारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता । गांधी जी ने जो रास्ता बताया था हमें उस रास्ते को अपनाना होगा, तभी बेकारी की समस्या हल होगी । छोटे उद्योग धंधों को अपनाने से ही रोजगार की समस्या हल होगी । यदि छोटे उद्योगों की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह बेरोजगारी की समस्या कभी हल नहीं हो सकेगी । छोटे उद्योग ही प्रोडेक्टिव (उत्पादक) उद्योग हो सकते हैं, अन-प्रोडेक्टिव (अनुत्पादक) उद्योगों से बेकारी की समस्या हल नहीं होगी ।

श्रीमन्, अपने प्रदेश में अनाज की खरीदारी में जो किसानों की दिन दहाड़े लूट हुई है, उसको यह सरकार नहीं रोक सकी । किसान से ५०-५५ और ६० रुपये क्विंटल में अनाज खरीदा गया, और ७६ रुपये के भाव से बेचा गया वह सरकार को दिखलाया गया । किसान लुटता रहा और यह सरकार देखती रही । मैंने २२–२३ मई को प्रदेश के खाद्य तथा रसद मंत्री को एक पत्र भेजा था, उत्तर प्रदेश की भारतीय क्रांति दल की ओर से भी एक प्रस्ताव भेजा गया था, मगर कोई ध्यान नहीं दिया गया । फूड कारपोरेशन के आदमी व्यापारियों से मिल गये और किसान बेचारा लुटता रहा । करोड़ों रुपये का किसान को नुक्सान हुआ । उधर असामयिक वर्षा के कारण २०० करोड़ से अधिक का किसान को नुक्सान हुआ । सरकार देखती रही और कोई इन्तजाम न कर सकी । अगले वर्ष के लिये अनाज की खरीद के विषय में यह वायदा किया जा रहा है कि सरकार समुचित व्यवस्था करेगी ।

[श्री बीरेन्द्र वर्मा]

जब मई के महीने में सरकार की नोटिस में यह बातें ला दी गयीं थीं तो किन कारणों से सरकार इस बुराइयों को रोक न सकी, इसका मुझे अफसोस है।

जहां तक गन्ने की कीमत का प्रश्न है, पिछले सालों की तरह इस साल भी १६ करोड़ रुपया किसानों के गन्ने की कीमत का बकाया है, सोसाइटी का कमीशन बकाया है, सरकार का सेस बकाया है। सारे देश में कोई भी इस प्रकार का व्यवसाय नहीं होगा कि कच्चा माल सप्लाई कर दिया जाय उसकी छः महीने तक कीमत न अदा हो। पिछले साल से गन्ने की कीमत बकाया पड़ी है। मुझे नहीं मालूम गन्ना उत्पादकों की इस कठिनाई को दूर करने में सरकार क्या कदम उठा रही है। आज सभी चीनी मिल मालिक इस बात को जानते हैं कि किसान को सात फीसदी का सूद उन्हें देना पड़ता है, और अपना व्यवसाय चलाने के लिये उन्हें १२ फीसदी का बाहर से सूद लेना पड़ता है इसलिए वह गन्ने की कीमत रोक रखते हैं और अपना व्यवसाय चलाने में खर्च करते हैं। इस लिए आप के माध्यम से कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि उचित यह होगा कि इस प्रकार का सूद (रेट आफ इंटरेस्ट) निर्धारित करें, जो १२% से भी ज्यादा हो, जैसा कि सेस के ऊपर संविद सरकार ने निर्धारित किया था, फिर भी मिल वाला गन्ना मूल्य नहीं देता है तो पेनाल्टी सूद लगाया जाय सेल्स टैक्स की तरह। फिर भी नहीं देता है तो हर महीने २% अतिरिक्त पैनाल्टी कर लगाया जाय। इससे किसान की बहुत कुछ समस्या हल होगी। जो बैंक से एडवांस मिलता है चीनी के उत्पादन पर, उसका ७० प्रतिशत अगर किसानों के गन्ने की कीमत अदा करने के लिये सीधा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या गन्ना सोसाइटी को दे दिया जाय तो भी किसान की समस्या हल हो सकती है।

मुझे नहीं मालूम कि सरकार किन कारणों से चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ रही है। सवा तीन महीने हो गये, हम लोग नहीं कर सके। हमारी नाकाबिलियत समझ लें। लेकिन यह काबिल आदमी अपनी काबिलियत का सबूत नहीं दे सके। मैं माननीय कृषि मन्त्री और माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण में क्या कठिनाई आ रही है इस पर वह शीघ्र प्रकाश डालें ताकि सबको असलियत का पता चल जाय।

इसके बाद मैं पुलिस के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। मान्यवर, केन्द्र के कर्मचारी हों, या प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हों, किसी विभाग के हों, सब की इतवार के दिन छुट्टी होती है। सब को त्यौहारों की छूट्टी होती है। १५ अगस्त और २६ जनवरी को सब छुट्टी मनाते हैं परिवार के साथ। लेकिन पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिनकी न इतवार को छुट्टी होती है और न त्यौहारों को छुट्टी होती है, न राष्ट्रीय दिवसों पर। वह रात दिन ड्यूटी पर लगे रहते हैं। केन्द्रीय सरकार के डाक, तार और रेलवे विभागों में पहले नहीं की लेकिन बाद में किया गया है उसी प्रकार अपने प्रदेश में पुलिस के कर्मचारियों के लिये छुट्टी की व्यवस्था करें। अगर छुट्टियों में ड्यूटी लें तो उस दिन का एलावेंस उन्हें मिलना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से इंसीडेंटल चार्जेज जो सिविल पुलिस के सब कर्मचारियों को मिलते हैं, लेकिन सशस्त्र पुलिस के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबिल को नहीं दिये जाते। मैं कुछ समय गृह मंत्री रहा हूं। उन दिनों, इन दोनों बातों को, जिनकी मैंने चर्चा की है, आगे बढ़ाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय की दृष्टि से वह इस तरफ ध्यान देंगे और इस अन्याय को दूर करने की कोशिश करेंगे।

जहां तक बिजली का प्रश्न है न्यूनतम गारन्टी चार्जेज यहां हिन्दुस्तान के हर प्रदेश से अधिक हैं। दूसरे राज्यों में कहीं ४८ रुपये, कहीं ५० रूपये और कहीं पर ६० रु० फी हार्स पावर मिनिमम चार्जेज किसानों से लिया जाता है, किन्तु इस प्रदेश में १२० रु० फी हार्स पावर न्यूनतम गारन्टी चार्जेज लिया जाता है और वह ऐसी स्थिति में लिया जाता है जब कि न्यूनतम

सप्लाई की कोई गारन्टी सरकार अपनी तरफ से नहीं देती... (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे तो आधे घन्टे का समय दिया गया था। हमारे नेता नहीं बोल रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी एवज में बोल रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां, नेता को तो शायद आधे घन्टे का समय दिया जाता है। मैं उप-नेता हूं अतः मुझे उतना ही समय दिया जाय जितना कि आप चौधरी साहब को देते।

श्री अध्यक्ष—

अब ५ मिनट रह गये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

५ मिनट तो तब रह गये थे जब आपने लाल बत्ती की थी। तो श्रीमन्, मेरी गुजारिश यह है कि सारे हिन्दुस्तान के प्रत्येक प्रदेश के मुकाबले उत्तर प्रदेश की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो किसानों से बिजली की सबसे अधिक न्यूनतम गारन्टी लेती है और यह सरकार सप्लाई की न्यूनतम गारन्टी अपनी तरफ से देने को तैयार नहीं है। रोजाना उसका मोटर जल जाता है उसका कामकाज बन्द हो जाता है, ट्रांसफारमर्स चोरी चले जाते हैं। ट्रांसफारमर्स की चोरी मान्यवर कोई करता है और दन्ड दिया जाता है उस गरीब किसान को यह कैसा न्याय है। चन्द दिनों हम भी इस विभाग में रहे हैं और हमारी सरकार भी रही है। हम लोगों ने यह कोशिश की कि किसानों पर जो यह जुल्म ढाया जा रहा है उससे उसको छुटकारा दिलाया जाय।

मैं इस नई सरकार से, जो कि अपने को बहुत ही जनता की प्रिय और प्रगतिशील कहती है, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ वह तत्काल ध्यान दें। मान्यवर, यह कैसा समाजवाद है कि प्रदेश में जितने बड़े उद्योग हैं उनमें बिजली का होर्स पावर जितना बढ़ता चला जायगा बिजली का रेट कम होता चला जायगा, किन्तु किसान कृषि के लिये या निर्धन व्यक्ति जब छोटा सा उद्योग लगाता है जिसके बगैर इस देश और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता है तो उसकी सर्वथा उपेक्षा की जाती है। गरीब किसानों से हमदर्दी रखने वाली इस सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसानों और छोटे उद्योगों को भी उसी प्रकार की सहूलियतें प्रदान करें जिस प्रकार की सहूलियतें आप बड़े उद्योगों को देते हैं।

मान्यवर, मैं छोटे कर्मचारियों के सिलसिले में भी कहना चाहूंगा। पंचायत सेक्रेटरीज का इस समय जो आन्दोलन चल रहा था उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कल सदन को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें इन कर्मचारियों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। कल शाम जब वे उनके बीच में गये तो उन्होंने कहा "मेरी उनके प्रति सन् १९६७ से पेश्तर से सहानुभूति रही है किन्तु सन् ६७ के बाद वाली सरकारों ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया"। नहीं दिया होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९६९ में तो उनकी सरकार थी। साल भर तक गुप्ता जी रहे। उनके साथ ९ महीने तक तो पं० कमलापति जी भी रहे। यदि उनकी कोई सहानुभूति उनके प्रति होती तो ९ महीने तक उनकी सरकार रही, तो क्यों नहीं उन आश्वासनों को अमलीजामा पहनाया। अब भी उनकी सरकार है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उन आश्वासनों को अमलीजामा पहनाने की कृपा करें।

इसी प्रकार प्रदेश के स्वायत्त शासन कर्मचारी भी आन्दोलन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वे पहली सरकार की इस सिलसिले में टिप्पणियां देखें और सिंचाई

[श्री वीरेंद्र वर्मा]

विभाग के कर्मचारियों के साथ जो भारी अन्याय हुआ है उसे दूर करें। सिंचाई विभाग के कर्मचारी हों या और किसी विभाग के छोटे कर्मचारी हों, चाहे पंचायत राज के सेक्रेटरी हों, उन सबकी ओर सरकार की सहानुभूति होनी चाहिये। मेरा विचार तो यह है कि सरकार को छोटे कर्मचारियों के साथ ज्यादा सहानुभूति दिखानी चाहिये, उन्हीं को ज्यादा महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये। चूंकि छोटे कर्मचारी का खाने पर ज्यादा खर्च होता है, इसलिये उनको ही ज्यादा महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये और बड़े कर्मचारियों, अधिकारियों को कम। लेकिन होता आजकल यह कि बड़े कर्मचारियों/अधिकारियों को ज्यादा महंगाई भत्ता दिया जाता है और छोटों को कम। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं शिक्षा के सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान प्रायः गांवों का देश है। गांवों में अभी भी अशिक्षा है विशेषकर लड़कियों में बहुत अशिक्षा है। मेरा निवेदन है कि ८ वें दर्जे तक की शिक्षा लड़कियों के लिये लाजिमी कर दी जानी चाहिये। गांवों में प्रशिक्षित अध्यापिकायें नहीं मिलतीं और फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर लड़कियों के भविष्य को बिगाड़ा जाता है, अतः गावों में ८ वीं कक्षा तक सहशिक्षा का प्रबन्ध किया जाय। उससे योग्य अध्यापक भी मिल सकेंगे और मकानों की बचत भी हो जायगी।

लड़कियों के लिये शहरों में सरकारी परिवहन व्यवस्था होती है जहां कि रिक्शा और तांगे भी उपलब्ध होते हैं लेकिन देहात में लड़कियां इधर उधर परिवहन न होने के कारण नहीं आ जा पाती हैं। मैं प्रगतिशील सरकार से निवेदन करूंगा कि गांवों में लड़कियां की उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिये परिवहन की व्यवस्था करने की भी ज्यादे से ज्यादा कोशिश की जाय।

मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह पढ़ कर कि केन्द्र के शिक्षा मंत्री ने अभी हाल में निर्धन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा पर सहूलियात देने की चर्चा की। न जाने कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको उचित वातावरण नहीं मिल पाता। उनको उचित खाना नहीं मिलता और उचित स्कूल में उनका पढ़ना नहीं हो पाता, इस कारण उनका समुचित विकास भी नहीं हो पाता। मैं आशा करूंगा कि गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ओर यह सरकार विशेष ध्यान देगी जिससे प्रदेश का समुचित विकास हो सके।

आजादी का समय ज्यों ज्यों गुजरता चला गया, अपने देश में न्याय भी मंहगा होता गया और दुर्लभ होता चला जा रहा है जो बहुत ही देर में मिलता है। मैं इस सरकार से आशा करूंगा कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि प्रदेश की गरीब जनता को न्याय सस्ता मिल सके, सुलभ हो सके और जल्दी मिल सके। इस बारे में चौधरी चरण सिंह साहब ने एक कमीशन बैठाया था, वह तो शायद खत्म कर दिया गया है लेकिन शायद भारत सरकार ने एक ऐसा कमीशन बैठाया हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि प्रदेश के गरीब इंसानों को सस्ता, सुलभ शीघ्रता से न्याय दिलाने का प्रबन्ध किया जाय।

हमारे प्रदेश की ९ करोड़ की आबादी है और इस हिसाब से दुनिया का आठवां मुल्क माना जा सकता है। इसमें दो हाईकोर्ट हैं—एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ में। यह सरकार जो जनता की सहूलियत देने का दावा करती है उसके मुख्य मंत्री से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के पश्चिमी भाग में, जो ३–४ करोड़ की आबादी वाला भाग है, उसमें हाई कोर्ट की एक बेंच शीघ्र खोलने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

माननीय, जब यह बजट यहां उपस्थित किया गया तो हम सब के मन में यह ख्याल आया कि क्या सचमुच अब हम किसी एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र, वीरेन्द्र जी,

कुछ चीजों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने यह ठीक ही कहा कि यदि २४ वर्ष हुए आजादी के तो उसमें से लगभग साढ़े २२ वर्षों तक कांग्रेस सरकार रही है और डेढ़ वर्ष के लगभग जो सरकार यहां रही वह भी बहुत अर्थों में वही सरकार रही जो कांग्रेस की नीतियों पर चलने की चेष्टा करती थी। मान्यवर, कल मैं प्रारम्भ से अन्त तक माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुनता रहा। मैं किसी औपचारिक रूप से इस चीज की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन बहुत स्पष्ट शब्दों में और अपने आन्तरिक हृदय की भावनाओं से उन्होंने जो भाषण यहां दिया उसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं।

हम सभी लोग एक ही नाव में हैं। और यदि उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से उस पर विचार किया जाय तो उस नाव के मांझी हैं जो कि राज्य संचालन की नौका है। और यदि हम सभी लोग इन चीजों को उस दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा करें जिसकी कि अपेक्षा है तो कदाचित् हम सभी सहायक सिद्ध होते हैं। मैं यदि आज उन चीजों की चर्चा करूं जिनका समावेश इस बजट में किया गया है तो मैं संक्षेप में कर दूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, देखना तो यह होगा कि क्या किसी नये युग का प्रादुर्भाव हुआ है। और यदि किसी नये युग का प्रादुर्भाव हुआ है तो क्या कुछ प्रारम्भिक कदम उठायेंगे जिनके जरिये से हम कुछ आगे बढ़ सकें। मुझे खुशी है कि नेता विरोधी दल, चौधरी गिरधारी लाल जी ने बहुत लम्बी चर्चा की ब्यूरोक्रेसी की।

हमारे मित्र ने भी अभी चर्चा की केवल न्याय के डिलेज की नहीं बल्कि ब्योरोक्रेसी के डिलेज की। मैंने भी इस सदन में अत्यन्त नम्रतापूर्वक कुछ वर्षों तक कार्य किया है इधर सरकार में बैठ कर भी और उधर विरोधी दल में भी। मुझे आजतक एक व्यक्ति की आंखें भुलाये नहीं भूलतीं। उनमें जो करुणा थी वह आजतक मेरे दिल से निकल नहीं पाती। बहुत पहले की बात है, कदाचित १९५६ या ५७ की। उस जमाने में पी० डब्लू० डी० में उपमंत्री के रूप में कार्य करता था। एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया, कदाचित किसी इंस्पेक्शन हाउस में। शरीर जर्जर, बहुत ही अशक्त और ऐसा जिसको देख कर बरबस दया मन में आ जाय। उसने मुझसे कहा कि १४ वर्ष से पी० डब्लू० डी० मेरे एक केस का निर्णय नहीं करता और मुझे उसने खत्म कर दिया है। वह लकवे से मारा हुआ था और बहुत बुरी दशा में था। उसने मुझे बताया कि उसे करीब १२–१४ हजार रुपया मिलना चाहिये लेकिन कोई देता ही नहीं है। उस जमाने में सौभाग्य से या यों कहिये किसी कारण से चीफ इंजीनियर थे मिस्टर विष्ट। उनको मैंने बुला कर पूछा कि इसकी फाइल मंगवा कर देखें कि क्या कारण है। आप विश्वास करें कि १४ वर्ष तक बिल्कुल अन्यायपूर्वक उस व्यक्ति को एक पैसा नहीं दिया गया और कभी वह फाइल इधर तो कभी उधर, कभी कुछ नोटिंग तो कभी दूसरी नोटिंग।

मान्यवर, इस सबसे करुण कथा का पटाक्षेप यह है कि महीने भर में जब तक मैंने उस फाइल को निबटाया और उसकी सूचना भेजी गई उसके लड़के ने आकर बताया कि उस व्यक्ति की ७ दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। आज तक वह ब्यूरोक्रेटिक डिले चलती है। ब्यूरोक्रेसी के सम्बन्ध में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन क्या चर्चा करने से काम चलेगा। आज प्रश्न यह है कि हम इस चर्चा के विषय में कुछ करना चाहते हैं या नहीं क्योंकि उसका सम्बन्ध सभी से है। नेता विरोधी दल इस समय यहां पर नहीं हैं वरना मैं उनको स्मरण दिलाता कि हमीरपुर में एक पुल कितने दिनों से अधूरा पड़ा है। मैं जब वित्त मंत्री के रूप में हमीरपुर गया तो उस पुल को देखा। आज तक उसमें कुछ प्रगति नहीं हुई है। उसके कुछ पायर्स आज तक अधूरे पड़े हैं और उनमें कुछ प्रगति नहीं हुई है। पी० डब्लू० डी० का वह पुल आज तक उसी दशा में है जिस दशा में वह ७ वर्ष पहले था। मैंने उसके विषय में लिखा–पता नहीं क्या हुआ। एक ठेकेदार को बहुत सा रुपया दे दिया गया और रुपये लेने के बाद उसने काम करना बन्द कर दिया।

श्रीमन्, आप भी उससे परिचित होंगे कि उसकी ऐसी दशा है। न जाने कितनी सड़कें ऐसी हैं कि जिनको रुपया मन्जूर हो चुका है पर कभी एक की गलती से और कभी दूसरे की गलती

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

से, कभी एस्टीमेट की गलती से उन पर काम नहीं हो रहा है। वे पुल नहीं बन पा रहे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। आखिर यदि उन सब का हम केवल यहां पर चर्चा कर दें तो इससे क्या फायदा होगा। मैं सोच रहा था कि इस सरकार को कहें कि वह एक कमेटी इस विषय में बिठाये जो इस कार्य को देखे। अभी मैंने लायब्रेरी से रिपोर्ट मंगाई तो मालूम हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म पर ६ बड़ी कमेटी आज बन चुकी हैं और सब की रिपोर्ट मौजूद है। मैं केवल नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में और दूसरे व्यक्तियों में कोई अन्तर नहीं है। हम सब एक हैं। मैं वीरेन्द्र वर्मा जी की ओर से भी बोलता हूं क्योंकि मैं उनकी ओर से इसलिये कहना चाहता हूं कि वह भी हमारे साथ बहुत दिनों तक रहे हैं। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी भी बहुत अर्से तक रहे हैं लेकिन यूरोक्रेसी की डिले को केवल क्रिटिसाइज करना पर्याप्त नहीं है चाहे उसके सम्बन्ध में बहुत रोष प्रकट करें या मैं प्रकट करूं या मेरे मित्र वीरेन्द्र वर्मा जी प्रकट करें।

(इस समय १२ बज कर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर-उधर और सब तरफ की बात यह है कि इसके सम्बन्ध में जितनी कमी है उसके सम्बन्ध में हमें एक सेल जरूर बनाना पड़ेगा और उस सेल के सुपुर्द यह काम करना पड़ेगा कि वह इस कमी को दूर करने का प्रयास करे।

कोई नई प्रगति इस बजट में सरकार ने दिखाई है यह भी हमको देखना है। मुझे मालूम है कि पेन्शन के मामले को लेकर इस नये बजट में पेन्शन की धनराशि का भुगतान शीघ्र-तिशीघ्र किया जाय इसके लिये कुछ कदम उठाये गये हैं। मेरे मित्रों को भी कदाचित यह मालूम है कि पेन्शन का भुगतान नहीं हो पाता और कभी-कभी वह व्यक्ति जो पेन्शन पानेवाला है, वह इस संसार में नहीं रह जाता है। आज बहुत नम्रतापूर्वक इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि कृपाकर इसके लिये कुछ उपाय किये जायं। मेरे मित्र ने यह कहा और खासतौर से विरोधी दल के नेता ने जो मस्तिष्क की भावना का जिक्र किया कि जिस तरह से उनका स्वभाव बन गया है ब्यूरोक्रेटिक डिले का उसको दूर नहीं कर पाते हैं। कौन इसके लिये दोषी है? केवल ब्यूरोक्रेसी को कहना कि वह दोषी है उचित न होगा, और वह कहने लगे कि हम लोग दोषी हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। होता यह है कि सिफारिशों का तांता नहीं टूटता और हम कहने लगे कि हम को वोट देने वाले आते हैं, उनका काम न करें तो वह हमें गालियां देंगे तो इन बातों से काम नहीं चलेगा।

यह सही बातें हैं और हम सबको निश्चित रूप से इन बातों पर विचार करना होगा और इसके लिये किसी सेल का निर्माण करना उचित होगा। मैंने आरम्भ में कहा था कि नये युग की शुरुआत किसी तरह से शीघ्र हो और शीघ्रता इसमें हुई है। मेरे मित्र श्री वीरेन्द्र वर्मा ने जिक्र किया और कहा कि शहरी जायदाद और ग्रामीण जायदाद की सीलिंग के संबंध में सरकार ने जो आश्वासन दिया उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने इस चीज का स्वागत किया जोकि बजट में इशारा है कि ५ लाख से ज्यादा की जायदाद किसी के पास नहीं रहने दी जायगी या ग्रामीण जायदाद पर भी सीलिंग होगी, इसका उन्होंने स्वागत किया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में नये कामों का भी इस बजट में जिक्र है और दो-तीन चीजों की तरफ इशारा है और इसके द्वारा कुछ चीजों पर नये तौर पर विचार करने का प्रयास किया गया है।

आज मैं यदि इस सबका जिक्र यहां करने लगूं कि हम कितने पिछड़े हैं और क्या हमारी दशा है तो बहुत समय लग जायगा। हममें से हर एक व्यक्ति इसको जानता है। आज हम ७ करोड़ ८७ लाख से ८ करोड़ ८५ लाख पर आ गये और इसके लिये हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। शहरों में बढ़ती हुई भारी भीड़, अस्पतालों के सामने लगने वाले लम्बे-लम्बे क्यू, बसों के लिये शहरों में लम्बे क्यू, हमारे पुराने शहरों की गिरती हुई इमारतों का यह ढंग, सफाई

का गिरता हुआ वह स्टैन्डर्ड जैसे कि आप जानते हैं कि पहले किस तरह से सफाई होती है और आज किस तरह से होती है, रेलवे यात्रा में भीड़ें, यह विकलांग और अपंग लोग, वह सारे अपाहिज लोग जो आज शहरों में सहज ही हमारी नजरों के सामने आते हैं, यह भिखारियों की बड़ी भीड़ हमारे प्रदेश और देश की समस्याओं की द्योतक हैं और उनके द्वारा हम बहुत कुछ इन चीजों का अन्दाजा लगा सकते हैं जो आज देश और प्रदेश में हो रही है लेकिन क्या केवल इतने से काम चलेगा ? आज हमारे देश और प्रदेश की समस्यायें बराबर बढ़ रही हैं ?

आज हमारे यहां ६०–७० प्रतिशत लोगों की आय सब-मार्जिनल है जिसमें कि आम तौर पर आदमी जीवित नहीं रह सकता, आज उसको सुचारूरूप से जीवन निर्वाह में परेशानी हो रही है । यह ठीक है कि इधर हमारे प्रदेश की पैदावार कुछ बढ़ी है । हमारे नेता विरोधी दल को इसका कुछ ख्याल था और बार-बार उन्होंने कहा कि जब कि हमारी आय सन् ५० में २५९ रुपया थी, शायद उनको आंकड़े गलत मिले आय उस वक्त २५४ थी । सारे देश की उस वक्त २४७ थी और ७० में हमारी आय २४५ और २४७ थी । सारे देश की आय बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम भी अब कुछ आगे बढ़े हैं और हमारी आय प्रति व्यक्ति फिर २५७ और २५९ हुई है । लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ करना है । आज हमारे सामने अनेक समस्यायें हैं । एक ओर तो बढ़ती हुई मंहगाई, बेकार लोगों की भीड़ जिनकी संख्या २२–२७ लाख बताई जाती है ।

जब चौथी पंचवर्षीय योजना बनने लगी तो हमारे सामने उसका एक ढांचा आया और हमसे कहा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में १७ लाख आदमी बेकार थे । लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद २७ लाख बेरोजगारों की संख्या हो गयी । श्रीमन्, मुझे बड़ी हंसी आयी कि यह अजीब बात है कि चौथी पंचवर्षीय योजना से पूर्व यह संख्या १७ लाख थी और बाद में यह बढ़कर २७ लाख हो गयी । दूसरे पहले जिन समस्याओं को हम समाप्त करना चाहते थे, वे भी उसी प्रकार से हमारे सामने मुंह बायें खड़ी रहीं इसके लिये एक ओर तो हमें कृषि की आय में और पैदावार में वृद्धि करनी पड़ेगी और दूसरी ओर उसी के साथ-साथ निरन्तर इस प्रदेश का औद्योगीकरण करना पड़ेगा । यदि हम कहें कि बिना औद्योगीकरण के हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं तो असंभव बात है। हम लोगों ने प्रारम्भ में जिक्र किया था और सोचा था और वह यह सोचा था कि एक ओर यदि कृषि की आय और कृषि की पैदावार को बढ़ाना है तो दूसरी ओर उस कृषि के क्षेत्र के आस-पास छोटे-छोटे औद्योगिक संस्थान स्थापित करने पड़ेंगे । एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का निर्माण करना पड़ेगा और यदि · · · (व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

हमारे माननीय सदस्य इधर से उधर जाने में बहुत माहिर हैं ये बोलने में भी माहिर हैं जब इधर थे तब भी बहुत बोला करते थे । और इधर से उधर जाने में इनकी कितनी दुर्दशा हो रही है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, मुझे अपने मित्र से कुछ शिक्षा नहीं लेनी है ।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, जब ये परिवहन मंत्री थे तो इन्होंने १० लाख रुपये का गबन किया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब वे मंत्री थे तब यह प्रश्न आपने क्यों नहीं उठाया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, यों मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर मेरे मित्र कुछ लिख कर दे देंगे तो मैं उनका बहुत आभारी हूंगा ।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि इस मामले की जांच करायी जाय ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

यदि वे बाहर लिख कर दें तो कदाचित उनको पता चलेगा क्या. . . .

श्री विजय बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मैं नोटिस देता हूं कि इसकी जांच करायी जाय और अगर बात झूठी हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन, मेरे मित्र. . . . (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब एक माननीय सदस्य बजट भाषण करते हों और दूसरे माननीय सदस्य द्वारा इस प्रकार का चार्ज लगाया जाय तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अगर इस तरह से हाउस की परम्परा रही तो मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी ।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, इन्होंने सरकार में रह कर कोई काम नहीं किया है ।

श्री त्रिवेणी राय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य जब बजट पर भाषण कर रहे हैं तो उनके व्यक्तिगत करेक्टर पर इस प्रकार से आक्षेप किया जा रहा है ।

श्री बांके लाल —

ये पूरे प्रांत का क्या भला करेंगे जबकि ये खुद का भला कर रहे हों ।

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार से आक्षेप करेंगे तो किसी भी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी ।

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, ये लोग चोरी भी करते हैं और गाल भी बजाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न ठीक है कि कोई आक्षेप नहीं करना चाहिये और यदि आक्षेप करते हैं तो यह हम अब गम्भीरता से लेंगे क्योंकि इस सदन में अगर कोई आक्षेप किया गया है तो उसका उत्तर तो माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने दे दिया और बाहर किया जाय तो न्यायालय है। उस आदमी को या अपने को किसी न किसी को विधि के अनुसार दंडित करा सकते हैं लेकिन इस सदन के अन्दर जो वाणी स्वातंत्र्य है इसके तहत कोई आरोप करके उसका दुरुपयोग न करें ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)––

मैं प्रार्थना करता हूं कि जो शब्द बोले गये हैं ये प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज करा दिये जायं ।

श्री त्रिवेणी राय––

श्रीमन्, जो इन्होंने आरोप लगाये हैं वे ये वापिस लेते हैं या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष––

यह आपके कहने मात्र से नहीं होगा । जो लिखित मिलेगा उस लिखित पर कार्यवाही होगी । शेष सवालों का जवाब माननीय लक्ष्मी रमण जी ने दे दिया है । इसलिये वे अपना भाषण जारी रक्खें ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि यह कुछ हद तक तो सही है कि कुछ लोग नाराजगी जाहिर करें । लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं कि हम सभी लोग यहां कुछ कार्य करने के लिये आये हैं । यदि कोई आक्षेप की बात भी है तो मैंने तो उस समय भी कहा था । आज फिर उसको दोहरा देना चाहता हूं कि यदि सचमुच इस प्रकार मेरे सार्वजनिक जीवन पर जो अपने स्थान पर है. . . .

श्री वीरेंद्र वर्मा––

अभी माननीय लक्ष्मी रमण जी ने कहा कि मैं अपील करना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपील तो मुकदमा हारने के बाद की जाती है । क्या वे हार गये हैं जो अपील कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––

मैं मुकदमा हारा भी हूं । पर मैं मुकदमा जीतकर भी अपील करता हूं । तो मैं ह रहा था कि कुछ लोगों का यह स्वभाव है कि वे नाराजगी जाहिर करते हैं । किसी दिन र लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की थी । उसको इस तरह जिक्र करें वह अच्छा नहीं है ।

श्री बांके लाल––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । जब आपने व्यवस्था दे दी तो यह क्यों कह रहे हैं कि ये नाराज हैं । अगर मेरा आरोप सही है तो आपको नाराजगी हुआ करें । आपने अपनी इतनी हैसियत बढ़ाई, इतना रुपया बढ़ाया । फिर आप निर्लज्जता पूर्वक बात करते हैं । अगर मेरी बात सही नहीं है तो मैं इस्तीफा देने के लिये भी तैयार हूं ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य––

यदि मेरे मित्र को स्वीकार है तो मैं आज आपके सामने प्रिविलेज का प्रश्न उपस्थित करता हूं । यह पहली मर्तबा नहीं है । शायद एक दो बार पहले भी हो चुका है । मैं आपको लिखित प्रिविलेज का प्रश्न इन दोनों माननीय सदस्यों के विरुद्ध दूंगा ।

श्रीमन्, मैं यह जिक्र कर रहा था और अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं जिन चीजों का चर्चा कर रहा था कि यदि आज हम इन चीजों पर विचार करें तो हमको देखने की बात तो केवल एक होगी कि जिन नई दिशाओं के प्रति इशारा किया गया है क्या उनकी ओर बढ़ने की चेष्टा की गई है और मैंने श्रीमन् जिक्र किया. . . . . .

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

श्रीमन् ये धमकी दे रहे हैं हमारे जैसे लोगों को....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बांकेलाल जी, इस तरह से आप समय बरबाद नहीं कर सकते हैं। मैं सदन के अन्दर आपको टोकता हूं। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री बांकेलाल—

आप कुर्सी का रुआब मत दिखाइय .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। आप इस सदन के लिये लज्जा हैं। आप सदन का अपमान करते हैं। आपका यह अभद्र व्यवहार नहीं चलने दिया जायेगा। आप बैठिये।

श्री वीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, आप कितना समय देंगे हर सदस्य को, क्योंकि आचार्य जी को ३५ मिनट तो हो गये।

श्री उपाध्यक्ष—

१२-४५ पर आचार्य जी ने शुरू किया। जब आप अवरोध करते हैं तो समय बढ़ जाता है। अगर आप अवरोध न करते तो दस-पांच मिनट में समाप्त हो जाता।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि कुछ नये पग उठाये हैं और इस बजट में इस बात का भी जिक्र है कि पब्लिक सेक्टर में कुछ नये उद्योग-धंधे हम कायम ही नहीं करने जा रहे हैं बल्कि उनकी निश्चित एक योजना भी है।

मान्यवर, मैं एक चीज इस सरकार से जरूर कहना चाहता हूं कि वह रटील से संबंधित औद्योगिक इकाइयां हों या पब्लिक सैक्टर की दूसरी इकाइयां हों, आज प्रत्येक व्यक्ति यह जरूर कहता है कि हमारी औद्योगिक इकाइयों का कार्य अच्छा नहीं चलरहा है इस संबंध में बहुत सी चर्चायें हुई। दिल्ली में जब संगठन कांग्रेस का जलसा हुआ तो उसमें भी इसका जिक्र हुआ, हमारे मित्र भी इस संबंध में जिक्र करते हैं और मेरा निश्चित विश्वास यह है कि सचमुच पब्लिक सैक्टर भी इकाइयों के संबंध में उतना अच्छा कार्य जितना कि होना चाहिये था नहीं हो पा रहा है। नेता विरोधी दल ने भी इस बात को कहा है। श्रीमन्, पब्लिक सैक्टर आने वाले समय के लिए एक निश्चित सत्य है। उसके लिये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के कोर्स बनें (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, बहुत समय तो हमारे मित्रों ने ले लिया कुछ समय और दे दें।

तो मैं यह कह रहा था कि चूंकि पब्लिक सैक्टर की इकाइयों का बहुत कार्य आगे बढ़ेगा यह संभव नहीं है कि यह कार्य रुक सके और प्राइवेट सैक्टर को उसी प्रकार कार्य करने का अवसर आगे भी मिल सके जैसा कि इस वक्त है, क्योंकि जो बैंकों का नेशनेलाइजेशन हुआ है उसके बाद इसका प्रारूप निश्चित रूप से बदलेगा। तो आखिर इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है और क्या किया जाना चाहिये। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रत्येक राष्ट्र एक बौद्धिक टैम्परामेंट के जरिये से आगे चलता है।

हमारे यहां कुछ कठिनाइयां हैं । एक ओर तो हम डेमोक्रेसी चलाते हैं । उसमें वह जोर-जबर प्रक्रिया नहीं होती जो दूसरे देशों में होती है तो जब जनतांत्रिक प्रणाली में प्लानिंग और पब्लिक सैक्टर काम करता है मस्तिष्क में जो प्राइवेट सैक्टर की भावना है वह समाप्त नहीं हो पाती और उसका दुष्परिणाम यह होता है चा मजदूर वर्ग हो या दूसरा वर्ग हो, वह इस पब्लिक सैक्टर के इकायों में उतना कार्य नहीं करते जितना कि करना चाहिये।

मेरा इस संबंध में निवेदन यह था कि वैसे तो आज एक दूसरे रूप को हमने स्वीकार किया है जबकि ५ लाख की सम्पत्ति को एक सीलिंग करने की बात हमारे मन में है तो आज मैं इतना नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब तक कांस्टीट्यूशन में कहीं संशोधन होकर सम्पत्ति को रखने की जो हम लोगों के यहां स्वतंत्रता है या जो वैधानिक अधिकार है उसको किसी न किसी रूप में कहीं तर्क न किया जायेगा तब तक यह टेम्परामेंट समाप्त होने वाला नहीं है और जब तक यह टेम्परामेंट समाप्त नहीं होगा तब तक पब्लिक सेक्टर की तनी उन्नति नहीं हो पायेगी जितनी उन्नति होनी चाहिये ।

एक दूसरी चीज की चर्चा मैं और कर देना चाहता हूं । पूर्व इसके कि मैं और किसी चीज की चर्चा करूं अपने नारायणदत्त तिवारी को बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने कुछ नये कदम उठाये हैं । और यदि उस ओर नये कदम न उठाये जायेंगे तो इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर न होगा । आज इस पिछड़ेपन को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि यदि अपने यहां कृषि की पैदावार को हमें बढ़ाना है तो निश्चित रूप से यहां औद्योगीकरण करना पड़ेगा यदि औद्योगीकरण की ओर हमारी प्रगति न होगी तो निश्चित रूप से हमारी कृषि भी पीछे रह जायेगी बहुत-सी समस्यायें इस प्रदेश में हैं उन सभी समस्याओं के लिये थोड़े समय में कुछ कहना मेरे लिये संभव है और न किसी और के लिये ।

इसके पहले कि मैं पुनः एक बार फिर इस सदन के समस्त सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि कुछ समस्याओं की ओर, जैसे हरिजन समस्या का जिक्र बहुत आया । इसका जिक्र चाहे विरोधी दल के नेता ने किया हो, चाहे श्री वीरेंद्र वर्मा ने किया हो, चाहे इधर के कोई सज्जन इसका जिक्र करें, चाहे उधर के कोई सज्जन जिक्र करें, लेकिन इसको समस्त सदन जानता है कि हरिजनों के लिये जो कुछ होना चाहिये वह इन पिछले २४ वर्षों में नहीं हो पाया । इसको स्वीकार करने में रंचमात्र भी किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । जितनी शीघ्रता से यह कार्य पूरा होना चाहिये उतनी शीघ्रता से यह कार्य पूरा नहीं हो पाया । लेकिन इस बजट में उसका पूरा जिक्र है और आगे क्या-क्या काम किया जा रहा है उसका भी जिक्र है । इसके पहले कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं, कुछ जिक्र उर्दू के संबंध में भी कर देना चाहता हूं ।

हमारे विरोधी दल के नेता साहब ने हिन्दी का कुछ जिक्र किया और हिन्दी के संबंध में सरकार ने जो कदम उठाये हैं उसकी उन्होंने प्रशंसा की है । मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इसकी प्रशंसा की है । उर्दू के संबंध में जो कदम उठाया गया है उसमें एक कठिनाई है । मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत नम्रतापूर्वक इस सदन में कहना चाहता हूं कि उर्दू के संबंध में हमलोगों के मन में एक दीवार बन गयी है और दीवार से उर्दू को साम्प्रदायिकता से संबंधित कर देना चाहते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मानसिक दीवार को हमें समाप्त करना पड़ेगा । उर्दू जो है वह सब की भाषा है । जैसे हिन्दी सब की भाषा है वैसे ही उर्दू को भी सारे प्रदेश की भाषा स्वीकार करने में हमें रंचमात्र भी कोई संकोच नहीं करना चाहिये । इसका यह अर्थ नहीं है कि उर्दू से जो हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है उसको कहीं कोई क्षति पहुंचे । किसी भाषा को किसी एक भाषा से कोई क्षति नहीं

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

पहुंच सकती तो एक बार मैं पुनः माननीय नारायण दत्त तिवारी को बधाई देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक नये प्रकार का समाजवादी बजट जो उन्होंने इस प्रदेश के सामने रखा है जिससे इस प्रदेश में नये कदम उठाये जायेंगे और हमारा प्रदेश आगे प्रगति के पथ पर बढ़ सकेगा ।

*श्री रामवचन (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि "थोथा चना-बाजे घना" तो यही नीति कांग्रेस के लोगों की रही है । मैं समझता हूं कि माननीय आचार्य जी सरकार में बहुत दिनों तक रहे हैं और ज्यों ही उनको लगा कि संविद की सरकार गिरने वाली है तो तुरन्त अपना रंग बदला और उधर जाकर फिर बैठ गये ।

अगर यह सरकार में नहीं है तब भी यह उनको राय दे सकते हैं । श्री आचर्य जी प्रायः अपनी भावनाओं तथा अपनी बात के बल पर अपना दोष छुपाना चाहते हैं । आज गांव वाले इस बात को जान गये हैं कि समाजवाद क्या है, कांग्रेस समाजवाद को गांवों तक पहुंचाकर स्वर्ग मे बैठालने का ख्वाब दिखा रही है और वह शायद इससे भी ऊंचा उनको पहुंचाने को कहे । मान्यवर आप बजट भाषण को देखें । यह भाषण ३३,३४ पृष्ठों का है जिसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने यही कहा है कि हमको यह करना है वह कराना है । आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसमें कुछ भी नहीं है । अपनी इन्हीं सभी बातों को वे दो तीन पृष्ठों में दे सकते थे परन्तु यह तो मालूम होता है जैसे कि वह कोई चुनाव का घोषणा पत्र हो ।

मान्यवर, हमारे देहात के लोग अभी भी अशिक्षित हैं उन्होंने हमें विधान सभा के सदस्यों को भी समझ लिया दुख है कि जिन चीजों को बजट भाषण में रखना चाहिये वे इसमें बिल्कुल ही नहीं है। सन् १९६१ से लेकर १९७१ तक हम आंकड़ों को पेश करते चले जाय और हमको क्या करना है उसका कहीं जिक्र भी नहीं । अब केवल ५ महीने तो रह गये हैं वर्ष के समाप्त होने में कोई जिक्र नहीं कि क्या करेंगे इस बीच में । २२,२३ वर्षों तक पंडित जवाहर लाल नेहरू यह कहते रहे कि हम यह लायेंगे परन्तु उनसे कुछ आया नहीं हमारे जनसंघ के लोगों ने आरम्भ से ही यह कहा कि इंटर तक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय वह निःशुल्क कर दी जाय । हमारे देहातों में लड़के पढ़ नहीं पाते हैं । हमारा दिल तिलमिला रहा है । पैसा नहीं है कि किताबें ले, मकान नहीं फिर पढ़ने की कोई सुविधा नहीं ये सारी समस्यायें हमारी हैं उनका कहीं निराकरण नहीं है ।

हम तो यह मानते हैं कि यदि हम शिक्षित हों तो हमारे हाथ में बल है, बुद्धि है हम स्वयं आगे बढ़ जायेंगे । हम पिछड़े जरूर हैं लेकिन किसी से भीख नहीं मांगते हैं । हम जमीन नहीं मांगते हैं । यदि पढ़ लिख जायेंगे तो कोई न कोई बिजनेस कर लेंगे दूसरे तरह से आगे बढ़ जायेंगे । क्या आपने इस पर कभी गम्भीरता से विचार किया है ? हर आदमी को काम दीजिये । हर हाथ को काम देने की बात पर आपने कब विचार किया और उस पर क्या किया ? हरियाणा ने हर गांव को बिजली तथा उसको पक्की सड़क से मिलाने की बात कही । आपने ऐसी कौन सी घोषणा की और उसकी क्या व्यवस्था की । थोथे नारे से काम चलने वाला नहीं है । जहां पर आपने पिछड़ेपन का जिक्र किया है वहां पर आपने २१ लाख ८१ हजार रु० की उस के लिये व्यवस्था करने को कहा है ? जो हमारा ६०-६५ प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है क्या वह इस धनराशि से ऊपर उठ सकेगा । क्या आपने इस पर भी कभी विचार किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया ।

आप इस पर कभी विचार करते हैं। आप व्यवस्था करते चले जा रहे हैं। आपने बजट में १० लाख रुपया विधवाओं के लिये रक्खा है। हमारे समाज में विधवायें किसी न किसी समाज से सम्बद्ध रहती हैं। उनको रुपये की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है जितनी कि आप समझते हैं। ऐसी आपकी बहुत सी मदें हैं जो सिर्फ आपके गुर्गों को रुपये देने के संबंध में हैं। घर बनाने के लिये अनुदान दिया जाता है। यह रुपया या तो आपके दलालों की जेब में या मंत्रियों की जेब में जाता है। इसका काफी भाग अधिकारियों की जेब में जाता है और उसके लिये आप कुछ कर नहीं सके हैं। इससे समाज आगे नहीं बढ़ इसकता है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐसी मांगें खत्म कर दें जिनसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं।

इसी तरह से बंगला देश की मान्यता का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश स्वयं इतना बड़ा प्रदेश है कि यदि यह प्रदेश इस बात का संकल्प कर ले कि मान्यता मिलना चाहिये तो कोई रोक नहीं सकता। आपने विधान सभा का प्रस्ताव पास कर दिया लेकिन आप उसको लेने को तत्पर नहीं हैं। आप विरोध में थे तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री टी०एन० सिंह के समय में प्रस्ताव पास हुआ था। उसको मान्यता नहीं मिल रही है, तो उस पर जोर क्यों नहीं देते हैं। फिर सर्वसम्मत से विधान सभा पास इसको क्यों नहीं करती है? जब आप बंगला देश के मसले को हल नहीं करना चाहते हैं तो यह भिखमंगी कब तक चलेगी? जब यह मसला शुरू हुआ था तो जनसंघ के लोगों ने कहा था कि कहीं यह मसला तिब्बत की तरह न बन जाय। आप इस संबंध में केवल लोगों से बातचीत करने और धन मांगने में लगे हुये हैं और गरीब जनता से धन वसूल किया जा रहा है। उसकी रसीद तक उनको नहीं दी जाती है। आप यह रुपया अन्य प्रकार से टैक्स लगाकर भी ले सकते थे लेकिन भीख मांगकर उस रुपये का आप दुरुपयोग करते हैं यह ठीक नहीं है।

मेरे पास आजमगढ़ के कई उदाहरण हैं जहां कि ३,००० रुपया वसूल किया गया है और ३०० लिखा गया है। यह सब आपके विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। इन लोगों में अधिकतर वकील हैं, क्या आप कचहरी में पेशी नहीं कराते हैं, क्या वहां सही न्याय मिलता है, नहीं मिलता है। आपके आदेश डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के पास पहुंचकर जिले में जाते हैं और वहां तक पहुंचते-पहुंचते वह तथ्यहीन हो जाते हैं। फिर आपके आदेश का क्या उपयोग है? आप लोग बहकाने की बात करते हैं। कोई आदमी गांव से आपके पास अपनी तकलीफ दूर कराने के लिए आता है, आपको दरख्वास्त देता है, आपके यहां पीस्टेज फ्री है। एक कार्ड लिख दिया कि फलां अधिकारी से बात करें। वह उस अधिकारी के पास जाता है। वहां उससे कहा जाता है जिला पर जाओ। वहां भी उसकी कोई नहीं सुनता। नतीजा यह कि वह चार सौ, पांच सौ खर्च करके घर बैठ जाता है। यह आपकी बहकाने वाली नीति कब तक चलेगी? इससे आप प्रदेश को कहां ले जायेंगे? इस पर कभी आपने सोचा है। यह बहकाने वाली नीति छोड़कर अगर वर्ष भर में दो तीन चीजें ही आप कर देते तो हम समझते कि आप कुछ करना चाहते हैं।

अगर आपके पास साधन कम है तो एक चीज ही कर देते। सड़कें ही बनवा देते। सड़कें भी नहीं बनवा सकते तो रहट ही लगवा देते। लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं गरीब किसान गरीब ही रहे और आप उसका खून चूसते रहें। यह जो आपकी नीयत है, यह देश और प्रदेश के लिये हितकर नहीं है। कृषि की तरफ देखें आपके प्रदेश में कितने फार्म हैं। दो चार को मैंने भी देखा है। २०० एकड़, २५० एकड़ के फार्म्स हैं लेकिन सब पर घाटा है, किसी में फायदा नहीं। जब आपके इतने बड़े-बड़े फार्म्स पर जहां कि आप खाद, पानी सभी की सुविधा देते हैं घाटा है तो गरीब किसान दो एकड़, चार एकड़ या दस एकड़ में कितनी पैदा करता है? आप क्या उससे उम्मीद करते हैं? कभी आपने बैठ कर इन चीजों पर सोचा-विचारा?

[श्री रामबचन]

बिजली का दुरुपयोग आप देखें। यहां लाइट जल रही है। यहां पर बिजली का दुरुपयोग होता है। सिनेमा में दुरुपयोग होता है। लखनऊ को सजाने के लिये बिजली का दुरुपयोग होता है। गांव में जहां बिजली की जरूरत है आप दे नहीं पाते। वहां जहां बिजली है और लोगों ने खुशी से ली कि ज्यादा पैदावार होगी आप उससे १२० रु० एच० पी० ले रहे हैं। पैदावार अच्छी हुई। किसान ने सोचा गल्ले के अच्छे दाम मिलेंगे लेकिन वह भी उसको नहीं मिल रहे हैं। १२० रु० एच०पी० आप लेते हैं। इन चार महीनों में वह बिजली का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या आपने माफ करने की बात सोची। आपने नहीं सोची। आप तो गरीब किसान का खून चूसना चाहते हैं। गरीब के खून से कुछ एक अमीरों को पनपाना चाहते हैं। हरिजनों की बात को ही लें। वह हल जोतता है। एक बीघा खेत देकर उससे साल भर हल जुतवाया जाता है। क्या आपने कभी उसकी मजदूरी के लिये सोचा। पता नहीं आप कौन सा समाजवाद लाना चाहते हैं। बुरा न मानें तो मैं कहूंगा कि समाजवाद लाना आपके बूते का नहीं। अगर समाजवाद लाना है तो विरोधी दल के लोगों की राय से कोई चीज प्रस्तुत करते तो संभवतः समाजवाद आता।

आप लोग सरकार में हैं, अपनी बात को बहुमत के बल पर पास करा लेंगे, मगर उससे क्या समाजवाद आयेगा? गरीब को राहत मिलेगी? फिर हम इधर बैठने वाले सदस्य क्या केवल व्याख्यान के लिये ही यह अधिकार? हम भी यह चुन कर आये हैं। हमारी बातों पर भी आपको ध्यान देना चाहिये। आज गरीब जनता के खून-पसीने की कमाई को लूटने के लिये आपने पचासों कमेटियों बना दी हैं। धन कमाने के उद्देश्य से ही यह कमेटियां आपने बनायी ताकि विधायक लोग खुश रहें। कोई परिवहन समिति में रख दिया गया कोई लोक लेखा समिति में रख दिया गया, कोई किसी कमेटी में रख दिया गया, क्या इससे समाजवाद आयेगा? जनसंघ की जो नीति है उस पर जब तक यह सरकार नहीं चलेगी, गरीबों का भला नहीं होगा, समाजवाद नहीं आयेगा। वास्तव में आपकी नीयत समाजवाद लाने की है ही नहीं।

इस बजट में आपने केवल तुष्टीकरण के लिये ही कहीं विधवाओं के लिये कुछ रकम रख दी है, कहीं उर्दू के लिये कुछ कर दिया है मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। कौन लोग आज सरकारी नौकरियों में छाये हुये हैं, यह सारा समाज जानता है। आज आप यह भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कि जितनी जगह होंगी उनका प्रकाशन होगा और योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होगा। आज लूट मची हुई है, सिफारिश के बल पर लोग रखे जाते हैं। कुर्सी पर बैठने में ही आपको आनन्द आता है, मगर आज परेशान वह है जो पैदा करके आपको खिलाता है। जब तक उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, समाजवाद नहीं आयेगा। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री त्रिलोचन (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सन् १९६९ से ७१ के बीच यह चौथी सरकार है और आज कोई ऐसा दल नहीं है जो सरकार में न रहा हो और जिसने अपना बजट प्रस्तुत न किया हो हमने किसी में भी ऐसा परिवर्तन नहीं देखा कि जिससे ऐसा समाजवाद आया हो जिसे हम सोचा करते हैं यह सही कि बजट में ४९ करोड़ का घाटा है, मगर इसमें बेकारी दूर करने के लिये, कर्मचारों को अधिक से अधिक सुविधायें देने के लिये, गरीबी दूर करने के लिये विधवाओं के लिये, मजदूरों के लिये, देहातों में सचल चिकित्सालय योजना के लिये, हरिजनों को सुविधायें प्रदान करने के लिये, राजनैतिक पीड़ितों के लिये, कुछ न कुछ कदम अवश्य उठाये गये हैं यह भी ठीक है कि प्रदेश की पर कैपिटा आय घटी है। १९६०–६१ में वह करीब २४६ थी, १९६४–६५ में २५७ हुई, और १९७०–७१ में २५९ रह गयी। बिजली का

कन्जम्पशन भी प्रतिव्यक्ति कितना कम है। यहां का कंजम्पशन सबसे कम है जिससे पता चलता है कि प्रदेश पिछड़ा है। जब तक प्रदेश का पिछड़ापन दूर नहीं करते तब तक दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हम सब कहते हैं कि हमारे प्रदेश का प्रधान मंत्री रहा है, हमारे देश का अगुआपन किया है। लेकिन प्रदेश पीछे भागता चला जा रहा है। यह विचारणीय विषय है।

ऐसा भी कहा जाता है कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पूर्वी अंचल को आगे बढ़ा दिया जाय या पहाड़ी क्षेत्र को या पश्चिमी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाय। इससे प्रदेश का पिछड़ापन नहीं जायगा। शरीर का एक हिस्सा अच्छा बन जायगा तो पूरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिये एक बड़ा कमीशन बना दिया गया उससे पहाड़ी क्षेत्र की तरक्की की जायगी। यह भी देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र के लिए क आयोग बना दिया गया। मध्यवर्ती क्षेत्र इस प्रदेश का पिछड़ा भाग है। इस ब्यूरोक्रेसी ने जो हम पर हावी है इसने जितनी भी योजनायें थीं उनको बढ़ने नहीं दिया है। जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं गलत के हैं। आवश्यकता यह है कि जो प्रोजेक्शनों की चीजों को आगे बढ़ाया जाय। मैं यही कहूंगा, मध्यवर्ती क्षेत्र में न सड़कों की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न सिंचाई की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है।

यह कह देना कि प्रदेश का एक क्षेत्र पिछड़ा रहेगा और बाकी क्षेत्र आगे बढ़ जायेंगे बड़ी भारी तरक्की हो जायेगी, मैं इसे नहीं मानता। मैं यह भी कहूंगा कि मध्यवर्ती क्षेत्र में तरक्की नहीं हुई है। मध्यवर्ती क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें किसी जिले में १६ लाख की आबादी पर २१ हाई स्कूल इन्टरमीडिएट कालेज हैं और ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक लाख की आबादी पर ५०-६० स्कूल हैं। घाटे का बजट पेश किया गया है। हम लोगों से कहा जाता है कि घाटा कैसे पूरा किया जाय इसके लिये सुझाव दें। प्रगतिशील और समाजवादी समाज कैसे बनाया जाय। पब्लिक सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर जब तक आप ठीक नहीं कर सकते प्रदेश का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। पब्लिक सेक्टर में जितनी फैक्टरियां हैं सब में नुकसान की बात कही जाती है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में जितनी फैक्टरियां हैं सब में घाटा है, पिछड़ेज है। अगर हम इस प्रशासन में परिवर्तन नहीं ला सके तो घाटे का बजट होता चला जायगा। गरीब किसान के पैसे का सदुपयोग किया जाय जिससे वास्तविक लाभ हो।

४८ करोड़ रुपये का घाटा है। मिर्जापुर में हिंडोल कम्पनी को दो पैसे में बिजली दी जाती है जिससे तीन करोड़ का घाटा होता है। इसे दूर करने में मैं नहीं समझता कि कहां पर दिक्कत है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम सारी पूंजी ले सकते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि जोत को कम कर सकते हैं। सभी हमारे पास अधिकार हैं। तो मैं कोई कारण नहीं समझता, जब रोज हम कहते हैं नाटविदस्टैंडिंग एनी कंट्रैक्ट टु दि कंट्रेरी, इस तरह का मुआहदा है और अगर इस तरह के मुआहदे को दूर करने के लिये हम सक्षम हैं, जब यह परिस्थिति है तो कोई कारण नहीं है कि हिंडोल कम्पनी का ऐग्रीमेंट क्यों न खत्म कर दिया जाय।

इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इनको नेशनलाइज करें। टेक ओवर करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। क्योंकि टेकओवर करने से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उन्हें नेशनलाइज कर दें। इससे यह होगा कि जो आपका ३ करोड़ का घाटा है उससे ६ करोड़, ८ करोड़, १० करोड़ रुपया तक सरकार को मिल सकता है यह भी देखना चाहिये कि जो पिछड़ेज होने जा रहा है पब्लिक सेक्टर में उसको कैसे रोका जाय। आज हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्टरीज हैं, सीमेन्ट की फैक्टरी है जितनी आपकी कम्पनी हैं पब्लिक सेक्टर की, वे सब घाटे में चल रही हैं। आप जांच करवा लें और उन्हें देखें कि आखिर क्यों ये फैक्टरी घाटे में चल रही है ये उतना पैसा पैदा नहीं करतीं जितनी कि प्राइवेट सेक्टर की फैक्टरी पैदा करती हैं। उसका कारण यह है उसका सारा इन्तजाम ब्यूरोक्रेसी

[श्री श्रीश चन्द्र]

के हाथों में है और वे सक्षम नहीं है। उनको सीखना चाहिये प्राइवेट बिजनेस से किस प्रकार से फैक्टरीज चलाई जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर से सबक लेना चाहिये कि वे कैसे चलाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनमें भावना और चेतना लाई जाय जिसकी उनमें कमी है। अतः इसका प्रयास किया जाय।

समाजवाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक गरीब किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा, उनके घरों में बिजली नहीं पहुंचाई जायेगी, उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे, गांवों में जब तक आप काटेज इंडस्ट्रीज नहीं लगायेंगे तब तक उनकी पर कैपिटा इनकम ऊंची नहीं होगी और तब तक आप समाजवाद नहीं ला सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांवो में काटेज इंडस्ट्रीज खोल दी जायं। इस बात के लिये बजट में प्राविजन नहीं किया गया है। इसका समावेश अवश्य बजट में किया जाना चाहिए था। बजट में सिर्फ यही दिया हुआ है कि फलां फलां जगह पर सर्विस स्टेशन्स खोलेंगे और योजना बुद्ध कार्य करेंगे। देहात में काटेज इंडस्ट्री की व्यवस्था हो, हर गांव में बिजली हो। हमारे वित्त मन्त्री ने सदन को इस बात का आश्वासन दिया है कि ५ वर्ष के अन्दर हम प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा देंगे। किन्तु सोचने की बात है कैसे हर गांव में ५ साल के अन्दर बिजली पहुंच जायेगी जब कि अभी केवल १० या १५ फीसदी गांवों में ही बिजली पहुंची है। योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि गांव में बिजली पहुंच जाय तो काफी फायदा वहां के लोगों को हो सकता है। बिना बिजली के काटेज इंडस्ट्रीज नहीं खुल सकती हैं।

काटेज इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए क्यों कि इससे जो लाखों लोग बेकार हैं उनको रोजगार उससे मिल जायगा और बेकारो की समस्या किसी हद तक दूर हो जायेगी और समाज के पिछड़े हुये जो अंग हैं उनको घर पर ही रोजगार मिल जायेगा और वे नौकरियों की तलाश में नहीं रहेंगे। नौकरियों के माध्यम से कभी भी किसी प्रदेश का कल्याण नहीं हुआ है। हर आदमी चाहता है कि उसे नौकरी मिले और वह उसकी खोज कर उसके लिये सिफारिश भी करवाता है। उसकी सर्व प्रथम इस भावना को दूर करने की आवश्यकता है। उसमें चेतना लाने की जरूरत है। उसको राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत होना चाहिए। औद्योगीकरण की उसे बात करनी चाहिए ताकि वह खुद उसमें मेहनत करे और उससे कुछ पैदा कर सके। हमने देखा है कि जितनी भी योजनाये बनी हैं वह सब फेल हुई हैं। आप सड़कों के बारे में ही विचार करलें। यदि सड़कों को देहातों से सम्बद्ध कर दिया जाय तो वह अपने को कभी खतरे में न समझें। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शहरों और गांवों को राज्य की बड़ी सड़क से मिलान कर देने पर उसकी अन्य कितनी ही समस्यायें सुलझ सकती हैं। अतः एक लिंक रोड सरकार को बनाना चाहिए जिससे गांवों का शहरों से सम्बद्ध हो सके। आज इस विज्ञान के युग में हर आदमी चाहता है कि उसको वे सभी सुविधायें प्राप्त हों जो शहरों में उपलब्ध हैं। विधान द्वारा नये-नये आविष्कार हो रहे हैं उसका फायदा वह भी उठाना चाहता है।

आपके जो विकास खन्ड बने हुये हैं उनमें आप देखेंगे कि जो बी० एल० डब्लूज० तथा कर्मचारी हैं वे काश्तकार की लुटाई करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि काश्तकारों को सुख सविधा और साधन उसी प्रकार दिये जायं जिससे कि वह प्रगति करके देश सेवा कर सकें। आज हम यह देखते हैं कि आज जो हमारे इस प्रदेश के अलावा छोटे-छोटे अन्य प्रदेश बड़ी तरक्की कर गये हैं जैसे 'पंजाब' है, हरियाना है, इन प्रदेशों ने कितनी तरक्की कर ली है, किन्तु हमारा यह उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जो हिन्दुस्तान की आबादी का १/६ है सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है।

ऐसा मालूम होता है कि प्रदेश की अस्थिर अवस्था के कारण इसकी तरक्की नहीं हो पाती है। बहुत बड़ी स्टेट होने के कारण भी यह अनमेनेजेबिल हो रही है। कोई भी मुख्य मन्त्री इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। अगर कोई मुख्य मन्त्री पूर्व का होता है तो वह पूर्व की सोचता है, कोई पश्चिम का होता है तो वह पश्चिम की सोचता है और कोई लखनऊ का होता है तो वह लखनऊ की सोचता है। क्योंकि इसका इन्तजाम ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसलिये इसका विभाजन कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बारे में हमें हरियाने और पंजाब से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसी अच्छी तरक्की की है। अगर, प्रदेश छोटा होगा तो हम इसके उत्थान के बारे में अच्छे तौर से विचार कर सकेंगे, उसके पिछड़ेपन क जल्दी से दूर कर सकेंगे।

खाली बजट में आंकड़े दे देने से कोई काम पूरा नहीं हो सकता। हमने जनता से बड़े-बड़े प्रामिश किये हैं, उनको हमें कार्यान्वित करना होगा। जैसा कि कहा गया कि इस बजट को ५–६ महीने में ही कार्यन्वित करना है और ऐसी ब्यूरक्रेसी के माध्यम से पूरा करना है जिसके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती सिवाय अड़ंगे लगाने के। वह इस बात को भी महसूस नहीं करते कि वह जनता के एक्सचेकर से तनख्वाह पा रहे हैं, उनकी भलाई उ को करना ही चाहिये। कुर्सी पर बैठते ही भावनायें बदल जाती है, सोचने और समझने के तरीके बदल जाते हैं, राष्ट्र के हित की बात वे नहीं सोच पाते। हमें इस ब्यूरोक्रेसी के ट्रेन्ड को बदलना होगा अगर नहीं बदला तो यह डेमोक्रेसी चल नहीं सकती।

इन शब्दों के साथ माननीय नारायण दत्त जी ने जो समाजवादी घाटे का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि वह उस घाटे को पूरा करेंगे। कुछ योजनायें भी रखी गयी हैं, उनके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और समझता हूं कि जो योजनायें वे लायेंगे उनको शीघ्र ही पूरा कर दिया जायगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

श्रीमन्, मुझे विश्वास था कि समाजवाद के इस युग में हमारे समाजवादी मंत्री अपने समाजवादी नारे को साकार करेंगे और कम से कम उसके दो मुख्य पहलुओं---पिछड़े वर्ग और उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों के विकास के लिये कोई ठोस कदम जरूर उठाया जायेगा। इस से मैं इंकार नहीं करता कि उन्होंने अपने बजट में इन दोनों बातों का जिक्र किया है लेकिन वह जिक्र तक ही सीमित रह जाती है। अभी अभी माननीय श्रीमच-द्र जी ने कहा था कि पहाड़ों के लिये बहुत सी योजनायें बनाय जा रही हैं, लेकिन मैंने जो स्वयं वहां की स्थिति को देखा है, वह बिल्कुल इसके विपरीत है। जो पर्वतीय विकास परिषद बनायी गयी है, वह भी एक ढकोसला है। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी चुन-चुन कर लोग को बुलाया गया था सगठन कांग्रेस के सदस्यों को उसमें बिलकुल ही नहीं बुलाया गया। मैं मानता हूं कि नियोजन समिति की बैठक हुई और उसमें नियोजन समितियों के सदस्यों के अतिरिक्त और लोगों को भी बुलाया गया था लेकिन कुछ लोगों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। इस तरह के विकास के मामलों में समाजवादी सरकार ने जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की है और उनको जनता की सेवा से महरूम किया है।

इसके अलावा पर्वतीय विश्वविद्यालय के संबंध में गढ़वाल के विधायकों ने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को दिया था उसके बारे में कुछ सला करने से पहले हमें भी सुनने का मौका दिया जाय। पत्र भेजा गया और १० तारीख को एक मीटिंग बुलायी गयी लेकिन माननीय शिवानन्द नौटियाल भी यहीं मौजूद हैं और मैं भी यहीं मौजूद हू हमें केवल १३ जुलाई को उसकी सूचना मिली। मैं नहीं जानता कि वहां पर क्या फैसला किया गया। मेरे कहने का तात्पर्य

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी]

यह है कि विकास के कार्यों में चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों अथवा विपक्ष के लोग हों, जनता के सभी नुमायन्दों को अपनी राय देने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसा योगदान न देने की शिकायत मेरी इस सरकार से है।

आज हमारे सामने मुख्य समस्यायें हैं पिछड़ा वर्ग, पिछड़े इलाके, बेरोजगारी। हमने स्कूल और कालेज खोले। उनसे लाखों विद्यार्थी हर साल निकलते हैं। उनको नौकरी पाना तो दूर रहा आज उनको विश्वविद्यालयों में दाखिला भी नहीं मिल रहा है। यह ज्वलंत प्रमाण है आज की दुरावस्था का। पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि वह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े इलाके हैं। सामरिक दृष्टि से उनका बहुत बड़ा महत्व है। सारे भारतवर्ष में कोई भी पर्वतीय जिला ऐसा नहीं है जो कि अलग प्रदेश के रूप में न हों। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ८ पहाड़ी जिले उत्तर प्रदेश के साथ सम्मिलित हैं और जो उपेक्षा शासन द्वारा इन क्षेत्रों के प्रति बरती जा रही है उसके खिलाफ आवाज बुलन्द होना शुरू हो गई है और जगह जगह हो रही है।

यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि नई कांग्रेस के एम० पी० श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट और श्री प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने एक नया नारा दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास अलग राज्य बनाये बगैर नहीं हो सकता। यहां पर यह कहा जाता है कि पहाड़ पर हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। हमारी आबादी १९७१ की जनगणना के अनुसार ३४ लाख है। सब पहाड़ी जिलों की जबकि हमारे बराबर आबादी वाले जम्मू काश्मीर को १२४ करोड़ रुपया चौथी योजना में मिला है। हिमाचल प्रदेश की आबादी २८ लाख है उसको ९५ करोड़ रुपया मिला है। इसी तरह से सभी पर्वतीय इलाकों को जो सामरिक महत्व के हैं अधिक धन मिला है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में कम से कम १४ दर्रे ऐसे आते हैं जो चीन की सीमा से मिलते हैं। और सिर्फ इस दृष्टिकोण से नहीं कि हम पिछड़े हुये हैं बल्कि भारत की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये भी इनका विकास होना बहुत आवश्यक है।

पिछले साल अलकनन्दा में बाढ़ आयी, भारी नुकसान हुआ। कई मंदिरों और पहाड़ी इलाकों के लोगों की क्षति हुई। और जब वह बाढ़ आयी तो दो दिन तक आल इंडिया रेडियो ने ब्राडकास्ट नहीं किया। तब तक लोग बह चुके होंगे। जगजीवन राम जी भी वहां गये और सेन्टर की जियोलाजिकल सर्वे टीम भी गयी लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। कोई एल टंग स्टेशन या वायरलेस स्टेशन नहीं खोला गया। अब फिर बाढ़ आयी और फिर यही तमाशा हुआ। कई लोग अपने घर छोड़कर चले गये हैं। और सिर्फ चमोली में ही नहीं, गढ़वाल जिले में आज यह स्थिति है। अतिवृष्टि के कारण कोई संचार साधन नहीं है। वहां यह स्थिति है कि गढ़वाल होकर जाने का रास्ता नहीं है बल्कि नैनीताल, रामनगर से रास्ता है। आज वहां राशन और मट्टी का तेल नहीं जा सकता।

माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में यह तो कहते हैं कि हम सबल अस्पताल खोलेंगे लेकिन उस इलाके में आज तक (ब्लाक आफिसेज) (लाक हेडक्वार्टर्स) भी सड़क से नहीं जोड़े गये हैं। अस्पताल और सबल अस्पताल का प्रश्न ही नहीं उठता। हर लोगों ने जिला परामर्शदात्री समिति में यह राय दी थी कि कम से कम इस योजना के अन्तर्गत ब्लाक हेडक्वार्टर्स को सड़कों से जोड़ दीजिये। यह सही है कि जब से हमने यह आवाज शुरु की है सरकार ने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। किन्तु उसका परिणाम क्या हुआ। मैं ६९ से हर बजट पर बोलता हूं और खासकर पी० डब्लू० डी० के बजट पर मैं अवश्य बोलता हूं।

इस प्रकार से एक बम्बई योजना है उसके अनुसार सन १९८१ तक मार्ग निर्माण की योजना का लक्ष्य पूरा होना चाहिये। मैंने हर बार यह कहा कि पहाड़ी जिलों में गढ़वाल जिला सड़कों

में बहुत पिछड़ा हुआ है। आज जो मैंने प्रश्न किया था और उसका जो उत्तर आया है उसमें उसका स्थान बहुत नीचे है। गढ़वाल ८२ परसेन्ट है। देहरादून १२३ परसेन्ट हो गया। टेहरी १०५ परसेन्ट हो गया। चमोली १२७ परसेन्ट हो गया लेकिन गढ़वाल अभी तक ८२ पर ही लटका हुआ है। हमारे यहां बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें पैदल चलने की भी व्यवस्था नहीं है मैं मन्त्री से कहूंगा कि उनका दौरा करने की कृपा करें।

आज सबसे बड़ी समस्या हमारी यह है कि वहां पर यातायात के साधन नहीं हैं। पेय जल योजना की कमी है। सिंचाई की कमी है। कोटद्वार में कई बार जिलाधीश के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया है और कई बार शिष्ट मंडल भी कोटद्वार से यहां सरकार से मिला लेकिन वहां पर सिंचाई और पेय जल योजना का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। वहां पर दो नदियां अगल-बगल में बहती हैं जो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं। मन्त्री जी ने कहा कि अब हमारे पास ऐसी रिग मशीन हैं कि एक हजार फीट तक बोरिंग कर सकती हैं तो मेरा निवेदन यह है कि कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में ट्यूबवेल की बोरिंग करायें ताकि कम से कम लोगों को वहां पर पीने का पानी उपलब्ध हो सके। भाबर में सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि बरसात के दिनों में नदियों का पानी गंदला हो जाता है। पहाड़ी नदियों की धार बहुत तेज होती है। मिट्टी बहकर आती है तो वह लोगों के पीने के लिये, स्वास्थ्य के लिये बिलकुल ही किसी माने में स्वास्थ्यप्रद नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यों तो सारे प्रदेश के लिये औद्योगिक विकास की आवश्यकता है और बराबर सरकार इस बात पर जोर भी देती रही है कि हम इन्सेंटिव इन्टरप्रेक्योरमेंट को देते हैं मगर कोटद्वार में और श्रीनगर में इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है लेकिन वे सब खाली पड़ी हैं। अभी-अभी समाचार पत्रों में हमने खबर पढ़ी थी.....

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि जब तक बजट का सामान्य विवाद चलता है उस वक्त तक यदि हर विभाग के कोई जिम्मेदार मंत्री या उप मंत्री यहां रहें और वह माननीय सदस्यों के सुझाव और खास-खास विचार नोट करते रहा करें तो अच्छा होगा, केवल वित्त मंत्री के ही नोट करने से काम नहीं चलेगा, उनका तो एक प्रशासनिक विभाग है और कार्य कराने वाले तो सम्बन्धित विभाग दूसरे ही होते हैं।

(गणपूर्ति होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

वह देखा जायगा, अब कोरम हो गया, श्री नेगी जारी करें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज सरकारी पक्ष से आंकड़े दिये जाते हैं कि हमारे यहां इतनी औद्योगिक प्रगति हुई है और कितने ही लघु औद्योगिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हुआ है। श्री सिद्धू जो भारत सरकार के टील कंट्रोलर हैं उन्होंने स्वयं जो वितरण रा-मेटीरियल का होता है उसके बारे में अपना सन्तोष व्यक्त किया है। मुझे भी ज्ञात है कि एक जांच समिति इस सम्बन्ध में बनी थी और उस जांच में केवल आगरे में ही १५० बोगस कम्पनियां फर्जी निकलीं जो केवल कागज पर थीं और वस्तुतः उनका कोई वजूद नहीं था, ब्लैक शीट्स और एम० एन० प्लेट्स जिनका ब्लेक हजार २ हजार तक चलता है वह काले बाजार में बेची जाती हैं।

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

आप जानते हैं कि किस तरह से पर्वतीय क्षेत्र के लोग, बुन्देलखंड के लोग और पूर्वी जिलों के लोग जब अपने यहां कोई उद्योग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको रा-मेटीरियल की दिक्कत बतायी जाती है और वह नहीं मिलता। कारण इसका यही है कि वह दूर रहते हैं और उनकी कोई अप्रोच भी नहीं हो पाती। वह गरीब लोग इन क्षेत्रों के हैं और वे रिश्वत भी नहीं दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आज के युग में जब कि सभी सहूलियतें हैं और बगैर औद्योगीकरण के किसी क्षेत्र का उत्थान सम्भव नहीं है तो हर क्षेत्र की तरफ सरकार की नजर रहनी चाहिये। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र जहां के लोग केवल कृषि पर जीवित नहीं रह सकते। आज पहाड़ के २ लाख आदमी फौज में हैं, शिक्षित बेरोजगार वहां बहुत अधिक हैं। हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक उत्थान के लिये उपयुक्त कदम शीघ्र उठाये जायं, लेकिन जैसी कि आज व्यवस्था है कि बड़े-बड़े शहरों में ही सारा कच्चा माल चला जाता है और जो एक्चुअल यूजर्स हैं, जिनको आवश्यकता है उनको वह नहीं मिलता।

पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग में जंगल है, गढ़वाल में ५७ प्रतिशत क्षेत्र में जंगल है और १४ प्रतिशत ही कृषि योग्य भूमि है जिसमें भी सिंचाई नहीं हो पाती। वहां की रोजी-रोटी का मुख्य जरिया नौकरियां हैं वहां के भाई फौज में जाते हैं और घर मनीआर्डर भेजते हैं, यह वहां की वास्तविक स्थिति है। वहां के ५७ प्रतिशत जंगल से, जो २ वृत्त शिवालिक और गढ़वाल के हैं उन दोनों सर्किल से सरकार को ११ करोड़ रूपये का लाभ होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि चूंकि पहाड़ से कोई आय नहीं होती इसलिये वहां के लिये अधिक खर्च करने का सवाल नहीं है। पहाड़ के जंगल में रेजिन और टरपेनटाइन पैदा होता है, वहां के लोग चाहते हैं कि यह पूरा रोजगार वहीं के लोगों को मिले। सरकार ने इस मांग को किसी हद तक माना भी लेकिन वहां के लोगों को तरह तरह से परेशान किया जाता है, आवेदन देर से दिये जाते हैं और कुछ नहीं भी दिये जाते हैं और कोई इनसेन्टिव उनको नहीं दिया जाता। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

इसके अलावा मैं ध्यान दिलाऊंगा कि जिस वक्त यहां श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री थे तो यह आश्वासन दिया गया था कि हमारे क्षेत्र में २ डिग्री कालेज खोले जायेंगे लेकिन देखने की बात यह है कि बी० ए० और बी० एस० सी० के बाद जो लड़के वहां से निकलेंगे उनको इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलेगा उनको जब तक कि वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट न हों। इसलिये वहां के लोगों की मांग है कि वहां के लिये एक यूनिवर्सिटी खोली जाय क्योंकि वहां के जो लोग नौकरियों में जाते हैं उनके लिये वही एक रास्ता है जिससे वह पुलिस, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० में आ सके। इ के लिये उनके लिये आदश्यक अध्ययन करना लाजमी हो जाता है क्योंकि वही उनकी रोजी-रोटी का साधन है।

इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे पर्वतीय जिलों के विधायकों से उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बात चीत पुनः करें और इस मांग को स्वीकार करें कि गढ़वाल मंडल में एक यूनिवर्सिटी खोली जाय। मैंने यह भी सुना है कि पहाड़ में एक मेडिकल कालेज खोलने की योजना है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ के नाम पर सभी योजनाओं को अपने यहां ले जाने की कोशिश न करें। माननीय विभव जी ने यहां पर कहा कि इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन की ब्रांच नैनीताल में खुल रही है फाइनेन्स कार्पोरेशन की ब्रांच नैनीताल में खुल रही है। पंत नगर यूनिवर्सिटी भी वहां पर है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी पहाड़ का एक्सप्लायटेशन सिर्फ नैनीताल के लिये ही न करें बल्कि सब जिलों के उत्थान के लिये कार्य करें। गढ़वाल मंडल कुमायूं मंडल से बहुत पिछड़ा हुआ है। उनको तरजीह दी जाय। मेरा उनके प्रति कोई आक्षेप करने का मतलब नहीं है। मंत्रिमंडल में वे पहाड़ के प्रतिनिधि हैं। वे इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करें और हमारा भी प्यार पाने का प्रयास करें।

श्री ए० सी० ग्राइस--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर डिस्कशन करने का मौका दिया। मैंने माननीय मंत्री जी का बजट भाषण बड़े गौर से सुना और पढ़ा भी। मुझे अफसोस है कि वे नयी चीजें ला रहे हैं लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उनको भूल रहे हैं। आज एजूकेशन में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जो बच्चे हैं वे नेशन की वेल्थ हैं। अगर उनकी परवाह न करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हमने फयुचर जनेरेशन का कोई ख्याल नहीं किया। इसलिये मैं अपने एजुकेशन के मंत्री से खास तौर से कहना चाहता हूं कि उनको एजूकेशन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये, पूरे प्रदेश की। एक बार यह तय हुआ था कि बोर्ड का बाइफर्केशन होना चाहिये लेकिन पता नहीं क्या हुआ उस बाइफर्केशन के बारे में। मैं रिजनलिज्म के बारे में कोई पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। मैं उसका विरोध करता हूं लेकिन मेरा यह सुझाव है कि हाई स्कूल ऐण्ड इंटरमीडियेट बोर्ड का बाइफकशन हो जाय तो बहुत अच्छा होगा।

दूसरे मैं यह कहूंगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल हैं या म्युनिसिपल बोर्ड के स्कूल हैं, उनको नेशनलाइज किया जाय और उनको शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लिया जाय। इस समय हमारे प्रदेश में एक डायरेक्टर आफ एजूकेशन हैं, वह अच्छी तरह से सारा काम नहीं कर पाता है। मैं चाहूंगा कि एक डायरेक्टर इस्टर्न सेक्शन हो और एक वेस्टर्न हो। तब शिक्षा में उनका कम्पीटिशन होगा और शिक्षा के फील्ड में उन्नति होगी। आज इसके बिना हमारी एजूकेशन बढ़ नहीं रही है।

दूसरे आज हम देखते हैं कि हमारे लड़कों में इन्डिसिप्लिन बढ़ रहा है और वह इसलिये बढ़ रहा है क्योंकि जितने बच्चे इन स्कूलों से आते हैं वे अच्छी तरह से पढ़ कर नहीं आते हैं और जब शहरों में कालेजों या यूनिवर्सिटियों में प्रवेश लेते हैं तो बिलकुल फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उन का उद्देश्य बिलकुल गलत है। मैंने तो विलेज स्कूल को बहुत मर्तबा देखा है। वहां पर मैं देखता हूं कि मास्टरों को उनकी तनख्वाह का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। उन्हें सारा पैसा नहीं दिय जाता है।.....

पोलिटिकल एन्ड्स के लिये हैं वे हमारे लिये कहते हैं वोट दो, हमारा गल्ला ला दो, हमारे आलू प्याज ला दो। यह मैं लिखकर दे सकता हूं और दिखा भीसकताहूं। जब रूरल एजूकेशन नहीं बढ़ेगी तो हमारे शहरों पर इतना दबाव आ जायेगा कि हम लोग उसको ले नहीं पायेंगे। अभी अभी मेरे भाई कह रहे थे कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं, दूसरी जगहों से इतना दबाव पड़ रहा है। हम लोगों के पास इन्तजाम नहीं है। कानपुर में ही मुझे सुबह ७ से ११ बजे रात तक परेशान करते हैं कि हमारे लड़के को स्कूल में भरती करा दो। हमारे बच्चे ही आगे जाकर एजूकेशन लेकर कुछ करेंगे ये ही फयूचर जनरेशन हैं। हमारे हिन्दुस्तान के बाहर और स्टेट्स में बच्चों को एजूकेशन के साथ-साथ वहां मुफत दूध और विटैमिन टैबलेट्स मिलती हैं। हम नेशनेलाइज करना चाहते हैं। वेस्टेज आफ मनी करते हैं। हम बच्चों को देने के लिये इस तरह की चीजों का इन्तजाम नहीं करते हैं।

मेरा सुझाव है कि आप भी और देशों की तरह बच्चों को इस तरह की चीजें दें जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो। अगर हमारे बच्चों के लिये यह हो जाय तो हमारे जो बच्चे हैं विलेज स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट्स स्कूल्स के उनको एजूकेशन का अच्छा इन्तजाम हो जाय। आप बड़े आदमी हैं बाजार जाने का मौका न होता हो पर मैं बाजार जाता हूं। मुझे मालूम है कि आलू डेढ़ रुपये किलो और भिन्डी डेढ़ रुपये किलो सो हमारे यहां के तीन सौ रुपये तनख्वाह पाने वाले कौन बच्चों को राशन दे पायेंगे जब तक बच्चों का ख्याल सरकार खुद नहीं करेगी। इससे क्या होगा? बच्चों में टी० बी०, माल-न्यूट्रिशन और रिकेट्स वगैरह हो जायेंगे।

इसी तरह से मेडिकल कालेजेज की बात करता हूं कि आपने मेडिकल कालेजेज और अगर खुलवा दिये तो जैसे इन्जीनियर पहले बेकार हो गये वैसे ही डाक्टर भी बेकार हो जायेंगे और

[श्री ए० सी० ग्राइस]

आपकी जो रिक्वायरमेन्ट है उसको आप देखें। मैं इसके लिये कहता हूं कि आप हेल्थ सेन्टर्स खोल दें देहातों में, और दूसरी जगहों में वाटर सप्लाई, ड्रेने और प्रिवेन्टिव मेडिशन्स रखें। अंग्रेजी में कहावत है---"इट इज बेटर टु हैव रेलिंग एट दि टाप आफ दि हिल दैन प्लेस एन एम्बुलैन्स एट दि बेस"।

देहातों में सब जगह मोबाइल हास्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हो जायं तो फिर आपकी फेमिली प्लानिंग का भी अच्छी तरह से काम चलेगा। नहीं तो यूनिवर्सिटीज और मेडीकल कालेजेज खोलने से सिर्फ डाक्टर्स का ही प्रोडक्शन होगा। डाक्टरों के अलावा नर्सेज की भी बहुत जरूरत है।

उत्तर प्रदेश में नर्सेज की बहुत कमी है। मैं नर्सेज एण्ड मिडवाइफ बोर्ड पर हूं। मैं जानता हूं कि बड़ी कमी है। उनको १२-१२ घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, बिल्कुल फुरसत नहीं मिलती। एक-एक नर्स को तीन-तीन सौ मरीजों को देखना पड़ता है। हमारी राय है कि नर्सेज को ज्यादा सुविधायें दीजिये, तब नर्सिग प्रोफेशन में लोग आयेंगे। अभी नर्सिग प्रोफेशन में लोग आना नहीं चाहते। केराला आदि दूसरी जगहों से आप मांगते हैं। नरसेज के साथ व्यवहार की एक मिसाल मैं देता हूं। एक मिसेज मारशल हैं कानपुर में। दो साल हो गये उनको रिटायर हुये। न प्राविडेंट फंड मिला, न पेंशन मिली। वह भूखों मर रहीं हैं। हमारी वाइफ के पास आयीं। २० रु० हमारी वाइफ उसको दे रही हैं। हमने दस बार शर्मा जी से कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसी तरह नर्सिग स्टाफ के साथ व्यवहार होगा तो नर्सिंग स्टाफ भाग जायगा।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो आपका इलैक्ट्रिक सिटी इम्पायर हो गया है। मैं उसके बारे में कहना शुरू करूंगा तो २०-२५ मिनट लग जायेंगे। आप उसको देखिये। उसको सब-डिवाइड कीजिये। नहीं तो वह आपके गले का भार हो जायगा। और आपको नीचे डुबो देगा।

मैं मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास की बात खुदा के लिये छोड़ दीजिये। से बैकवर्ड सेक्शन, नाट बैकवर्ड क्लास। क्या चपरासी में सब बैकवर्ड क्लास हैं? उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, जैन सब हैं। इकानामिकली बैकवर्ड को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसकी आप मदद कीजिये तो ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि अछूत की बात हटाओ। जब तक आप वाटर टाइट कम्पार्टमेंट रखेंगे, बैकवर्ड क्लास और हरिजन रहेंगे तब तक वह रहेंगे। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लास की बात हरिजन की बात हटाइये और इकानामिकली बैकवर्ड क्लास की बात कीजिये। अभी तो मेरी लाल बत्ती नहीं जली है। (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, हमें भी तो मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको भी मिलेगा। अभी तो श्री ग्राइस बोल रहे हैं। उनका समय अभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री ए० सी० ग्राइस---

एक बात यह है कि ५ लाख रुपये की सीलिंग जो आप ला रहे हैं उस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इससे आज जो अपर मिडिल क्लास है उसको आप गरीब कर रहे हैं। आपको चाहिये कि पहले जो इन्डस्ट्रीज हैं उनको नेशनलाइज करके फिर इ सीलिंग को लाते। दूसरी बात यह कि रोज-रोज डी० ए० बढ़ाने की मांग इम्पलाइज की तरफ से रहती है। इसका कारण

यह है कि बाजार का भाव बराबर बढ़ता जाता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि आप सबसिडाइज्ड ग्रेन शाप्स व दूसरे शाप्स इम्प्लाईज के लिये खोलें जहां से वे अपने लिये सामान खरीद सकें। इससे यह होगा कि ओपेन मार्केट में जो भाव बढ़ रहा है वह भी समाप्त हो जायेगा और आपको डी० ए० देने में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम में ही आपका काम हो जायगा। और इम्प्लाईज के लिये भी सुविधा हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

माननीय, मैंने वित्त मंत्री के भाषण को बड़े गौर से पढ़ा। बड़ा लम्बा भाषण है। हमारे वित्त मंत्री जी विद्वान हैं लेकिन उनके भाषण में से कोई तत्व नहीं निकला क्योंकि शासन की यह इच्छा है, शासन की यह इच्छा है बार-बार यही कहा गया है और कहीं पर भी शासन की ओर से यह नहीं कहा गया है कि सरकार यह करने जा रही है। माननीय, मुझे क्षमा करेंगे—हमारे पुराणों में बहुत-सी कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी यह है कि रावण की बड़ी इच्छा थी कि स्वर्ग से नरक तक जाने के लिये एक सीढ़ी बनवा दी जाय लेकिन उसकी वह इच्छा पूरी न हो पायी। कहने का मतलब यह है कि इच्छायें तो बहुत होती हैं लेकिन शासन ने स्पष्ट रूप से यह कहीं संकेत नहीं किया है कि वह क्या करने जा रहा है। तो मुझे इस भाषण को पढ़ने के बाद बड़ निराशा हुई।

दूसरी बात यह है कि गांधी जी के नाम पर ही सरकार चल रही है। आपके मुकुट के ऊपर महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है लेकिन मैं देखता हूं कि इस बजट भाषण में इन्दिरा जी का नाम तो एक-दो जगह आया है लेकिन राष्ट्रपिता पूज्य बापू का नाम एक बार भी इसमें नहीं आया है। मालूम होता है कि महात्मा जी के बतलाये हुये मार्ग को वे भूल गये। वी० के० आर० वी० राव जो इस देश के पहले सेंटर में मंत्री रह चुके हैं उनके एक लेख की चर्चा मैं कर देना चाहता हूं। जब माननीय कमलापति जी का मंत्रि मंडल बना तो वह चैत्र महीने की रामनवमी को बना जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था। इस पर श्री राव ने लिखा कि स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य की स्थापना होगी, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था। लेकिन बजट साहित्य व बजट भाषण को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता। वास्तव में अगर देखा जाय तो आज उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का मरीज स्टेट है, सिक स्टेट है।

जिस तरह से उन्नीसवीं शताब्दी में सिक टर्की की स्थिति यूरोप के अन्दर थी वही स्थिति आज यू० पी० की हो गई है। बाद में टर्की में ऐसी योजनायें बनायी गयीं जिनके आधार पर वह यूरोप के और देशों के समकक्ष आ गया, उसी तरह से यू० पी० के लिये भी योजनायें ऐसी बननी चाहिये जिनसे वह भी टर्की की स्थिति में आ जाय। साक्षरता के मामले में यू० पी० कितना पिछड़ा हुआ है, पिछले १० वर्ष के आंकड़े देखने से ही आपको इसका भान हो जायेगा।

साक्षरता की दृष्टि से १९६१ के आंकड़ों के आधार पर भारत का आंकड़ा २४ प्रतिशत उत्तर प्रदेश का १७.६ प्रतिशत और महिलाओं का केवल ७ प्रतिशत था। दो चार स्कूलों के खोल देने से इसमें किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हो सकती है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो १९६३–६६ में तीन सालाना आय पूरे भारत का औसत आय ३७२ रु० और उत्तर प्रदेश का ३०६ रु० महाराष्ट्र का ४९०, पश्चिमी बंगाल ४६५, गुजरात का ४६२ तथा हरियाणा ४४५, तामिलनाडू का ४०० रु० था। इसी प्रकार से यदि हम औद्योगीकरण नागरीकरण की दृष्टि से इसको देखें तो १९६१ में उ० प्र० में शहराती जनसंख्या १२.९, पंजाब २३.१, मैसूर २२.३, तामिलनाडू २६.७, महाराष्ट्र २८.२ और अखिल भारतीय १८ प्रतिशत थी। यहां पर कारखानों में काम करने वाले मनुष्य जो कि मजदूरी करते थे १९६८ में ४ .२, पश्चिमी बंगाल में १९९.६ महाराष्ट्र १९६.८, गुजरात १६०. , तामिलनाडू १०७.७ था और पूरे भारत की औसत १७ प्रतिशत थी। इसी प्रकार से अगर हम बिजली

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी]

की खपत को देखें तो हमको यह मालूम होगा कि प्रति किलो वाट घंटा १९६५ में उत्तर प्रदेश का ३० प्रतिशत था, पश्चिमी बंगाल ११ ४, महाराष्ट्र १०६, पंजाब १०२, तामिलनाडू ८९, गुजरात ८३ था और अखिल भारतीय आंकड़े का १ २ था। मान्यवर, औद्योगिक पिछड़ापन भी अगर हम देखें तो मालूम होगा कि अखिल भारतीय औसत का ७६ प्रतिशत उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल १०७ प्रतिशत, तामिलनाडू ११४, गुजरात १४७, महाराष्ट्र १४६, पंजाब १३७ तथा हरियाना १२० था। अगर हम उत्पादित वस्तुओं की तरफ ध्यान दें तो हमको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में यह ६.३ प्रतिशत जब कि महाराष्ट्र में यह २५.४ रहा।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक साधन कुछ कम नहीं है। पर उनका पूरा सदुपयोग हम नहीं कर पाये हैं। भूमिगत जल स्तर उत्तम है। संसार में उत्तम है यदि हम इसका पूरा सदुपयोग कर सकें तो इससे बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं। इससे भारत का अन्न भंडार और अधिक बढ़ाया जा सकता है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है परन्तु यह अन्य प्रदेशों से जैसे कि पंजाब, हरियाणा एवं पंजाब से बहुत पीछे हैं। शिक्षा में यहां पर जितनी अशान्ति व्याप्त रही उतनी अन्य किसी भी प्रदेश में नहीं रही। अध्यापकों तथा छात्रों में अशान्ति यहां पर अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अधिक रही है। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर जायेगा। इसी संदर्भ में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में लोगों की भावना जो उत्तर प्रदेश के प्रति आजादी के पूर्व या बाद थी, अब नहीं रही है। इसीलिये मैंने बतलाया था कि उत्तर प्रदेश का हृदय रोगी है। यदि हृदय रोगी है तो दिमाग भी रोगी रहेगा, तो सारा भारतवर्ष कैसे प्रगति करेगा? वित्त मंत्री जी का भाषण सुनकर मुझे बड़ी निराश हुई है। किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं हुई है।

प्राकृतिक संसाधनों में जल की दृष्टि से यह प्रदेश ठीक है। वाटर लेविल बहुत अच्छा है। यदि ठीक से प्रयोग किया जाय और बिजली बनाई जाय तो प्रदेश की प्रगति हो सकती है। खेती में भी हमारा तीसरा स्थान है। हरियाना, पंजाब और मैसूर हमसे आगे हैं। गन्ना प्रधान उत्तर प्रदेश में है। इसको बढ़ाया जा सकता है अधिक गन्ना उत्पन्न करके और उससे अधिक मात्रा में शकर पैदा करके। मैंने इसलिये कहा कि मैं एक शिक्षक हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश जो भारत का हृदय है रोगी रहेगा तो ठीक नहीं होगा। इसको विचार में रख कर संविद सरकार ने अच्छी तरह से सुधार के लिये और अनुशासनहीनता को रोकने के लिये कि वातावरण ठीक रहे एक अध्यादेश जारी किया था। बड़े-बड़े विद्वानों की राय से उसको तैयार किया गया था। उसकी कापी भी है। सभी लोगों ने जिसमें अधिकांश विश्वविद्यालयों के उप कुलपति थे तय किया था कि यह बनना चाहिये। तत्कालीन शिक्षा मंत्री के सभापतित्व में यह बैठक हुई थी और श्री के० एल० मिश्रा जो उसमें एडवोकेट जनरल थे मौजूद थे। सभी लोगों ने विचार विमर्श के पश्चात् यह तय किया था कि जितने डिग्री कालेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें छात्र संघ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बात पर विचार किया जाय कि क्या सरकार के लिये विधान में यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय एक्ट में परिवर्तन करे या कान्करेन्ट पावर्स ले।

विश्वविद्यालय आटोनामस हैं, इसलिये इसके कान्स्टीट्यूशन्स में और नियमों में संशोधन करना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार शासन ने कान्करेन्ट पावर्स लेने के लिये निश्चित किया। भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों के लिये अलग-अलग कान्सटीट्यूट्स बनाने में बहुत विलम्ब होता, एक रुपता भी नहीं आती, इसलिये शासन ने ११–१२ जुलाई, १९७० को अध्यादेश जारी किया और उसके बाद सन् १९६४ के आधार पर बना हुआ बिल पेश किया था, जो कि

उस समय लैप्स हो गया था। विधान सभा का सत्रावसान हो गया था इसलिये तत्कालीन शासन ने जिसके मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह थे, बाद में श्री टी० एन० सिंह थे, यह अध्यादेश जुलाई, १९७० में जारी किया।

हमारे मुख्य मंत्री विद्वान हैं और शिक्षा के जानकार हैं। मुझे कोई आधार नहीं मालूम होता और न ही मैं उन पर कोई मोटिव एट्रीब्यूट करता हूं कि उन्होंने उसको वापस ले लिया। लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी भावना नहीं थी तो इतना उपयोगी और सार्थक होते हुए और उत्तर प्रदेश के बीमार दिल को ठीक करने वाली दवा होते हुए फिर उसको क्यों वापस ले लिया। इसलिये मुझे शंका होती है कि आखिर बात क्या है। कोठारी आयोग सन् १९६६ में बैठा। उसमें बड़े गणमान्य व्यक्ति थे। डा० कोठारी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमैन हैं। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उनकी अध्यक्षता में वह आयोग बैठा था।

उन्होंने भी लिखा है कि :--

'Membership of the students union should be automatic in the sense that every student should be presumed to be a member. But every student should be expected to choose at least one activity organised in the institution, that is, dramatic society, football club, etc. and pay the required subscription'.

कोठारी साहब का कहना है कि यूनिवर्सिटी में जितनी एक्टीविटीज हैं उनमें से छात्र अपनी इच्छानुसार चुने और उनकी मैम्बरशिप आटोमेटिक हो जाय। लेकिन इसके साथ यह भी है कि चुनाव इंडायरेक्ट होंगे क्योंकि डायरेक्ट चुनाव होने से ऊधमबाजी होती है और अच्छे लड़के चुनाव से हट जाते हैं।

कोठारी साहब का जो यह सुझाव था उसी के आधार पर यह आर्डिनेन्स लाया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि उसको वापस लेने का क्या आधार था। कारण यह दिया जाता है कि छात्रों की इच्छानुसार उसको वापस लिया गया। हम टीचर्स हैं। हम जानते हैं कि--

Every boy at the age of 20 is socialist because he has heart but a man at the age of 40 cannot be a socialist because he has "head"

छात्र नौजवान होता है। उसमें विवेक की कमी होती है और परिपक्वता नहीं होती इसलिये आर्डिनेन्स लाया गया। विद्वान मुख्य मंत्री जी का इस दलील से कि छात्र कहता है इसलिये वापस ले लिया मुझे संतोष नहीं होता। इनके दिल में कुछ और ऊपर से कुछ और। चूंकि यह काम संविद की सरकार ने किया था इसलिये उसको उलट-पलट करने की बात थी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो राष्ट्रीय हित की बात है उसमें दल से ऊपर उठ कर कार्य करना चाहिये। अगर देश बनेगा तो आपकी योजना चलेगी। अगर आदमी बिगड़ेगा, मानव नहीं बनेगा तो सारी योजनायें बेकार हो जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अमेरिकन रिव्यू जनवरी, १९७१ को भी आप देख लें। उसमें आपके दृष्टिकोण से दूसरा दृष्टिकोण है। आज स्टूडेंट पावर चाहता है। यहां तक कहते हैं कि नौजवान देशी है, बूढ़े परदेशी हो गये। आप अध्ययनशील हैं और अध्ययन की बात कर रहे हैं तो इसलिये मैंने कहा कि आप उसको भी देख लें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--

मान्यवर, प्लेटो की रिपब्लिक दो हजार वर्ष पहले की है। उसमें उसने लिखा था कि प्रजातंत्र एक बुराई है। गधे और खच्चर सड़क पर कहें कि हमें बराबर अधिकार है तो रास्ते में गाड़ियां रुक जायेंगी तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने भाषण में यह बतायें, इस बात को जस्टीफाइड करें कि आर्डिनेन्स को क्यों वापस लिया। मुझे मालूम

[श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी]

हुआ है कि उस वक्त जब यह जारी हुआ था तो उसमें माननीय नारायणदत्त जी के भी दस्तखत थे, उनकी सम्मति थी। तो अब वे कैसे बदल गये, यह मेरी समझ में नहीं आया।

मान्यवर, कुठारी आयोग ने पैरा ११-७५ में लिखा है--

".....But in a majority of institutions, and particularly in recent years, they have tended to function like trade unions presuming to represent student's interests against those of the teachers and authorities. This idea should be firmly and definitely discouraged."

उन्होंने, यूनियन की जो एजूकेटिव वैल्यू है, इस दृष्टि से जिन यूनियन्स ने काम किया है, उनकी सराहना की है, लेकिन ट्रेड यूनियनिज्म जहां पर पैदा हुआ है वह चीज ठीक नहीं है। तो यह कहना कि चूंकि विद्यार्थियों की मांग है, इसलिये हमने इसे वापस लिया, यह ठीक नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। माननीय वित्त मंत्री जी चाहे कुछ समझें। मैं चाहूंगा कि वे इस प्रश्न पर पुनः विचार करें।

श्रीमन्, अब आप इसके उद्देश्यों पर गौर करें। इसके यह उद्देश्य और कारण बताये थे--"राज्य के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के सम्मेलनों में अन्य बातों के अतिरिक्त, छात्र संघों के कार्य-कलापों के बारे में भी विचार-विमर्श होते रहे हैं। शिक्षाविदों का यह मत है कि विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों के छात्रसंघ छात्रों के बीच स्वस्थ संगठित जीवन के समुचित विकास में सहायक नहीं हुये हैं....।"

अब मान्यवर, सेल्स टैक्स को देखें, इन्होंने जो आर्डिनेन्स जारी किया है, उसके अनुसार अब ईंटों के भट्टों पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया है। गांव में जो किसानों के भट्टे होते हैं, वे किसान भट्टे का कैसे हिसाब रख सकेंगे। इसको भी सरकार ने भांग, गांजा आदि की तरह समझ लिया है। किसान इसके कारण बड़ा परेशान है। साधारण किसान इसका कैसे हिसाब रखेगा। इसलिये इसे वापस लेना चाहिये।

एक बात और अपने जिले देवरिया की एक सड़क देवरिया-महुआपारन रोड के बारे में और कहूंगा। यह इन्टर स्टेट रोड है। पांच मील यह बनी हुई है। केवल महुआपारन से करोनी तक ४ मील का टुकड़ा नहीं बना है। माननीय वित्त मंत्री जी इस सड़क को अवश्य बनवा दें। यह बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है।

एक बात अध्यापकों के बारे में और कहूंगा। १९६५ से पहले सहायता प्राप्त स्कूलों के जो प्राध्यापक रिटायर हुये हैं उनको भी पेंशन देने की व्यवस्था आप करें जैसी कि बाद के लोगों के लिये आपने की है।

इन सुझावों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

जरा कोरम की बात देख लें। सरकारी पार्टी चाहती है कि बजट पास हो जाय और यह उनकी दिलचस्पी है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम देखें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

एक से तीन तक अगर कोरम कम है तो विशेष ध्यान न दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

कोरम के बारे में जब कोई आपत्ति उठाई जाती है तो नियम के हिसाब से कोरम देखा जाना चाहिए। बिना कोरम के कार्य नहीं चल सकता।

श्री जगदम्बा प्रसाद––

लेकिन आपस में पार्टीज ने तय किया था कि अगर एक से तीन तक कोरम का अभाव है तो....

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)––

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी कोरम नहीं है। अब तो एक से दो, सवा दो बीत चुका है। इस समय तो कोरम होना ही चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

जब तक कोरम हो एक निवेदन है। कल मैंने जो जलपान-गृह के बारे में प्रश्न उठाया था आज वहां कुछ इतनी सख्ती हो गयी कि हमारे जो इस सदन के अन्दर बैठने वाले अखबार वाले हैं उनको भी जाने की पाबन्दी हो गयी। प्रेस वालों को कम से कम जाने दें। प्रेस वाले बाहर चले जायं तो सदन की कार्यवाही लिखने में बाधा पड़ जायगी। इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष––

इसको देखा जायगा।

यह सब कहिए मन्त्री जी से, वह करें इसकी व्यवस्था।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदम्बा प्रसाद––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं, मुझे आपने इस सामान्य बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा इस आदरणीय सदन में उपस्थित बजट का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री ने इस बजट में समाजवाद की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, यह इस बजट से प्रतिबिम्बित है कि यह सरकार समाजवाद के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति कर रही है। भूतपूर्व वक्ता माननीय मणि जी ने कहा कि स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यादेश वापस ले लिया गया। यह अध्यादेश ऐसा था जिससे स्टूडेंट्स के अधिकारों का हनन हुआ था। हमारी सरकार ने इसको वापस लेकर इस प्रदेश में शान्तिमय वातावरण बनाने की दिशा में कार्य किया है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने इस प्रदेश में बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्र की उन्नति के लिए प्राविधान किया है। लेकिन पूर्वी जिलों में फैजाबाद, गोरखपुर और बनारस के तीन डिवीजन शामिल हैं। इस बजट में कोई उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया न वहां पर पूरी तरह से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

इस रीजन के गांवों में बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है, सड़कों का इन्तजाम नहीं है और सड़कें न होने से यातायात की कोई सुविधा नहीं है। उदाहरण के लिये मैं आपको फैजाबाद जिलें के बारे में बताता हूं। उस जिले में एक बार हमारे एक मन्त्री गये। उन्होंने देखा कि वहां पर यातायात के लिये सड़क का कोई प्रबन्ध नहीं है। उस विभाग के सचिव जो हैं उन्होंने अपने घर तक जाने के लिये वहां सड़क बनवा दी और वह सड़क उनके घर तक बन

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

गयी। मैंने भी माननीय सदस्यों के सुझाव सुने थे। इसी सदन में कुछ सुझाव विरोध पक्ष और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने दिये थे कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण कहां-कहा किया जाय। किन्तु अभी तक उन सुझाव को कार्यान्वित किया नहीं गया है। यह मेरा सुझाव है कि सरकार इस पर ध्यान दे। बजट में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी युग में बजट इस प्रकार का होना चाहिए। फैजाबाद जिले में जनाना चिकित्सालय का कोई प्रबन्ध नहीं है। हमारे भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी २२ जनवरी को हमारे क्षेत्र में गये थे। वहां पर नागरिकों ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया था और उनसे निवेदन किया गया था। यह बात दूसरी है कि आज वे विरोध पक्ष में हैं, पर उसे क्रियान्वित नहीं किया गया....

श्री बांके लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में केवल २७ सदस्य हैं। कोरम नहीं है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं भी यह जानना चाहता हूं कि आखिर कितने सदस्यों से कोरम पूरा होता है।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि फैजाबाद जिले में जलालपुर में जनाना चिकित्सालय का कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम की कमी है। मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि अगर सदन में बार-बार कोरम का अभाव होता रहेगा तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा। (घंटी बजाई गई)

श्री जगवीर सिंह--

उपाध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से कोई सुनने वाला नहीं है। उनका कोई ध्यान आपके ऊपर और कोरम के ऊपर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी प्रक्रिया हो रही है। घंटी बज रही है। जहां सरकारी पक्ष का दायित्व है वहां विरोधी पक्ष का भी दायित्व है। उसी अनुपात में आपको भी रहना चाहिए।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदम्बा प्रसाद--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि फैजाबाद जिले के जलालपुर में जब माननीय चन्द्रभानु गुप्ता जी गये तो उनको वहां के नागरिकों ने एक मेमोरेंडम दिया। उसमें लिखा था कि वहां पर किसी जनाने अस्पताल की व्यवस्था नहीं है जबकि वहां से सरकार को ४ लाख रुपया सेल्स टैक्स के रूप में मिलता है। सौभाग्य की बात है कि हमारी माननीया स्वास्थ्य मन्त्राणी जी भी आ गई हैं। मैं इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं कि वे जलालपुर में एक महिला चिकित्सालय खोलने की ओर ध्यान दें।

इसके अलावा हमारे फैजाबाद जनपद की ओर से भी कुछ मांगें भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी के समक्ष रखी गयीं। लेकिन इस बजट में उनका कोई जिक्र नहीं है। इस बजट में हमारे जिले की बहुत बड़ी अवहेलना की गई है। पूर्वी जिलों के लोग, जिनको विकास योजनाओं में

उचित स्थान पाने का अधिकार था, अपने उस अधिकार से वंचित रखे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से आप भी फैजाबाद डिवीजन के निवासी हैं। आपके जिले में कोई बहुत बड़ा विकास का कार्य नहीं हुआ है। मैं माननीय वित्त मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि जलालपुर में एक महिला चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करें। वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक बहुत पुराना जरजर अस्पताल चल रहा है। इसी से वहां के लोगों को दवाओं की सुविधा प्राप्त होती है। उसके बारे में लिखा गया था कि गवर्नमेंट इसको ले-ले, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज भी वह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से चल रहा है।

मैं सरकार का ध्यान प्रदेश के प्रशासन की ओर दिलाना चाहता हूं। पुलिस का महा-निरीक्षक एक ऐसे आदमी को बना दिया गया है जिसको पिछले कई मुख्य मन्त्रियों ने रिजेक्ट कर दिया था उसकी अयोग्यता के कारण। हमारे यहां का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मन्त्री से मिला था। उनके प्रार्थना पत्र पर मुख्य मन्त्री जी ने लिखा था कि इनकी बात को सुन लिया जाय और कार्यवाही की जाय। लेकिन जब वह प्रतिनिधि मण्डल, जिसमें कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे तथा मैं विधान सभा का सदस्य भी था, पुलिस महानिरीक्षक, श्री इस्लाम अहमद से मिले तो उन्होंने उस प्रार्थना-पत्र को पढ़ा तक नहीं और न हमारी कोई बात ही सुनी। बात यह थी कि हमारे यहां एक डकैती २६–२७ की रात्रि को पड़ी थी जिसमें एक आदमी मारा भी गया था और जब रिपोर्ट करने थाने में गये तो मुल्जिमान थानेदार, बी० डी० मिश्रा के यहां क्वार्टर में मौजूद थे। इसकी सूचना लिखित रूप से दी गयी। मैंने भी जबानी श्री इस्लाम अहमद से कहा।

भूतपूर्व माननीय गृह मन्त्री ने एक आदेश निकाला था कि कोई भी पर्चा उस वक्त काटा जाय जब वह लिखा जाय लेकिन आज ५ बजे रोजनामचा लिखा जाता है और ८ बजे रोका जाता है। तो उन्होंने मेरे कहने पर भी कोई ऐक्शन नहीं लिया और वह मुल्जिमान उस थानेदार के यहां चाय पी रहे थे जब वह रिपोर्ट लिखाने गया था और आज तक कोई कार्य-वाही नहीं की गयी। इसका कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम अहमद के एजेन्ट हैं।

श्री जगवीर सिंह––

माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ एजेन्ट्स हैं। तो अगर उनका नाम भी बता दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री जगदम्बा प्रसाद––

और उस मुद्दई की यह दशा है कि अगर उसके घर पी० ए० सी० न बिठा दी गयी होती तो आज उसके घर का सफाया हो गया होता। उस सर्किल आफिसर को उस सर्किल से हटा दिया गया इस लिये उसने उस मुद्दई की मदद की। यह है पुलिस का प्रशासन जिसके सब से बड़े अफसर हैं इसलाम अहमद।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि शिवशंकर यादव, थाना जैतपुर, जिसने वृजराज डकैत से सांठगांठ की और जब वह डकैती करने गया तो पब्लिक के लोगों ने गोली मारी लेकिन उसके खिलाफ न तो ३९९ में मुकदमा कायम हुआ न ३०७ में ही मुकदमा चलाया गया, सिर्फ उसको थाने में बन्द कर दिया। यह है इस्लाम अहमद का प्रशासन हमारे फैजाबाद जिले में।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बजट में नौकरशाही का व्यापक बोल-बाला है। चाहे वह माननीय चरण सिंह की गवर्नमेंट रही हो, चाहे माननीय टी० एन० सिंह की गवर्नमेंट रही हो और चाहे माननीय त्रिपाठी जी की गवर्नमेंट रही हो, आज नौकरशाही के नियंत्रण के लिये

[श्री जगदम्बा प्रसाद]

कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक इस नौकरशाही का नियंत्रण नहीं होता तब तक जितनी हमारी विकास की योजनायें हैं वे कागज में ही रह जायंगी, वह कभी पूरी नहीं होंगी।

हमारे खाद्य मंत्री श्री बेनी सिंह जी जब फैजाबाद पधारे थे तो मैंने कहा था कि यहां गल्ला खरीदने की कोई योजना नहीं है। आपने हुक्म दिया जो उनके सबसे बड़े अफसर थे वहां कि इसकी व्यवस्था की जाय। लेकिन एक महीना हो गया आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई और जो गल्ला किसान का सरकार ४०-४२ रुपये मन खरीदती वह २८-३० रुपये मन बनिया खरीद रहा है और किसान मजबूरन बेंच रहा है।

इस समय इस दैवी आपदा के कारण ऐसी स्थिति है कि किसानों के पास उनकी फसल खराब हो जाने के कारण भोजन का सामान भी नहीं रह गया है। दूसरी और जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति के लिये उनके पास कोई साधन नहीं रह गया है। जिससे वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मैं खाद्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अपनी जगह पर जब तक कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जायगा तो उनकी कठिनाई हल नहीं हो सकती है। २६ जून को जिलाधीश महोदय, जिस समय राज्य मन्त्री जी हमारे यहां गये थे तो वे भी आये थे। उन्होंने कहा था कि हम यहां पर एजेन्सी का इन्तजाम करते हैं जो यहां पर आकर सब माल खरीद करेगी। उसी तरह की कठिनाई मैंने माननीय मन्त्री जी के सामने भी रखी थी कि इसका कोई उपाय होना चाहिये जिससे उन लोगों की समस्या हल हो लेकिन उस दिशा में वैसी ही दिक्कत बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो ब्लाक की हालत है वह सब जानते हैं। माननीय सदस्य अपने दिल पर हाथ रखकर देखें कि वहां पर क्या होता है। वहां पर किसानों के नाम फर्जी नाम पर खाद की पर्ची काट दी जाती है। अगर वे २० मन ले गये हैं तो उनके नाम १०० मन लिख दिया जाता है। हमारे यहां भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री श्री वीरेन्द्र वर्मा जब गये थे १० सितम्बर, ७० को तो म्युनिसिपल बोर्ड में एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी जिसको जन-न्यायालय कहते हैं। वहां हर ब्लाक के खिलाफ कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी जिसमें बताया गया कि हम इतना खाद ले गये थे लेकिन इतना अधिक फर्जी भर दिया गया। मन्त्री जी ने इस बात को मंजूर किया और उसकी इन्क्वायरी भी हुई लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उस जांच का क्या नतीजा निकला और फैसला लिया गया। अगर उसको स्थगित नहीं किया जाता तो आज किसानों के घर भी कुर्क हो गये होते। यह इन पंचायत सेक्रेटरीज की हालत है जिनका समर्थन हमारे विरोधी भाई करते हैं कि उनको तनख्वाह बढ़नी चाहिये।

पंचायत मंत्री जो गांव सभा की मीटिंग बुलाते हैं उसकी प्रोसीडिंग अपने मन के अनुसार भर देते ह। कोरम पूरा नहीं होता है लेकिन वह अपनी मर्जी से उसका कोरम भर देते हैं। वे पंचायत मंत्री अपने घरों का काम करते रहते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय। मैं चाहता हूं इन बातों के सम्बन्ध में जो शिकायतें हैं उन पर निर्णय जल्दी होना चाहिये। जब मैं ६५-६६ में इस विधान सभा का सदस्य था तो गोविन्द सहाय जी ने एक मार्मिक बात कही थी। उन्होंने बताया कि यह ऐसा इन्स्टीट्यूशन है जिसमें जनता, सदस्य विधान सभा और मंत्रिगण सभी का सहयोग नहीं होगा तो इसका चलना बहुत कठिन है आज हालत यह है कि यदि किसी अफसर के खिलाफ यहां विधान सभा में कोई बात कही जाती है तो हम लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये जाते ह। उस समय हमारे मंत्रि परिषद् के लोग और जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वह इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उस शख्स ने ऐसा किया था। इसलिये यह ब्यूरोक्रेसी विरोध में आती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके खिलाफ नियंत्रण अवश्य रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय वित्त मंत्री ने परम्परावादी और पलायनवादी बजट सदन के समक्ष रखा है मैं उस पर उनको धन्यवाद देता हूं और जो बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को टाला है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, पिछले सत्र में श्री नारायणदत्त तिवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण में एक संशोधन रखा था और उस संशोधन को इस सम्मानित सदन ने स्वीकार किया था। अगर उसका अवलोकन किया जाय तो तीसरे और चौथे नम्बर पर उसमें लिखा है कि समाजवाद, प्रजातन्त्र व धर्मनिष्पेक्षता के आधार पर देश व प्रदेश के समाजवादी निर्माण के लिये श्रीमती इंदिरा गांधी की नई केन्द्रीय सरकार को सहयोग व सहकार देने की घोषणा और चौथा था प्रदेश में "समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढाने के लिये प्रदेश की सभी निजी चीनी मिलों को पब्लिक-सेक्टर में ले लेने की घोषणा" मैं समझता हूं कि उपस्थित किया गया था माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से तब तो ठीक था कि केन्द्र में दूसरी सरकार थी और यहां प्रदेश में दूसरी सरकार थी और सहकार नहीं था लेकिन आज उनके सामने क्या दिक्कत थी? आज इस बदले हुये माहौल में जब केन्द्र में भी समाजवादी सरकार है और यहां भी उनकी विरासत में बनी समाजवादी सरकार है तो हम आशा करते थे कि उसकी तरफ से कोई प्रगतिशील कदम आयेंगे लेकिन अफसोस है कि आज इस बजट को देखकर दुख: होता है और सभी विधायकों के लिये यह सदमे की बात है।

एक बात माननीय मंत्री जी ने कही थी इस भाषण के पेज ३२ पर कि "बजट, प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों का केवल संकलनमात्र नहीं है और वास्तव में यह सरकार की नीतियों एवं जनतांत्रिक प्रक्रियायों के माध्यम तथा सुनियोजित ढंग से राज्य की उन्नति के लिये किये गये प्रयासों पर स्थूल रूप से प्रकाश डालता है"।

कहा गया है कि यह बजट उनकी नीतियों एवं जनतांत्रिक प्रक्रियाओं का द्योतक है। मेरा तो कहना यह है कि इस पूरे बजट भाषण में जो कुछ भी लिखा है इस एक स्थान को छोड़कर कहीं भी 'समाजवाद' शब्द का जिक्र तक नहीं है, समाजवाद लाने की योजना पर अमल करना तो बहुत दूर की बात है।

समाजवाद का केवल एक स्थान पर ही जिक्र है। इसी से यह जाहिर है कि समाजवाद कहां है और वह जनतांत्रिक कितने हैं। शुरू में इन्होंने क्या किया उसके एक-दो नमूने मैं आप के सामने रखूंगा, अभी इनकी उम्र भी चन्द माह की ही है। पहले भी जब सरकार बनी थी तो वह वित्त मंत्री थे उस समय उस सरकार ने पहला काम किया और सदन को आश्वासन दिया कि जिला परिषदें समाप्त की जाती हैं क्योंकि उनमें बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है और जल्द से जल्द उनके चुनाव कराये जायंगे लेकिन बजाय उनका चुनाव कराने के उन्होंने अब उनकी म्याद को बढ़ाने का फसला किया है। यह केवल इसलिये किया गया है कि वह अपने चहेतों को खास-तौर से अपने लोगों को जिला परिषदों में रख कर उनको अपने हाथ में लेना चाहते हैं वह सरकार द्वारा मनोनीत करना चाहते हैं। यह उनका जनतांत्रिक नमूना है।

हाई स्कूल की शिक्षा संस्थाओं को अब तक इन्टरमीडियेट बोर्ड की तरफ से मान्यता मिलती रही और वहां जनप्रतिनिधियों को स्थान मिलता रहा है लेकिन बगैर कोई विशेष कारण दिखाये हुये ही सरकार ने एक आर्डिनेन्स निकाल दिया कि अध्यक्ष सारी शक्तियों का उपयोग करेंगे। इसके माने हुये कि शिक्षा निदेशक सारी शक्तियों का उपयोग अकेले करेंगे और अब किन नई संस्थाओं को मान्यता मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। यह भी कहा गया है कि इस सत्र के बाद वह कार्य होगा और अगर सरकार की इच्छा होगी और राज्यपाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधारी शास्त्री]

का समर्थन हो जायगा। इस तरह से वह मनोनीत कर सकेंगे जिसको चाहेंगे। यह भी इस बात का द्योतक है कि आप प्रणाली बदल रहे हैं और अपने लोगों को मनोनीत करने का उपाय कर रहे हैं।

आज से ४ मास पहले आपने नागरिक परिषद् की स्थापना कर के कुछ लोगों को वहां खपा दिया। विभिन्न दलों के कौन कौन प्रतिनिधि उसमें हैं? क्या माननीय वित्त मंत्री या यह सरकार उसमें किसी के सहकार की याचना करते हैं? वह करते क्या हैं यह आप देखें। और भी अनेक समितियां हैं जिनके नाम रोज गजट में निकलते हैं। हमको भी उनकी सूचना है, सरकार भी जानती है। सारी समितियों में एक दल के अपने लोगों को जबरदस्ती ले जाकर बिठा दिया गया है। यह उनका जनतन्त्र कैसा है इसका उत्तर क्या है? यह तो भगवान ही जाने। यह जनतन्त्र तो है ही नहीं बल्कि जनतन्त्र लाने का इरादा तक नहीं है। यह उनकी कसौटी है।

इस बजट में ४८ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। अगर इतना घाटा है तो कोई हर्ज नहीं है और मैं इससे सहमत हूं कि आज की बजट व्यवस्था में घाटे की कोई बात नहीं है लेकिन सवाल यह है कि वह घाटा कैसे पूरा करने को कहते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी जो यहां समाजवाद की स्थापना चाहते हैं लेकिन वह लक्ष्य उनसे बहुत दूर है क्योंकि उसके लिये एक बड़े साहस की आवश्यकता है और इस समाजवाद की बात करने से कुछ नहीं होगा और यह भगोड़ेपन की नीति से कुछ होने वाला नहीं है। यह घाटा वह कैसे पूरा करेंगे इसको उन्होंने माननीय सदस्यों पर छोड़ दिया है और सुझाव मांगे हैं। इस सम्बन्ध में हमारे नेताओं ने और मित्रों ने ठीक ही कहा है कि लगता है कि यह चुनाव का कोई घोषणापत्र है।

जिस तरह से केन्द्र ने चुनावों के बाद नये कर लाकर जनता की कमर को तोड़ दिया है उसी तरह से वह भी चुनाव जीतने के बाद कर लगाना चाहते हैं और यहां भी उसी प्रकार का केन्द्रीय समाजवाद लाना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि अगर यह सरकार वाकई में यहां समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो वह महज कहने से न होगा। हमारे एक मित्र ने उधर से कहा कि जबतक गरीबी दूर न होगी, जब तक गरीब अमीर के बीच की खाई न पटेगी यहां समाजवाद नहीं आ सकता लेकिन मैं उनकी बात में जरा सा संशोधन करना चाहता हूं कि जब जब तक हिमालय टूटेगा नहीं हिन्द महासागर पटेगा नहीं। लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी को या इस सरकार को वह साहस नहीं है कि हिमालय पर्वत की तरह जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनकी रोज की आय कई कई लाख रुपया है उनको वह छू सकें।

जब यहां पर लैंड सीलिंग की बात आई और उस वक्त माननीय चन्द्रभानु गुप्त यहां मुख्य मंत्री थे और जिस सरकार में भी आप का सहकार पूरा था उस वक्त भी महामान्य राज्यपाल के भाषण में कहा गया था कि ३० एकड़ की सीमा हम लायेंगे और उसमें बाग भी शामिल रहेंगे लेकिन इनके नये समाजवादियों की बड़ी संख्या ने दस्तखत करके दिये कि अगर सीलिंग की गई तो आप की सरकार बैठ जायगी। और तब आपने सीलिंग को बदल दिया। मेरा चैलेंज है कि यह मौजूदा सरकार इसे नहीं कर सकती है। इसमें हिम्मत नहीं है। यह सरकार दल बदलुओं के आधार पर बनी सरकार है, पैसे की ताकत पर यह सरकार बनी हुयी है। इसमें बड़े-बड़े ऊंचे तबके के लोग हैं, तो ये समाजवाद की कैसे स्थापना कर सकते हैं। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हर दुष्कृय कार्य को करने के लिये तैयार रहते हैं, गैर समाजवादी कार्य करने के लिये तैयार हैं, वे सारे काम करने के लिये तैयार रहतेहैं ताकि उनकी कुर्सी बची रहे।

श्रीमन्, यहां पर कहा गया कि हम भूमि बांटेंगे अगर सरप्लस भूमि होगी। ये यह भी कहते हैं कि जो भूमि निकलेगी, उसे वे गरीबों को बांटेंगे, लैंड लैंस को देंगे। यह कहने की

हिम्मत नहीं है कि कुछ कर सकें। समाजवाद ला चुके हैं ? कुछ काम इन्होंने किया है। मैं अपने भाई माननीय जगदम्बा प्रसाद जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नयी सरकार में तब्दीली होनी चाहिये जिसके लिये इस सरकार ने कुछ हैड्स आफ दि डिपार्टमेंट को बदल दिया है ? आई० जी० के बारे में, ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से भी कहा गया है, और मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजह है कि उनके लिये एक अलग से पोस्ट क्रियेट की गयी है। आज आप कहते हैं कि हम धर्म निर्पेक्ष हैं और ये दूसरी कम्युनिटी के हैं, इसलिये आपने आई० जी० को बना दिया यह जानते हुए भी कि गोरखपुर में विद्यार्थियों के ऊपर गोली चलवायी, जिसकी चर्चा भी यहां विधान सभा में भी हुयी लेकिन फिर भी आपने उसको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी।

आपने स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा ही किया है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। जहां एक तरफ बेकारी है वहां पर एक सरकार एक अधिकारी को हटाती है तो दूसरी सरकार ले आती है तो नौकरशाही का क्या होगा ? यहां पर इस समय स्वास्थ्य मंत्री महोदया मौजूद हैं। मैं उनकी नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज इस विभाग में स्थानान्तरण करने और उनको कैंसिल करने के विषय में जितना भ्रष्टाचार है शायद ही किसी और विभाग में हो। दारुल शफा "बी" ब्लाक में एक कमरा है जहां पर एक बाजार लगता है कि इतने रुपये दीजिये उतने रुपये दीजये। यह बड़ी अधोगति की स्थिति है। आज यह भ्रष्टाचार चारों ओर है केवल स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं है।

मैं एक बात में सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने पौलिटिकल सफरर की ओर कुछ ध्यान दिया है और उनकी पेंशन को बढ़ाने का इन्तजाम किया है। हांलांकि भिखमंगा भी आज ३०–४० रुपये महीने कमा सकता है लेकिन फिर भी जो इस सरकार ने किया है वह धन्यवाद की पात्र है।

केवल कह देने से बेकारी दूर नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार से एक योजना आयी। दिल्ली में मलिकाये हिन्द की ओर से एक फरमान जारी हुआ कि इसके लिये साढ़े १२ करोड़ रुपया दिया गया। हर जिले में इसका एलान कर दिया जाय। कहा गया कि सड़क पर मिट्टी, अर्थात् अर्थ वर्क किया जायेगा। उसे मजदूर जो ढूंढ़ने से भी नहीं मिलता है, अपने हाथ से करेगा। बेकारी दूर होगी शिक्षित वर्ग के लोगों की और काम होगा मजदूरों के द्वारा। आज प्रदेश में कितनी बड़ी संख्या में इन्जीनियर्स बेकार घूमते हैं। कुछ दिनों में यदि यही हालत रही तो मैडिकल प्रैक्टिशनर्स की भी यही दशा हो जायेगी। आज लोगों को धोखे में डाला जा रहा है, इन्हें तो कुर्सी विरासत में मिली है। ये तो उसी लड़ी में एक कड़ी के रूप में हैं। बेरोजगारी को दूर करने का काम रूस में हुआ योरोप के एक देश में हुआ।

आज उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जो कल्याणकारी या समाजवादी राज्य कहा जाता है, कि हमारे जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें काम के घंटे कम कर दिये जायं। जैसे ८ घंटे के स्थान पर ६ घंटे का काम कर दिया जाय तब जाकर हमारी मुल्क की बेकारी की समस्या हल हो सकती है। आप इसको और किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते हैं। मुझे दुःख है कि जब मुल्क में खतरा पैदा हो जाता है तभी आप उसे करते हैं और यही परम्परा रही है मगर मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कहना कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अगुवाई कर सके और बड़े बड़े कल कारखानों में अगर काम के ८ घंटे से ६ घंटे कर दें तो बड़ी संख्या में लोगों को एम्प-लायमेन्ट मिलेगा। तब जाकर यह काम हो सकता है। ऐसे ही हो हल्ला करने से नहीं।

एक एक एम०पी०ने चार चार लाख और बीस बीस लाख लेकर चुनाव लड़ा है इन कारखाने दारों से। इन्हें रुपया मिलता है उनसे इसलिये ऐसा करने पर न बिरला और न टाटा आपके हाथ में आने वाले हैं मगर उनको हाथ लगाना पड़ेगा अगर आप नौजवानों की बेकारी को दूर करना

[श्री रामधारी शास्त्री]

चाहते हैं। श्रीमन्, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई। मैंने संशोधन पढ़ कर सुनाया। जल्दी जल्दी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये–प्रदेश में समाजवादी समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने के लिये प्रदेश की सभी निजी चीनी मिलों को पब्लिक सैक्टर में लेने की घोषणा यानी सभी चीनी मिलों को एक दो को नहीं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वायदे से हटे क्यों– खुदरां फजीहत दीगरां नसीहत। दूसरों को नसीहत देते थे अब तो आपके हाथ में राजदंड है। आप भागकर क्यों चले जाते हैं। सारी मिलों का अब राष्ट्रीयकरण होता क्यों नहीं है। चलें थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आये थे राष्ट्रीयकरण करने और करने लग गये अधिग्रहण चीनी मिलों का। देवरिया में विष्णु प्रताप शुगर मिल्स, खड्डा है। इस मिल का अधिग्रहण हो गया। यहां पर ९ लाख रुपये मजदूरों के वेतन के बकाया हैं और सात लाख रुपये उनके दूसरे ड्यूज बाकी हैं। चीनी मिल का पैसा भी जमा है मगर श्रीमन् यह सरकार गारन्टी देने को तैयार नहीं है बैंकों को जिससे मजदूरों को पसा मिल जाय। नौ नौ महीने की तन्ख्वाह बाकी है यह आपका राष्ट्रीयकरण है। अगर यह आपका राष्ट्रीयकरण है तो सोशलिस्ट होने के नाते मैं राष्ट्रीयकरण का प्रबल समर्थक हूं। लेकिन आपके राष्ट्रीयकरण की जो शक्ल है भगवान बचाये इस राष्ट्रीयकरण से।

श्रीमन्, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। श्रीमन्, यह कहा गया विकास के लिये बिजली दे रहे हैं। बिजली का क्या हाल है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ४८ करोड़ के घाटे को पूरा करेंगे कि हम टक्स जो बकाया है उनकी वसूली करेंगे। मैं कहता हूं कि यह विडम्बना है। उस दिन आपने जवाब दिया कि बिरला के एक कारखाने को हम दो पैसे, दो नये पैसे प्रति यूनिट बिजली देते हैं और किसान को १६पैसे से लेकर २२पैसे प्रति यूनिट की बिजली देते हैं। किसान के यहां क्या बकाया है रिकार्ड देख लें। एक हजार से ज्यादा कनेक्शन्स भजे हैं पिछले दो महीनों में लेकिन उस बिरला के ऊपर दो करोड़ ६ लाख बाकी है। आपकी क्यों नहीं हिम्मत होती उस बकाया को वसूल करने की ? वित्त मंत्री जी, आपकी पुलिस कहां है, उस बकाया को क्यों नहीं वसूल करती ? २.६ करोड़ रुपये बकाया है उन पर, कैसे वसूल कर लेंगे आप ? वे हाथ जोड़ने से नहीं देते इसलिये हिम्मत चाहिये।

श्रीमन्, इसीलिये यह कहना है कि आप वसूल कर लेंगे ऐसा भी नहीं है। मुझे तो डर है कि अगर आपको मौका मिला तो फिर गवर्नमेन्ट आदेश जारी करायेगी और ऐसे लोगों पर कर लगायेगी जिन्हें देने की कर क्षमता नहीं है। जैसे दिल्ली की समाजवादी सरकार ने लगा दिया। सब पर टैक्स लगा दिया लेकिन शराब और साहब पर टैक्स नहीं लगाया। टैक्स लगा है बीड़ी पर, सिगरेट पर, तेल पर केवल शराब पर टैक्स नहीं है। वह असली समाजवाद है। अपनी मधुशाला में बहुत मिलजुल कर बैठते होंगे। यह आपका समाजवाद है।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री रामधारी शास्त्री––

एक मिनट और मौका दे दीजिये।

एक बात और कही गई उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर में निर्देशन की तथा कुछ और बातों की जरूरत है। कुछ ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की जरूरत नहीं है। मैं पब्लिक सेक्टर का हामी हूं और चाहता हूं कि दोनों में एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिये। कुछ पब्लिक सेक्टर और कुछ प्राइवेट सेक्टर चन्दा दे दें मैं इसका विरोधी हूं।

श्रीमन्, एक बात और अन्त में कह देना चाहता हूं, मैं आभार प्रकट करता हूं आचार्य जी के प्रति। उन्होंने कहा कि हम दोनों तरफ से बोल रहे हैं। जब श्री टी० एन० सिंह की

की सरकार थी तो श्री राज्यपाल का भाषण एक-एक शब्द तैयार कराने में वह बहुत पटु थे और उसी के विरुद्ध उन्होंने वोट दिया। तो दोनों तरफ से तो वह हमेशा ही रहते हैं। ज्यादातर ऐसे ही लोगों की बनी यह सरकार है।

अगर समाजवाद की स्थापना करनी है, बेकारी दूर करनी है तो जरा साहस का कदम उठाना होगा। श्रीमन्, इस प्रदेश के राज्यपाल पर एक लाख रुपया प्रति माह खर्च होता है। राष्ट्रपति पर दिल्ली में डेढ़ लाख रुपया प्रति माह खर्च होता है। इसको खत्म कीजिये। एक और दस का अनुपात लाइए तब कुछ भला होगा।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं माननीय नेता विरोधी दल को मुबारकवाद देना चाहता हूं इस बात का कि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपने दामन के धब्बे दिखाई देते हैं और माननीय नेता विरोधी दल ने कल के अपने सवा तीन घंटे के भाषण में पूरे प्रदेश और जनता के सामने साबित कर दिया कि वह उन लोगों में से हैं जो २०-२२ साल तक लगातार सरकार में रहे, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, और इन २२ सालों के अन्दर जो काले कारनामे किये हैं, कल उन्होंने अपनी जबान से ही सारी चीजें जनता के सामने रख दीं। इसलिये वह मुबारकवाद के हकदार है कि वह सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। मैं जानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद नेता विरोधी दल के ध्यान में नहीं आ पायी होंगी। लेकिन इस प्रदेश की जो शक्ल इन २४ सालों में बनी और जिसके बनने में नेता विरोधी दल का और जो अब इस वक्त इस तरफ बैठे हैं उनका खास हाथ रहा है, वह शक्ल क्या है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इस प्रदेश में कुल १९७३ करोड़ रुपया प्लानिंग पर खर्च हो चुका है। इतने बड़े खर्चे के बाद भी आज इस प्रदेश की जो काबिल जोत जमीन है उसके कुल २९ प्रतिशत पर ही दो फसलें पैदा होती है। जिसका नतीजा यह है कि आज इस प्रदेश को बाहर का गल्ला लाकर गोदामों में रखना पड़ता है।

दूसरी बात यह १९७३ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी इस प्रदेश की कुल ऐसी जमीन जिस पर कि हल चलता है, उसके कुल ३८ प्रतिशत पर हम पानी पहुंचा पाये हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि माननीय नेता विरोधी दल के नेता की बनी हुई सरकार या जिस सरकार के वह अंग रहे, उस सरकार की यह पालिसी रही कि जितनी पावर थी उसमें से २८,८४९ लाख किलोवाट बिजली इंडस्ट्री पर खर्च होती है और सिर्फ ६,५२४लाख किलोवाट एग्रीकल्चर पर खर्च होती है। यह पालिसी रही है कि इंडस्ट्री को बढ़ाओ और उसका यह सबूत है कि आज तक जो कुछ बिजली उत्तर प्रदेश के अन्दर पैदा हुई उसमें २८,८४९ लाख किलोवाट इंडस्ट्री को चली गयी और कुल ६५२४ किलोवाट बिजली एग्रीकल्चर को मिली। और २८,८४९ लाख किलोवाट बिजली जो इंडस्ट्रीज को मिली, उनमें से ज्यादातर टाटा, बिड़ला वगैरह के जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, लखपतियों और करोड़पतियों के उद्योगों में गयी है। उसका बहुत थोड़ा हिस्सा कुटीर उद्योगों या छोटे-छोटे उद्योगों में खर्च हुआ।

जहां तक तालीम व शिक्षा का सम्बन्ध है वह २९.६ परसेंट है।

श्री इन्द्रमणि—

टाटा, बिड़ला को लाइसेंस किसने दिया, इस सरकार ने या दूसरी सरकार ने?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन--

लगातार २२ वर्ष तक जिस सरकार के अंग माननीय नेता विरोधी दल रहे उसी सरकार ने उनको लाइसेंस दिये। मैं बराबर यह बात कहता रहा हूं। बड़े खेद की बात है कि नेता विरोधी दल ने .....

श्री कल्पनाथ सिंह--

प्रदेश की सरकार ने लाइसेंस दिया या केन्द्र की सरकार ने ?

श्री रियासत हुसैन--

जो सरकार प्रदेश में काम करती थी, उसी पार्टी की सरकार लगातार सेंट्रल में भी कायम रही और माननीय नेता विरोधी दल लगातार उसके सदस्य रहे। इसके बाद भी माननीय नेता विरोधी दल ने हरिजनों की बात कही।

(इस समय ३ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

वाकई में मुझे भी इस बात का खेद है कि आज भी इस उत्तर प्रदेश के अन्दर हरिजनों के साथ इंसाफ नहीं किया गया है। मैं बराबर इस बात को कहता आया हूं कि अगर ईमानदारी के साथ आप चाहते हैं कि हरिजनों के साथ कुछ इंसाफ हो तो चकबन्दी कानून लाते समय इस बात का इन्तजाम करना चाहिये था। जिस वक्त चकबन्दी का कानून लाया गया उस वक्त नेता भारतीय क्रांति दल शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उसके बाद लगातार सरकारी अमेंडमेंट्स हुए लेकिन उसके अन्दर कहीं यह नहीं रखा गया कि चक बनने के बाद जो गांवों के अन्दर ८ प्रतिशत भूमि की बचत हुई उन पर हरिजनों का कब्जा दिला दिया जाय। आज तक सरकार इस काम को नहीं कर पायी। आज भी मैं कहता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ हरिजनों की मदद करना चाहते हैं तो गांवों के अन्दर बचत की जमीन उनको देकर ही सही माने में कुछ मदद कर पायेंगे।

अब रही पुलिस प्रशासन की बात। माननीय जगदम्बा प्रसाद जी ने पुलिस प्रशासन की बात कही और उन्होंने यह बिलकुल ठीक कहा और पिछली बार गवर्नर का जो अभिभाषण हुआ था उस वक्त भी मैंने यह बात कही थी अगर ईमानदारी से सोचें तो सूबे की पुलिस इस लायक हो गई है कि एक मिनट भी उसे नहीं रहना चाहिये।

आई० जी० से लेकर नीचे तक सब को एक कलम खतम करके समाप्त कर दिया जाय। ३०-३५ करोड़ रुपया पुलिस के ऊपर खर्चा है लेकिन इनका काम सिवा इसके और कुछ नहीं है कि थानों के अन्दर बैठ कर झूठे सच्चे मुकदमे कायम करें और दूसरा काम यह है कि किसी को डकैती में फंसावें, किसी को कत्ल के मुकदमे में फंसावें। उस दिन एक सवाल के जवाब में माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि लाटरी में घाटा आ रहा है इसलिये उसे बन्द कर दिया जायगा। मैं कहता हूं कि आखिर टोटा कैसे नहीं आवेगा जब कि पुलिस के लोगों ने ही लाटरी चलवाना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश में लाटरी बिजनेस कैसे कामयाब हो सकेगी। मैं गृह मन्त्री जी के पास इस लाटरी टिकट को भेज दूंगा यह लाटरी टिकट मुरादाबाद के भगतपुर थानेदार के इलाके में छपवाया गया और प्रोपेगेंडा करके लाउड स्पीकर के जरिये जगह-जगह बाजारों में पब्लिक से कहा गया कि इस लाटरी टिकट को खरीदो। इस पर पहला इनाम ५०० रुपये, दूसरा इनाम २०० रुपये तीसरा इनाम १०० रुपया और चौथा इनाम ५० रुपया, यह सब टिकट पर छपा हुआ है इस तरह से पुलिस वाले ही जब लाटरी टिकट को बिकवाने लगे तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को लाटरी बिजनेस में मुनाफा हो जाय, यह कैसे मुमकिन हो सकता है ?

जब मैंने इस बात का ध्यान बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ दिलाया कि १४ तारीख से यह नाजायज काम हो रहा है तब २० तारीख को डी० आई० जी० बरेली ने खुद जाकर उसको

देखा। जनता सेवा समिति के नाम से जो संस्था थी वह इस प्रकार के लाट्री के टिकट का काम कर रही थी। थाना भगतपुर के इन्चार्ज हैं तथा दो और थानेदार हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया और टिकट को बिकवाने में पूरी कोशिश की। वहां पर सारा सामान बरामद हुआ। सारा लिट्रेचर और सभी चीजें वहां पर बरामद हो गई। खेद की बात है १५ दिनों तक भगतपुर, जि० मुरादाबाद में लाउडस्पीकरों से एलान कर इस टिकट को बेचा गया। पुलिस ने इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह तो खुद इसमें मिली थी। साथ ही ऊपर से भी कोई पुलिस का इस पर ऐक्शन हो पाया। आज भी वे तीनों थानेदार सर्विस में हैं और उनको बरखास्त नहीं किया गया है। जिस देश की पुलिस अपने फायदे के लिये इस तरह के काम करवाये और फिर भी सर्विस में बरकरार रहे तो उस प्रदेश के शासन का काम कैसे चल सकता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

मैं गृह मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इसको देखें और इन तीनों थानेदारों को बरखास्त किया जाना चाहिये। जब डी० आई० जी० ने सारा माल बरामद कर लिया तब फिर ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। यह समाचार छपा है कि लखनऊ कार्पोरेशन के अन्दर एक फाइल गायब हो गई है जिसमें ३० लाख रुपये का मामला था। वह महकमा कहता है कि फाइल एल० एस० जी० डिपार्टमेंट में है और वह कहते हैं कि यहां नहीं हैं। जो हरिजन हैं उनको सरेआम गोली से मार दिया जाता है। बसें गढ़ों में गिर रही हैं। अभी भीमताल में एक बस झील में गिर गई जिसमें २० आदमी मर गये बिजनौर में भी बस दुर्घटना होने से ३८ आदमी मर गये। यह क्या चीजें हो रही हैं। अभी जेल मंत्री जी ने एक जेल का मुआइना किया। वहां पर एक स्त्री की चीख सुनाई दी। पता लगा कि वह स्त्री जो वहां थी उसको बच्चा होने वाला है और उस हमल को गिराने के लिये उसको इन्जेक्शन दिये जा रहे हैं। आखीर यह जो चीजें हैं उनसे जनता की किस प्रकार से रक्षा हो सकती है। हमारे मुरादाबाद जिले में ५ मुलजिम जेल से जा रहे थे। उनके साथ पुलिस का पहरा भी था। उसी समय दनादन गोली लगती है और वे पांचों वहीं पर मर जाते हैं। कम्पाउन्ड में ही उनको गोली मार दी गई।

धामपुर बिजनौर में कुछ लोग शिनाख्त के लिये जा रहे थे उन्होंने एक टेम्पू की और उसको ५ रु० भी दिया। उस समय पुलिस आ गई ५७० रु० जो उनके पास निकले उसको ले लिया। एक रामपाल सिपाही बाद में उनके घर गया और १३०० रु० की मांग की। उसने उनको आश्वासन दिया था। वह १३०० रु० लेकर चला गया। उनका कोई काम भी नहीं हुआ और वह १३०० रु० भी हड़प हो गये। उन्होंने डी० आई० जी० को दरख्वास्त भी दी पर कुछ नहीं हुआ।

नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिले हुये हैं। यह एक बड़ा भारी सवाल है उत्तर प्रदेश के सामने, मैं इसको साफ साफ कहना चाहता हूं। आपके यहां जो सम्पूर्ण सत्ता देश के हाथ में है, सदन में है वह क्या इस भ्रष्ट ब्योरेक्रेसी पर कन्ट्रोल कर सकेगी। हमको इसके लिये कोई रास्ता निकालना होगा कि भ्रष्ट ब्योरोक्रेसी को कैसे दुरुस्त किया जाय। आज मंत्री जी के आदेश जाते हैं लेकिन तीन-तीन महीने तक नहीं पहुंच पाते हैं लेकिन अगर सेक्रेटरी के आदेश हैं तो तीन दिन में पहुंच जाते हैं। श्रीमन् मैं साफतौर से कहना चाहता हूं कि सेक्रेटेरियट के अन्दर मंत्री के आदेश का पता नहीं चलता है। ऐसा इसलिये है कि उत्तर प्रदेश में सारी ब्योरोक्रेसी भ्रष्ट है। उसे जिसमें दिलचस्पी होती है उसका काम हो जाता है बाकी का नहीं होता है।

मुरादाबाद के इरीगेशन विभाग के अन्दर सन् ६३ में सत्यपाल नाम का आदमी हेल्पर मिस्त्री के पद पर रक्खा गया था। सन ६८ में वह सुपरवाइजर के पद के लिये इम्तिहान देने

[श्री रियासत हुसैन]—

जाता है और फेल हो जाता है लेकिन एक साल पहले मिस्त्री के पद पर परमानेन्ट कर दिया गया था। सन् ७० में इम्तिहान पास कर लेता है और असिस्टेंट इन्जीनियर बना दिया जाता है। एक तरफ तो इस प्रदेश के सभी इंजीनियरों में यह चल रहा है कि कोठारी कमीशन के अनुसार पे होनी चाहिये और दूसरी तरफ इस तरह के वगैर पढ़े लिखे लोग रक्खे जाते हैं। इसका कारण यह था कि वहां पहले जो एक इंजीनियर थे उनको इससे दिलचस्पी थी। पहले हेल्पर मिस्त्री बनाया और बाद में असिस्टेंट इंजीनियर तक बनवा दिया। इस सब की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो इस प्रदेश पर २०, २२ साल से लगातार शासन कर रहे हैं।

वित्त मंत्री जी ने पिछले साल भी बजट भाषण रक्खा था, मैं उस समय अपोजीशन में था मैंने उस वक्त भी कहा था कि वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है कि समाजवाद आवे। आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी उस खयालात को पूरा करना चाहते हैं। यह आपके सहयोग से पूरे होंगे। प्लानिंग बोर्ड की स्थापना के लिये कहा गया, यह होना चाहिये। शुगर टेक ओवर भी होना चाहिये था। सेन्टर ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश को कोई रोक नहीं सकता—no bar for sugar taking over in U. P. यह सेन्टर के माननीय मंत्री ने पार्लियामेंट के अन्दर जवाब में कहा।

जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट कहती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर कोई बार नहीं तो क्या मायने हैं कि दस या बारह फैक्ट्रीज को टेक ओवर कर लें। जो मरीज या बीमार हो जायें उनका इलाज करने के लिये हम और जो हट्टी कट्टी हैं उन्हें मनमानी करने के लिये छोड़ दें तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसी तरह से इसमें पेंशन को ४० से उठाकर ६० करने की बात कही गयी, सीलिंग की बात भी कही गयी है। मैं कहूंगा कि मंत्री जी हिम्मत से काम लें।

उर्दू की कुछ बात कही गयी तो कहा जाता है कि बहुत कर दिया। उर्दू अकैडेमी की बात है तो जो मौजूदा उर्दू बोर्ड है उसी के दो हिस्से कर दिये हैं। लेकिन फिर मैं तो कहूंगा कि जो कुछ आपने कहा है इसको इम्प्लीमेंट करवा दें तो उर्दू वालों की आधी शिकायत खत्म हो जायगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि रुहेलखंड डिवीजन से मंत्री क्यों नाराज हैं। उसमें सात जिले हैं। लेकिन वहां न यूनीवर्सिटी है, न कोई मेडिकल कालेज है और न ही कोई ब्रांच हाई कोर्ट की है। इन तीनों चीजों में से कोई न कोई एक चीज वहां होना चाहिए चाहे यूनीवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कालेज या हाई कोर्ट की ब्रांच। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस सदन के माननीय सदस्यों का कुछ विकार रहे तो हमारे स्टेटस को कुछ न कुछ जरूर वेरीफाइ कीजिये। श्रीमन् इन सुझावों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि यह सरकार इन सुझावों और जो प्रोपोजल्स इस बजट में रखे गये हैं उनको इंप्लीमेंट करेगी मैं इस बजट का समर्थन करता हूं वरना याद रहे कि माननीय गिरधारी लाल जी जो उधर बोल रहे थे और अब इधर आ गये इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है।

*श्री राम प्यारे—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से अपने साथियों की बातें सुन रहा हूं। जहां तक नीतियों का प्रश्न है उस पर कल हमारे दल के नेता ने साढ़े तीन घंटे में विस्तार से प्रकाश डाला था। जहां तक इस बजट का प्रश्न है, जैसा कि मेरे साथियों ने भी कहा इसमें वित्त मंत्री जी ने सारे पहलुओं को टच करने का प्रयास किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से इस बजट भाषण में न हो। कहने का मतलब है कि उन्होंने सभी समस्याओं पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्रोकोडाइल टीयर्स यानी झूठे आंसू बहाने का प्रयास किया है। लेकिन आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए क्या यह बजट बनाया गया है। मान्यवर, सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश को हिन्दुस्तान के सभी राज्यों में पिछड़ेपन में विकास के मामले में १४वां स्थान है।

उत्तर प्रदेश में जहां पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले औसत आमदनी २६० रुपया थी और हिन्दुस्तान की औसत आमदनी २४७.५ रुपया थी वहां आज स्थिति यह हो गयी है कि हम बजाय आगे बढ़ने के पीछे हटे हैं जब कि तीन योजना पूरी हो चुकी हैं और चौथी योजना का तीसरा वर्ष है। ६९–७० का जो विवरण मिला उसके अनुसार अपने प्रदेश का २५३ रुपया बताते हैं। लेकिन अगर हम १९६९–७० को देखें तो उस वर्ष भारत सरकार की औसत आय प्रति व्यक्ति ३१२ रुपये थी।

इस प्रकार तीनों पंचवर्षीय योजनायें तथा चौथी योजना का एक वर्ष बीत जाने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि पीछे गये हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जितने साधन अन्य प्रदेशों को उपलब्ध हुये, हमारे प्रदेश को, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वह साधन उपलब्ध नहीं हुये। तीनों योजनाओं में जो धन औसत अन्य प्रदेशों में खर्च हुआ, हमारे प्रदेश में उससे बहुत कम हुआ। किसी भी क्षेत्र को आप ले लें, हमें केन्द्र से अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बहुत कम सहायता मिली। पब्लिक सेक्टर में हमें कोई चीज मिली ही नहीं, जब अन्य छोटे-छोटे प्रदेशों जैसे मद्रास है, महाराष्ट्र है, मैसूर है, पब्लिक सेक्टर की कई योजनायें उनको मिलीं। वहां काफी उद्योग-धंधे लगे। हमारे प्रदेश की आबादी जब कि ८ करोड़ के करीब है, उद्योग धंधों में जो सहायता मिली वह केवल ६ प्रतिशत मिली। तब आप सोच सकते हैं कि हमारे प्रदेश का विकास किस प्रकार होगा। फाइनेन्शियल निगमों द्वारा भी हमको बहुत कम सहायता मिली है। प्राइवेट सेक्टर के लिये जो वातावरण तयार होना चाहिये था वह भी अपने प्रदेश में नहीं हुआ जैसा कि अन्य प्रदेशों ने किया। जो एकोनामिक सर्वेक्षण हुआ उसकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि हमारे यहां २२ जिले बैकवर्ड हैं जिनकी औसत प्रति व्यक्ति आय १४६ रुपये है। इसलिये इस पर गम्भीरता के साथ हमें सब को, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, विचार करना है।

मान्यवर, पिछले २०–२५ वर्षों में कृषि के संबंध में भी जो नीति सरकार की रही है, कृषि के लिये जो प्लानिंग बनायी गयी वह दोषपूर्ण रही है। उससे छोटे काश्तकारों को, विशेषकर हरिजन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। आज गरीब किसान के पास औसतन १.८७ एकड़ जमीन है और ९० फीसदी छोटे किसान हैं। कृषि के आधुनिक तौर तरीके उनको नहीं मिले, जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलीं जिससे प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, और किसान की आर्थिक स्थिति भी दयनीय होती चली गयी। आप उनके लिये कोई आधुनिक इन्सट्रूमेंट नहीं बना सके, न उनको ट्रैक्टर दे पाये, न थ्रेशर्स आदि का इन्तजाम कर पाये। उनके लिये कर्जे की भी उचित व्यवस्था नहीं हो पायी।

आज मान्यवर, हमारे यहां के जो ३ जिले हैं, पहाड़ों के ८ जिले हैं, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो १५ जिले हैं, उनकी हालत क्या है? टोटल प्रदेश की आबादी का ४७ प्रतिशत हिस्सा हमारे यहां रहता है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखिये, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखिये, चाहे अन्य किसी दृष्टि से देखिये, वे लोग कोई किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सके हैं। पहाड़ों में कोई कारखाना नहीं लगा। बुन्देलखंड में कभी कोई कल कारखाना नहीं रहा। यही हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। पूर्वी उत्तर के लोग बम्बई, कलकत्ता और विदेशों में थाईलैंड में रोजी के लिए भटक रहे हैं। वहां जीवन स्तर निम्न होता चला जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आर्थिक असंतुलन दूर हो, यदि आप चाहते हैं कि सब का समान विकास हो जिससे राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो तो आपका कर्तव्य है कि इन इलाकों को सुविधा दें। बुन्देलखंड

[श्री राम प्यारे]

में ड्रा फार्मिग की व्यवस्था करें, भमि संरक्षण करें, छोटी सिंचाई योजनाएं बनाएं, बंधियां बनाएं, रिंग से टयबवेल लगाने की व्यवस्था करें। यही स्थिति मिर्जापुर की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। आज के विकास में बिजली सबसे आवश्यक है। आप बिजली की क्या सुविधा दे रहे हैं? बिद्युत बोर्ड में दस हजार ऐप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कनेक्शंस के लिए उनको बिजली देने की बात नहीं कही जाती है। बड़े उद्योगों को बिजली दी जाती है। बेसिक उद्योग पनपें लेकिन जब तक छोटे उद्योगों और कृषि की आवश्यकता पूरी न हो जाय तब तक बड़े उद्योगों की बात नहीं करनी चाहिए।

जहां तक भूमि सुधार की बात है सीलिंग लगाने की बात होती है। क्या अभी तक जो सीलिंग आयी है उसके अनुसार हरिजनों को भूमि मिली है? क्या प्रदेश में १००–१००, २००–२०० एकड़ भूमि रखने वाले नहीं हैं? क्या सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी है कि जो कानून का नाज़ायज फायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने भाई, भतीजे-हरवाहे चरवाहे के नाम सारी जमीन कर रखी है, उनसे वह जमीन निकाली जाय? अगर सीलिंग का दूसरा बिल लाने में देर हो जाय, जो पुराना कानून बनाया है, उसका कायदे से एनफोर्समेंट कर दिया जाय तो गरीबों को जमीन मिल सकती है। आप देखें कि हमारा सूबा कितना पिछड़ा हुआ है। ७५ प्रतिशत से ज्यादा खेती पर निर्भर रहते हैं। जब तक एग्रीकल्चरल लेबर को उद्योग में न लायेंगे तब तक आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। अमेरिका और इंग्लैण्ड को देखिये, १७ परसेंट और ७ परसेंट लोग खेती में लगकर दुनिया को खिला रहे हैं।

आवश्यकता है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाये जायं। मिर्जापुर में सरकारी और गैर सरकारी कई उद्योग धंधे लगे हैं––डल्ला सीमेंट फैक्टरी, चुर्क सीमेंट, फैक्टरी रिहन्द प्रोजेक्ट, ओबरा हायडल प्रोजेक्ट। वहां जो अधिकारी हैं, अपने गांव के लोगों को, अपनी रिश्तेदारों को नौकरी देते हैं। अगर आप सर्वे करवायें तो मिर्जापुर इलाके के लोग जिनकी जमीन उन योजनाओं में लगी उनको नाम मात्र के लिये उनमें काम मिला है। यही हालत प्राइवेट सेक्टर वालों की है। वहां अल्म्युनियम फैक्टरी, कनौरिया फैक्टरी आदि कई प्राइवेट फैक्टरियां हैं हमारी गलत प्लानिंग की वजह से अन्य प्रदेशों के लोगों को उनमें नौकरी मिल रही है। बिहार किसी पार्टी को लाइसेंस देता है तो एक शर्त लगा देता है कि अमुक परसेंट वहां के लोगों को काम मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार कोई जोर नहीं देती। फलस्वरूप हमारे यहां बिहार और राजस्थान के लोग रखे जा रहे हैं।

अभी वित्त मंत्री कह रहे थे कि सदस्यगण कुछ सुझाव दें वित्तीय साधनों को बढ़ाने के लिए। वह ४८ करोड़ का कर लगाना चाहते हैं। ३२ करोड़ का सेल्स टैक्स का बकाया है। हिंडलकों से क्यों नहीं वसूल करते हैं? किसान से लैन्ड रेवेन्यु की तरह से वसूल करते हैं लेकिन पिछले सालों पौने तीन करोड़ बिड़ला पर बिजली का बकाया है। ऐसा क्यों है। उसको रियायत क्यों की जा रही है।

मान्यवर यही नहीं जो वहां पर कांट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से जितनी बिजली मिलनी चाहिये उतनी बिजली नहीं दी जा रही है। १ करोड़ ४ लाख रुपया बकाया है किन्तु किसी सरकारी कर्मचारी के जूं तक नहीं रेंगी है। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह विकास न करे किन्तु हालत बिगड़ती जा रही है। इसका क्या कारण है। यदि हमारे पास साधन नहीं हैं, संसाधनों की कमी है तो इसके बारे में सोचना चाहिये कि वह कैसे पूरे हों। जो हमारे अधिकारी हैं तहसीलदार वगैरह हैं वे देखते हैं कि एक करोड़ रुपया दबाये बैठे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर लोगों का पैसा बाकी है उसको लिया जाय....

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अध्यक्ष––

आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामप्यारे—

श्रीमन्, केवल ५ मिनट का समय और दे दें। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि बिरला ने एक करोड़ रुपया दिया। ५० रुपया लाख लोन दिया और ५० लाख रुपया श्रमिकों को मकान बनाने के लिये दिया। मान्यवर, आज स्थिति क्या है? आज उन मकानों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप उनको सेल्स टैक्स, इक्साइज वगैरह अन्य चीजों की पूर्ति करते हैं तो जहां एक तरफ आप ये सारी सुविधायें उनको दे देते हैं दूसरी तरफ जहां पंच वर्षीय योजनाओं के लिये साधन उपलब्ध हो सकते हैं वहां आप सुविधायें नहीं देते हैं। तो सरकार को इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह नहीं चाहता हूं कि यहां पर इन्डस्ट्रीज न चलें। वे अवश्य चलनी चाहियें किन्तु जो हमारी मूल मंशा है उसकी पूर्ति होनी चाहिये। मान्यवर, मिर्जापुर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है। वहां पर मिनरल्स भी मौजूद हैं वहां पर और सीमेन्ट फैक्टरी खोली जा सकती है किन्तु वहां के लोगों को कोई साधन, सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। वह एक आदिवासी क्षेत्र है। यह जानकर आश्चर्य होता है वहां की जमीन सरकार ने जबरदस्ती ले ली रिहन्द डैम के लिये किन्तु वहां के एक भी गांव में अभी तक बिजली नहीं दी गई है। जहां से पूरे प्रदेश को बिजली पहुंचाई जाती है वहां पर अभी तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकी है। उन लोगों के घर व जमीन बरबाद हो गये हैं किन्तु एक भी आदमी को बिजली की सुविधा नहीं दी गई है। मान्यवर, मैं कहता हूं कि आखिर उसे कैसे सन्तोष हो सकता और वह कैसे संतोष करे। उसे सन्तोष मिलना भी डेमोक्रेसी का एक अंश है।

मान्यवर, जब से रिहन्ड डैम बना तब से वे लोग मांग कर रहे हैं कि जहां उन लोगों को बसाया गया है वहां पर उन्हें बिजली उपलब्ध करायी जाय किन्तु अभी तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप वहां पर उन लोगों के लिये छोटी-छोटी इन्डस्ट्री लगा दें, ट्यूबवेल्स लगा दें किन्तु इससे सरकार कहती है कि उसको घाटा हो जायेगा। जो प्रदेश का सबसे पिछड़ा प्रदेश है उसको बिजली व पानी देने में सरकार को घाटा हो जायेगा। रिहन्द में इस समय पानी नहीं बरसा। अतः सरकार एक नहर योजना बनाने का विचार कर रही है। तो मेरा कहना यह है कि आप उसे न बना कर वहां पर कोयला उपलब्ध है तो उसी से आप डैम बनवा लें। वहां के लोग भी यही कहते हैं कि उनको इस योजना से लाभ होने वाला नहीं है।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी मैं वहां की एक बात कहना चाहता हूं कि वहां पर जो इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको आप २० प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देते हैं किन्तु इर्रीगेशन वालों को नहीं देते हैं। होम डिपार्टमेन्ट वालों को देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आया कि आप इर्रीगेशन डिपार्टमेंट वालों को क्यों नहीं देते हैं? ओबरा के लोगों को यह मिलता है, मेडिकल वालों को मिलता है तो आखिर इन इर्रीगेशन डिपार्टमेंट वालों ने क्या गुनाह किया है कि आप उनको नहीं देते हैं।

अब मैं हिन्डोलियम के श्रमिकों के बारे में भी कहना चाहता हुं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां बिलकुल शांति थी। उन सब लोगों ने एक होकर मांग की थी और सरकार को भी उसकी सूचना दी थी। उनकी १७ सूत्री मांग थी जिनमें मुख्य थीं —प्रोडक्शन, बोनस, रहने के लिये क्वार्टर, दवाओं की सुविधा, कैंटीन की व्यवस्था सर्विस कंडीशन्स में ग्रेडेशन की व्यवस्था, ६–७ सालों से टेम्परेरी चले आने वालों को रेगुलर किया जाना। उन्होंने जो मीटिंग की थी वह भी बिल्कुल शांतिपूर्ण थी। उनके खिलाफ पुलिस में भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं थी। किन्तु उनके आन्दोलन को दबाने के लिये वहां एक महीने के लिये दफा १४४ लगा दी गई। क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट की गई थी जिसकी बिना पर ऐसा किया गया। वहां का लेबर बिल्कुल शान्त था लेकिन वहां के पुलिस के कुछ कर्मचारी बिरला और कोठारी को ओब्लाइज करना चाहते थे, इसलिये ऐसा किया गया। मैं नहीं मानता

[श्री राम प्यारे]

कि इसमें सरकार का कोई हाथ है। क्योंकि हमारी अध्यक्षता में ही मीटिंग हुई थी और सरकार की तरफ से जिसकी गल्ती थी उसको फटकार बतायी गयी थी। इसलिये मेरा कहना है कि सरकार को तुरन्त उनकी समस्याओं की ओर देखना चाहिये।

आज सरकार को अपव्यय की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये आज सार्वजनिक निर्माण विभाग में और श्रम विभाग में बहुत अपव्यय हो रहा है। वहां बहुत गड़बड़ियां हैं जिनके कारण वहां पर साधनों का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। उसको दूर किया जाना चाहिये। सेल्स टैक्स का लाखों रुपया बिरला आदि पर बकाया है, उसको वसूल किया जाना चाहिये और जो धन उपलब्ध है उसको कायदे से खर्च करना चाहिये। अगर ऐसा किया जायगा तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की बहुत तरक्की इन्हीं साधनों के द्वारा हो सकती है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह —

(श्री गोपाल दत्त ओझा का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, अब तो दूसरा काम होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह साढ़े चार बजे से होगा।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, हमको नहीं मालूम कि हमारे बोलने का नम्बर कब आयेगा। हम ११ बजे से ५ बजे तक यहां बैठे रहते हैं, लंच को भी नहीं जाते, इसी डर से कि कहीं हमारा नम्बर न निकल जाय। अतः आप कृपया ऐसी व्यवस्था कर दें कि चाहे हमारा नम्बर ५ बजे बाद ही क्यों न आये, हमें यह बता दिया जाय कि हमारा नम्बर कितने लोगों के बाद है। इसमें हमको आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजिये।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार बजट के संबंध में व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं वित्त मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज सदन के सामने ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसकी हम ६–७ साल से लगातार आशा करते थे। १८ साल के बाद आज सदन में एक समाजवादी बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिये हम उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके द्वारा एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हमें आशा है कि प्रदेश में जवानों के लिये, बेरोजगारों के लिये, पिछड़े हुए इलाकों के लिये कुछ बेहतरी अवश्य होगी। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिये भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, उनकी पेंशन को ४० रुपया से बढ़ा कर ६० रुपया कर दिया है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है।

इसके अलावा इस प्रदेश में जितने भी युवक थे वे यूनिवर्सिटी अध्यादेश के कारण परेशान थे। उसके बारे में भी युवकों में बड़ा असंतोष था और वे समझते थे कि वह कानून उनके लिये अहितकर है, उस कानून को इस सरकार ने खत्म कर दिया है।

देश और प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बंगला देश की आयी । जो हमारे लिये बड़ी चिन्ता का विषय हो गयी और उसको मिटाने के लिये माननीय कमलापति जी ने एक नागरिक परिषद् का गठन किया है ताकि हम उनको सहूलियत दे सकें । सब से बड़ी बात जो माननीय वित्त मंत्री जी ने की है और जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं वह यह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुधारने के लिये नियोजन बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है । दूसरी जो घोषणा उन्होंने की है वह है नियोजन इंस्टीट्यूट का गठन । इससे हमारी पंचवर्षीय योजनायें आगे बढ़ेंगी । यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है । इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों की ओर कुछ ध्यान दिया है । आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाक्टरों की कमी थी, जहां एक-एक डाक्टर प्राइमरी सेंटर में रहता था वहां अब दो-दो डाक्टरों की व्यवस्था की है । यह भी हमारे लिये प्रसन्नता की बात है । इसके अलावा अभी तक हमारे प्रदेश में पर्यटन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अन्दर में काम करता है । अब उसके लिये एक अलग विभाग खोला है जो वन मंत्री के अन्तर्गत काम करेगा । इसके लिये भी हम उनको धन्यवाद देते हैं । इससे आशा की जाती है कि हमारा पर्यटन उद्योग बढ़ेगा और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा ।

आज इतने वर्ष हो गये हमारा पर्वतीय क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ है । वहां गरीबी है, बेरोजगारी है । हमारी हालत बहुत चिन्ताजनक है । इसके लिये एक पर्वतीय क्षेत्र परिषद् की बठक दिल्ली में हुई जिसमें हमारे भारत सरकार के संचार मंत्री ने कहा :—

"Bahuguna said that he was not in the habit of making complaints but he was sorry to say that the U. P. Government had done little to improve the lot of the people living in the hill districts. Allowing them to remain so any longer would pose a serious threat to national unity. "

तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग चाहे वह मंत्रिपरिषद में हों, चाहे किसी भी दल के हों, वे यह सोचने लगे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का बड़ा अहित हुआ है । ऐसे ही जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी थी तो यह कहा गया था :

In the absence of any industry and in view of the extremely limited culturable area in the region the incidence of unemployment is high. Lack of communication and transport facilities are hampering the growth of horticulture—a forest industry."

तृतीय पंचवर्षीय योजना जिस वक्त बनी थी उस वक्त भी हमारे यहां आने-जाने के साधन नहीं थे, उद्योग नहीं थे, बाग-बगीचे नहीं थे । आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में वही समस्या विद्यमान है । इस बजट में अवश्य वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम भूमिहीनों को जमीन देंगे और कहा है कि ९३,५४६ एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है । लेकिन हमारे उत्तराखंड के लोगों को तराई भावर में कतई जमीन नहीं मिली है।

श्री इन्द्रमणि—

जो इसमें यह कहा है कि भूमिहीनों को जमीन दी जायगी तो क्या कोई बजट उत्तर प्रदेश में ऐसा भी आया है जिसमें यह न कहा गया हो ।

श्री गोपालदत्त ओझा—

यह तो सारे प्रदेश में जिन लोगों को जितनी भूमि दी गयी है उसका दिग्दर्शन इसमें किया है परन्तु हमारी आपति तो यह है कि उत्तराखंड के लोगों को इस बीच तराई में जहां काफी जमीन उपलब्ध है वहां कोई जमीन नहीं दी गयी ।

हमारे यहां बहुत से भोटियों के गांव तिब्बत से मिले हुये हैं । वह जिस क्षेत्र में रहते हैं कुछ लोगों के पास मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है। उनकी आज ऐसी दशा है कि वे लोग बहुत परेशान है वहां पर नदियों में बराबर बाढ़ आती है । उनके मकानों में दरार आने लगी है । वे लोग बराबर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी रक्षा की जाय

[श्री गोपाल दत्त ओझा]

पहाड़ी की बहुत सी जमीन मिलिटरी ने ले ली है। जितनी वहां पर बस्ती के अन्दर जगह थी वह भी उनके पास नहीं रह गई है । उनको मकान के लिये भी जमीन नहीं दी गई इस तरह से उत्तराखंड के कुछ लोग हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं रह गई है। इसलिये उनको बसाने के लिए तराई भाबर में व्यवस्था की जाय। १९६७ में इसी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से एक आदेश जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि सब से पहले प्राथमिकता उन लोगों को दी जायगी जो लड़ाई से प्रभावित जवानों के आश्रित हैं । दूसरे नम्बर पर उनको दी जायगी जो परमवीर चक्र या वीर चक्र या महवीर चक्र प्राप्त करेंगे तीसरे नम्बर पर उनको दी जायगी जो नैनीताल के रहने वाले होंगे। चौथे नम्बर पर भूमि-हीन लोगों को जमीन दी जायगी ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि उस आदेश का पालन कहां पर हुआ है ? क्या इस आदेश के अनुसार उत्तराखंड के लोगों को जमीन दी गई है ? आज उनके पास जमीन नहीं है । आज नैनीताल में उन लोगों को जमीन नहीं मिल पाई है ।भूतपूर्व कमिश्नर की पत्नी के नाम जमीन है और उसने काफी जमीन पर कब्जा किया हुआ है । उसके पास बाजपुर में जमीन है । नैनीताल के भू०पू० डि०सी० रामरूप सिंह के पुत्र किछा में जमीन लिये हुये हैं । बाजपुर में ६०० एकड़ का फार्म भी बड़े आदमी का है । ६०० एकड़ का फार्म भी बाजपुर में दूसरे इटली वाले का है। तो फिर उत्तराखंड के भूमिहीनों को जमीन कहां पर दी गई है । आज यहां पर सीलिंग की बात कही जाती है। हम इस बात का वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने शहरों और गांवों में सीलिंग की बात कही है लेकिन नैनीताल के हिस्से में जो हजारों एकड़ जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उसको निकालने के लिये कानून बनाया जाय तो भूमिहीनों का लाभ हो सकता है ।वे लोग भिन्न रूप में केस बनाकर हाई कोर्ट में चले जाते हैं और अपना कब्जा है बरकरार रखने का प्रयास करते हैं ।

मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ में जंगलात बहुत काफी हैं । अगर जंगलों के आंकड़ों को देखा जाय तो पहाड़ों में जंगलात बहुत ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के ५४ जिलों में पहाड़ों के अन्दर ही अधिक जंगल हैं और उसमें भी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जंगल है। उत्तर काशी में करीब में ८६ परसेंट है। पौड़ी में ८२ परसेंट, अल्मोड़ा में ६७ परसेंट, चमोली में ६१ परसेंट, टेहरी में ५६ परसेंट, नैनीताल में ५३ परसेंट और देहरादून में ५३ परसेंट है । मेरा ख्याल है कि पहाड़ों के अन्दर इतने जंगल हैं कि वहां के लोग लकड़ी का व्यापार कर गुजर कर सकते हैं । लीसे का व्यापार कर सकते हैं लेकिन पहाड़ के रहने वाले इन जंगलों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ।

सहारनपुर का पेपर मिल वहां की लकड़ी सस्ते दर पर लेता है और बरेली की फैक्टरी पर्वतीय वनों और लीसे का इस्तेमाल करती हैं । वहां पर हमको केवल एक छोटी सी लीसे के उद्योग के लिये फैक्टरी मिली है लेकिन वह बहुत छोटी है । यह विचित्र बात है आजकल जो यह बाढ़ आ रही है इसका कारण पहाड़ों के जंगल की बरबादी होती चली जा रही हैं जंगलात की रक्षा नहीं हो रही है। उनकी रक्षा की कोई योजना नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से केराला में प्राइवेट फारेस्ट का राष्ट्रीयकरण किया गया है वह यहां पर भी किया जाय । केराला में जो एक वर्ग मील फारेस्ट से आमदनी होती है वह यहां पर नहीं होती है । इसलिये वन मंत्री जी इस बात को देखें कि जिस प्रकार से केराला में प्राइवेट बनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और उससे वहां की आमदनी बढ़ी है वैसा क्या उत्तर प्रदेश में भी किया जा सकता है या नहीं ? वन से लीसा बहुत प्राप्त किया जा सकता है और उससे बहुत लाभ हो सकता है । मगर जिस व्यक्ति को लीसा दिया जाता है वह उसको सस्ते भाव पर प्राप्त किया जाय परन्तु यहां उसके लिये रेट अलग है । जो लोग उद्योग करना चाहते हैं उनको वह नहीं दिया जाता है चाहे वह अधिक दाम भी देने

का प्रयास करें ।इसलिये लीसे का उत्पादन करके यदि उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं तो लीसे के दाम हर जगह एक होने चाहियें ।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अधिक खेती नहीं है और बगीचों से गुजर नहीं हो रही है और जो वहां के थोड़े बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं उनमें बेकारी बहुत अधिक है । आप यह समझ सकते हैं कि तिब्बत का क्षेत्र वहां से मिला हुआ है और सुरक्षा का प्रश्न वहां है तो वहां पर पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी और औद्योगीकरण के न होने से क्या नतीजा हो सकता है, आप लघु उद्योगों के लिये कर्ज न देंगे और उनको जीविका के साधन नहीं देंगे तो क्या होगा, उसके भविष्य को आप समझ सकते हैं । आज पहाड़ों में नये उद्योग लगाने की आवश्यकता है । वहां पर समझदार और योग्य अफसर भेजे जायं जो हमारी योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें । अगर वहां योग्य अनुभवी अफसर नहीं भेजे जायेंगे तो ईमानदारी से आप योजना को कार्यान्वित न कर सकेंगे और सारा बजट बेकार हो जायगा ।

आज प्रदेश में बजट का बहुत बड़ा भाग कर्मचारियों के वेतन में व्यय होता है । मैं इस बजट का जो माननीय तिवारी जी ने रखा है स्वागत करता हूं लेकिन जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है जो वेतन भत्तों में पैसा जा रहा है वह बहुत ज्यादा है । आप सन् ६५-६६ के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि २४० करोड़ रुपये में से १३५ करोड़ के लगभग पैसा वेतन भत्तों पर खर्च किया गया है । उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब ....

श्री अध्यक्ष—

अब डिवेट का समय समाप्त हो गया । आप कृपया बैठें ?

श्री गोपाल दत्त ओझा—

श्रीमन्, मैं अपनी अंतिम बात कह कर अब समाप्त करता हूं । इस प्रदेश के बजट में वेतन और भत्ते में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है । विकास के काम के लिये पैसा नहीं मिलता है, इससे विकास नहीं हो सकता है । अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा की गयी, उसे आगे न बढ़ाने की कोशिश की गयी, वहां की समस्या का सामना न किया गया और इस इलाके के लिये कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया तो वहां के लोगों में बहुत निराशा होगी और देश के लिये न्यायोचित न होगा। अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले के सम्बन्ध में नियम ५६ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत एक कामरोको प्रस्ताव आया है । यह माननीय सुरेंद्र विक्रम, माननीय कल्पनाथ सिंह आदि का है । इसमें कहा गया है कि वर्तमान सरकार केवल अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले में व्यस्त है, सारे निर्माण के कार्य इससे स्थगित हो गये हैं और असामयिक वर्षा से जो बाढ़ आयी है, उसमें जो सहायता कार्य होना चाहिये था उसमें गतिरोध उत्पन्न हुआ है । मंत्री लोग केवल तबादले में व्यस्त है । जिले में अधिकारी लोग भी व्यस्त हैं । मतलब यह है कि चूंकि वे व्यस्त हैं इसलिये कोई कार्य नहीं हो रहा है । लेकिन यह कैसे निश्चित हो सकता है । हर साल सैकड़ों तबादले होते रहते हैं ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, किसी-किसी जिले में तो ५-५ बार तबादले हुए हैं । ग्राम सेवकों से लेकर कमिश्नर्स तक और डी०आई०जी० से लेकर सिपाही तक । बहुत से ऐसे तबादले हुए हैं कि एक जिले में एक का तबादला हुआ और फिर वहां पर दूसरे का तबादला कर दिया गया और फिर वहां पर तीसरे आदमी का कर दिया गया । गोरखपुर में इसी प्रकार से एक श्री सक्सेना का तबादला हुआ, फिर कैंसिल हो गया । तो इस प्रकार से अगर तबादले होते रहे तो सरकार का कितना रुपया टी०ए०, डी०ए० में बरबाद होगा । तबादले करते समय यह सोचा जाता है कि राजनीतिक स्तर पर कौन अधिकारी कहां ठीक रहेगा । कुछ के तो तबादले केवल ३ और ६ महीने के उपरान्त ही हो गये और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पर ३ वर्ष या इससे भी अधिक समय से काम कर रहे हैं । मेरे विचार में इस कार्य के लिये एक अलग से मिनिस्टर नियुक्त कर दिया जाय जो तबादले का मंत्री कहलाया जाये । सारे अधिकारी और कर्मचारी, जिनके तबादले हुए हैं, वे लखनऊ में पड़े हुए हैं और सारे जिलों में कार्य अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है । इसलिये आप आदेश देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

तबादले तो होते ही रहते हैं । इसलिये मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, हम लोगों ने जो सूचना दी है, इस सूचना पर आपने क्या आदेश दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो यह लिखा है कि आप लोग इस संबंध में सामान्य वाद विवाद में प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, क्या आप यह व्यवस्था कर देंगे कि जो बजट पर सामान्य वाद विवाद में इस बारे में जो प्रश्न उठाये जायेंगे, मंत्रियों की ओर से इन पर उत्तर आ जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसकी सामान्य वाद विवाद में और फिर बाद में अनुदानों के डिस्कशन में भी चर्चा कर सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

लेकिन श्रीमन्, क्या माननीय मंत्रियों की ओर से इनके बारे में उत्तर आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई निश्चित घटना नहीं है अतः मैंने इसे अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, माननीय कल्पनाथ सिंह जी जब राज्य मंत्री थे तो उस अवधि में अधिकतर दौरा ही किया करते थे ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने देवरिया जिले के मधुमती बांध के टूट जाने की सूचना दी है। इसको मैंने स्वीकार कर लिया है और यह दिनांक २३ को आयेगा। दूसरा है श्री हरिवंश सहाय की सूचना कि सलेमपुर जिला देवरिया के अभियंता (सिंचाई विभाग) के श्री आर०एन० चतुर्वेदी द्वारा कर्मचारियों को वेतन न देकर सात हजार रुपये को अपने निजी खाते में जमा कर दिया गया है। इसकों मैंने अस्वीकार किया है। यह इंडोविजुअल केस है इसकों आप प्रश्न में ले सकते हैं। इसके बारे में प्रश्न है भी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत बस्ती जिले की नौगढ़ व बांसी तहसीलों में बूढ़ी राप्ती व राप्ती नदी से बाढ़ द्वारा हानि की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। इसका भी वक्तव्य २३ तारीख को होगा। (श्री उदित नारायण शर्मा, राजस्व मंत्री की ओर इशारा करते हुए।)

जितने बाढ़ के संबंध में आते हैं यदि इनको रोज-रोज लें तो उचित नहीं होगा। यदि हफ्ते में एक रोज आप बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य दे दें तो अच्छा हो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, बड़ी कठिनाई होगी अगर बाढ़ वाले सबको एकमें शामिल कर लिया जायेगा। इससे कन्फ्यूजन हो जायेगा। हमारे दूसरे माननीय सदस्य भी पूछना चाहेंगे तो किसके बारे में पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष---

कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। उनके पास तो लिखा रहेगा।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा निवेदन यह है कि बांध टूटने से संबंधित मसले अलग हैं। बाढ़ वाले मसले दूसरे चालू हो गये। इनको अलग-अलग कर दीजिये, उसमें आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष---

छितौनी पर तो एक बार बहस हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री राम करन सिंह---

मान्यवर, यह बांध का सवाल बाढ़ से अलग है। गंडक योजना पर लगा सारा धन व्यर्थ चला जायेगा.....

श्री अध्यक्ष---

मधुमती बांध का टूट जाना.....

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह आकस्मिक घटना है, और बाढ की जो बात है वह अलग है.....

श्री अध्यक्ष---

हमने हर साल यह किया है कि बाढ़ के बारे में हर सप्ताह या १५ दिन में संबंधित मंत्री वक्तव्य दें ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

यह बाढ़ नहीं है । यह तो एक आकस्मिक घटना है....

श्री राम करन सिंह---

मान्यवर, बाढ़ और बंधे का टूटना अलग-अलग बात है । सरकार बाढ़ की सुरक्षा के लिये जो करती है उस बंधे का टूट जाना एक अलग बात है । दोनों के लिये अलग-अलग समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

अलग-अलग की बात नहीं है । दोनों का एक ही वक्तव्य होगा । लेकिन आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री राम करन सिंह---

श्रीमन्, उसके लिये हमें समय मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

समय तो देंगे ही । अब नम्बर ९ का वक्तव्य होगा ।

श्री गोबिन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

श्रीमन्, मैंने दफा ५२ में दिया था.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

नियम ५२ में मैंने एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५२ वाले दस हैं । उसकी सूचना मैं आपको बाद में दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, कल उपाध्यक्ष जी ने निश्चित आदेश दिया था । मैंने आपकी सेवा में उसे भेज दिया है । चीनी मिलों पर जो किसानों का गन्ने का पसा बकाया है (व्यवधान) मैंने उसमें ढाई घंटे की चर्चा चाही है ।

श्री अध्यक्ष---

वह मेरे पास नहीं आया ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैंने सचिव के पास भेजा है ।

श्री अध्यक्ष---

वह मेरे पास भेजेंगे तो मैं देखूंगा । अभी मेरे पास आया नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह---

श्रीमन्, उसी विषय में मैंने भी दिया है.....

श्री अध्यक्ष—

इस समय दफा ५२ के नहीं ले रहे हैं। अब वक्तव्य.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी, मैंने नियम ५१ का एक दिया था.....

गोंडा जिले के गांव नवडिहवा में हरिजन परिवारों को लूटने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

गोंडा जिले के ग्राम पुरे नवडिहवा, ग्राम सभा उज्जैनी कलां, थाना धानेपुर में हरिजन परिवारों को लूटे व पीटे जाने के विषय में श्री त्रिवेणी सहाय द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गृह मंत्री अब वक्तव्य देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

दिनांक १५-६-७१ को ग्राम नव डिहवा, मजरे उज्जैनी कलां, थाना धानेपुर के निवासीगण सर्वश्री राम टहल, राम लखन, गजाधर और किचकने ने पुलिस अधीक्षक, गोंडा के समक्ष उपस्थित होकर अपने-अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिनमें घर लूटने आदि की कुछ शिकायतें की गई थीं।

प्रार्थना पत्रों के आधार पर थाना धानेपुर पर धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत ४ मुकदमें दर्ज किये गये जिनमें जांच हो रही है। तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। शेष नांमाकित अभियुक्त, जो फरार हैं, के विरुद्ध ८७/८८ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

वादीगण द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों में घर जलाये जाने की कोई शिकायत नहीं की गई है और जांच से भी कोई घर जलाये जाने का प्रमाण नहीं मिला है। इस घटना में वादी पक्ष के ५ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। यह सही नहीं है कि गांव का प्रत्येक घर लूट लिया गया है और लोगों को गांव से निकाल दिया गया। इस बात का भी कोई से प्रमाण नहीं मिला है कि अभियुक्त बन्दूकों से लेस होकर गांव वालों को मार डालने के लिये घूमते हैं। किसी प्रकार के आतंक व्याप्त होने की सूचना नहीं है यह बात भी सही नहीं है।

(इस समय ४ बजकर ४६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस गांव में हरिजनों की रक्षा हेतु आर्म्ड गार्ड तैनात कर दिया गया है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन सरकार पूरी तरह से सतर्क है। हरिजनों की रक्षा का ध्यान सरकार को उतना ही है जितना कि माननीय सदस्य को।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चार मुकदमों में कितने लोग नामजद किये गये हैं और जो लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं उनके अलावा उनमें से कितने लोगों के खिलाफ दफा ८७/८८ की कार्यवाही की गयी है और किन-किन तारीखों में वह कार्यवाही की गयी है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

कुल १७ व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थी जिनमें से ३ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और शेष के विरुद्ध ८७/८८ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है और अन्य मामलों की पूरी जानकारी के लिये छानबीन भी करायी जा रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि घटना की तिथि क्या है और थाने में रिपोर्ट न लिखा कर उनको पुलिस कप्तान के पास क्यों जाना पड़ा ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह तो वही लोग बिचार कर सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया ? हो सकता है कि उनको कोई आतंक या भय रहा हो या हो सकता है कि यह सोचा हो कि थाने में जाने की अपेक्षा पुलिस अधीक्षक के यहां जाने से शीघ्र कार्यवाही हो सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप अनुमान लगा रहे हैं । यह आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह प्रश्न इससे उठता नहीं है, यह अप्रासंगिक प्रश्न है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निश्चित सवाल पूछा है कि घटना की तिथि क्या है और बजाय थाने में जाने के वे पुलिस कप्तान के पास रिपोर्ट लिखाने के लिये क्यों गये । इस पर पहले तो वे जवाब देने से अपने को इधर उधर टालते रहे और दोबारा उन्होंने कहा कि यह सवाल असंगत है । प्रश्न असंगत या अप्रासंगिक है, यह कहने का अधिकार एकमात्र केवल आपको ही है । फिर उन्होंने कैसे इसको रूल आउट कर दिया और कहा कि यह असंगत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा उनको नहीं कहना चाहिये था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बहुत जरूरी है कि घटना किस तारीख की है । १५ तारीख को यह बतलाया गया है । अब या तो वे ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या विभाग की तरफ से ठीक से समझाया नहीं गया है, क्योंकि किस दिन की घटना है यह इसमें दिया हुआ नहीं है । और फिर रिपोर्ट थाने में लिखवाने के लिये लोग जाते हैं लेकिन इससे मालूम होता है कि या तो पुलिस में कुछ गड़बड़ी है या एक्यूज्ड में कुछ गड़बड़ी है जिससे उनको थाने से पुलिस कप्तान के यहां जाने की जरूरत पड़ी । यह जरूरी सवाल है जिसका उत्तर आना चाहिये जो नहीं दिया जा रहा है । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उसका जवाब दिलवा दें ।

नियोजन राज्य-मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

१४ तारीख की घटना है और १५ तारीख को पुलिस अधीक्षक के पास यह रिपोर्ट लिखवाई गई । उन्होंने यह कहा कि थाने पर जाने पर दूसरी पार्टी के लोग थे और उन्होंने रिपोर्ट को लिखवाने नहीं दिया इसी लिये वह अधीक्षक के पास गये ।

श्री उपाध्यक्ष---

यदि आपके पास इसकी सूचना हो तो दे दें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

मान्यवर, मेरे पास इसकी सूचना है लेकिन मैं समयाभाव के कारण इसको नहीं पढ़ रहा हूं । यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको पढ़ दूंगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

चार प्रार्थना पत्र दिये गये । जो प्रथम पुलिस अधीक्षक को दिया गया क्या उसको पढ़ने का कष्ट करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, इसको जानबूझ कर सप्रेस किया गया है । ऐसा करने से सदन का अवमान होता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह सदन का अवमान नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

यदि अवमान हुआ तो मैं क्षमा मांगता हूं ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

जिन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं वे १७ हैं । उनके नाम मैं पढ़े देता हूं । १---१---उजागर सिंह पुत्र रघुनाथ, २---भगेलू सिंह पुत्र उजागर सिंह, ३---विक्रमा पुत्र नामालूम, ४---बृजबिलास सिंह पुत्र राम राज सिंह, ५---रामेश्वर सिंह पुत्र राम प्रसाद, ६---सहदेव-सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह, ७---बृजपाल पुत्र छांगुर, ८---रघुपत राम पुत्र बृजलाल, ९---राम मनोहर पुत्र नामालूम, १०---राम मनोरथ पुत्र नामालूम, ११---सुखराज पुत्र नामालूम, १२---हलचल पुत्र राम अभिलाख सिंह, १३---राम लखन पुत्र दीन दयाल, १४---अलगू राम पुत्र शिवनाथ, १५---केदार पुत्र हरि प्रसाद, १६---नानमू पुत्र केदार, १७---बल्देव पुत्र भागीरथ तथा और ५० ६० आदमी जिन्हें देखकर पहचान सकता है । उसमें लिखा है श्रीमान जी निवेदन है कि अभियुक्तगण इलाके के सरकश व गिरोहबन्द हैं । प्रार्थी के तथा प्रार्थी ग्राम के अन्य लोगों के हरी बेगारी न देने के कारण अक्सर तंग व परेशान किया करते हैं तथा फरजी मुकदमा बनाकर परेशान करते रहते है । अभियुक्तगण के दसलूकी के विरुद्ध एक इस्तगासा ए०डी०एम० (जे०) महोद के यहां जेर कार्यवाही है जिसमें थाना मनकापुर के दरोगा साहब भी अभियुक्त है । थाना धानेपुर की पुलिस भी अभियुक्तों के लूट खसोट में हिस्सा लेती है । उपरोक्त मुकदमा में परेशान होकर अभियुक्तगण ने प्रार्थी तथा अन्य लोगों को बहुत धमकाया कि मुकदमा उठा लिया जाय तथा अभियुक्तगण इस्तगाशा में हिस्सा लेने वाले सभी व्यक्तियों को लूट फूंक देंगे । तथा मारे पीटेंगे जिसपर प्रार्थी व अन्य लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कल दिनांक १४-६-७१ को करीब १० बजे दिन अभियुक्तगण तथा १०-१५ व्यक्ति और जिनका नाम पता प्रार्थी नहीं जानता है देखकर पहचान सकता है । लाठी बल्लम से लैस प्रार्थी के ग्राम में पहुंचे और लूटमार शुरू कर दी । इस तरह प्रार्थी व राम लखन गजाधर तथा किचकने के घरों का दरवाजा तोड़ डाला और सारा सामान लूट लिया, औरतों को मारा पीटा उनके जेवरात छीन लिये तथा रामलखन व प्रार्थी राम टहल को इतनी बुरी तरह से बल्लम और लाठी से मारा है कि वह काफी देर तक बेहोश पड़े रहे । गोहार पर गांव के डगरू, निवरे, लुद्दर तथा परोड़ी पुरवा के तमाम लोग गोहार सुनकर दौड़े । तब मुलजिमान लूटा हुआ माल लेकर भाग गये । प्रार्थी का सामान जिसका

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

विवरण निम्नलिखित है डाकू लोग ले गये बाकी का रिपोर्ट करने प्रार्थी थाना धानेपुर गया तो वहां अभियुक्त नं० १ मौजद था । प्रार्थी को बहला फुसलाकर शाम तक रोके रक्खा, न रिपोर्ट लिखी न दवा का कोई इन्तजाम किया गया । प्रार्थी तथा अन्य लोग आज लौट कर गोंडा आये हैं । अतः प्रार्थना है कि श्रीमान जी से स्वयं कोशिश करके मुकदमा कायम करवा कर तफतीश कराये जाने की कृपा की जाय अन्यथा हम गरीबों का गांव में रहना दूभर हो जावेगा ।

विवरण सामान

श्री अनन्तराम जायसवाल---

रिपोर्ट को ऊपर से तीन चार लाइन फिर पढ़ दीजिये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

प्रार्थी थाना धानेपुर गया तो वहां अभियुक्त नं० १ मौजूद था । प्रार्थी को बहला, फुसलाकर शाम तक रोके रक्खा, न रिपोर्ट लिखी न दवा का कोई इन्तजाम किया गया । प्रार्थी तथा अन्य लोग आज लौट कर गोंडा आये हैं । अतः प्रार्थना है कि श्रीमान जी से स्वयं कोशिश करके मुकदमा कायम करवा कर तफतीश कराये जाने की कृपा की जाय अन्यथा हम गरीबों का गांव में रहना दूभर हो जावेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह पता लगता है कि पुलिस की इसमें साजिश थी और जब थाने पर आदमी रिपोर्ट के लिये गया तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई । तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी अधिकारी को इस बारे में जांच करने के आदेश देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

यह रिपोर्ट पुलिस कप्तान के यहां लिखी गई । सर्किल इन्सपेक्टर जांच कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि उनकी रिपोर्ट आ जाय तो और जांच की आवश्यकता होगी तो करवा ली जावेगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनके अलावा किन-किन के खिलाफ दफा ८७/८८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि किसी मुलजिम के खिलाफ यह कार्यवाही नहीं की गई है । इन मुलिजमों में ४,६ के पास हथियार हैं लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । १० बजे से लेकर सायंकाल ४ बजे तक डकैती होती रही । गरीब आदमी रिपोर्ट लिखाने गये उन्हें भगा दिया गया और थानेदार पर दबाव डाला गया कि कोई रिपोर्ट न लिखी जाय । १३ मुलजिमों को नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि वे बड़े-बड़े लोग हैं । गरीब किसान हैं जो उनकी हलवाही नहीं करते थे और इनकी लड़कियों से वे संबंध रखते थे, उन्हें पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है । इस रिपोर्ट पर ठीक से जवाब मंगाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका कोई सवाल तो हुआ नहीं ।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

यह देखते हुए कि यह सरकार हरिजनों और दलित वर्ग के लोगों को उठाना चाहती है मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन में कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि हरिजनों के घर लूटे गये या

जलाये गये । ऐसा कोई मामला नहीं आया कि ठाकुर का घर जलाया गया हो या लूटा गया हो । इस रिपोर्ट से भी मान्यवर, जाहिर है कि वहां पुलिस वाले मिले हुए हैं । इस गम्भीरता को देखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी इन तमाम बातों की सी० आई० डी० से जांच कराकर उन्हें दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

इसमें तीन आदमी गिरफ्तार हैं और बाकी जो फरार हैं उनके खिलाफ ८७-८८ की कार्यवाही की गयी है । सी० आई० डी० द्वारा जांच की बात कही गयी तो उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि अगर सी० आई० डी० से जांच करायेंगे तो मुकदमें रुक जायेंगे । अगर रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सी० आई० डी० की जांच की जरूरत है तो वह करा ली जायेगी। माननीय सदस्य जो कह रहे थे तो अगर कोई नई बातों का सूचना देंगे तो उसकी अलग से इंक्वायरी करा लेंगे ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

जिन व्यक्तियों के खिलाफ ८७-८८ की कार्यवाही हुई है उनके क्या नाम हैं और किस तारीख को यह हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उन लोगों के नाम हैं उजागर सिंह, भगेलू, विक्रमा, बृज बिलास सिंह, रामेश्वर सिंह, सहदेव सिंह, बृज लाल, रघुपत राम, राम मनोहर, राम मनोरथ, सुखराज, हलचल सिंह, रामलखन, अलगूराम, केदार, नानमन, तथा बलदेव । १३ तारीख के बाद ही यह कार्यवाही हुई है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जैसे अभी सवाल किया गया था कि आखिरकार क्या कारण हुआ कि बजाय इसके थाने पर रिपोर्ट दर्ज हो वह सुपरिंटेंडेंट पुलिस के यहां दर्ज करायी गयी । जवाब में कहा गया था कि वे लोग जब रिपोर्ट देने थाने पर गये तो रोक लिया गया और बहकाया गया । यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि रिपोर्ट अभियुक्तों के डर के मारे लिखाने नहीं गये या कि पुलिस की भी इसमें कनाइवेंस थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं समझता हूं कि अक्सर ऐसा होता है । माननीय सदस्य भी सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं । मेरे पास बहुत से आदमी ऐसे आते थे जो यह कहते थे कि थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखायेंगे लिखायेंगे पुलिस कप्तान के यहां । थाने पर लिखायेंगे तो पता नहीं गलत सलत क्या लिख दें इसमें भी उन्होंने कहा है कि जब वे थाने पर गये तो दूसरे पक्ष के आदमी भी मौजूद थे और उन्हें बहकाये में शाम तक बिठाया गया और उन्होंने सोचा कि रिपोर्ट ठीक-ठीक नहीं लिखेंगे इसलिये उन्होंने पुलिस कप्तान के लिये रिपोर्ट लिखायी । अब माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि वहां थाने पर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी तो इसकी भी जांच करा लूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो माल लूटा गया वह कुल कितनी रकम का था और क्या उसमें से कुछ वापस भी कर दिया गया ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

उसकी तफसील मेरे पास है, आप कहें तो मैं उसे ही पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तफसील पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, इस घटना की पृष्ठभूमि को देखते हुए तथा यह देखते हुये कि मुल्जिमान और जिनके घर डाका पड़ा उनके आपस में संबंध पहले से ही खराब थे, दूसरे यह घटना दिन दहाड़े की है और लोगों को चोटें भी आयीं हैं, तीसरे यह कि पुलिस भी मुलजिमान से हमदर्दी रखती है, यह सब देखते हुये क्या माननीय मुख्य मंत्री इसी वक्त किसी बड़े अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं बजाय इसके कि वे रिपोर्ट का इन्तजार करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मुझे कोई बात ऐसी नहीं दिखाई दे रही है कि पुलिस की हमदर्दी उनके साथ हो क्योंकि कई लोग गिरफ्तार भी हुये हैं और दफा ८७-८८ की कार्यवाही भी चल रही है और जांच पड़-ताल भी हो रही है । अब माननीय जायसवाल जी की राय है तो मैं डी० आई० जी० से कहूंगा कि वे इस मामले को देख लें ।

(व्यवधान)

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

यह दुतरफा ११७ आदि की कार्यवाही चल रही है उसका क्या आधार है ? क्या दूसरी पार्टी ने भी कोई रिपोर्ट दर्ज करायी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

क्योंकि वहां उनमें पहले से ही तनाव था, इसलिये १०७-११७ आदि की कार्यवाही पहले से चल रही थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम १९ तारीख के ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १० मिनट पर सोमवार, १९ जुलाई, १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ
१६ जुलाई, १९७१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये १५ जुलाई, १९७१ के स्थगित अ० स्० ता० प्र० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३९ पर)

परिशिष्ट 'क'

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों से वर्ष १९७१–७२ हेतु संबंधित योजनायें भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गईं ।

जिले का नाम	लघु सिंचाई योजना रु० (लाखों में)	वन योजना	सड़क निर्माण	विवरण
इलाहाबाद	२३.००	२.२०	(२० लाख स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है)	पत्र सं० १३५१/३८-ख, दिनांक १८-२-७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई ।
बांदा	१२७.४९०	३.०६२	६९.४४८	पत्र संख्या ३०३५/३८-ख, दिनांक ५-५-७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई ।
हमीरपुर	१७५.३३	२५.२०	..	पत्र सं० २३१७/३८-ख, दिनांक २७-४-७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई ।
जालौन	४३.९७	८.६०	१४८.४५	पत्र सं० २००६/३८-ख, दिनांक २७-४-७१ द्वारा भारत सरकार को भेजी गई ।
बाराणसी	११२.७२	३.२०	८२.९७	

रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों हेतु भारत सरकार को वित्तीय स्वीकृति वर्ष १९७१-७२ हेतु प्राप्त हो चुकी है।

			रु० (लाखों में)
बाराणसी	.. लघु सिंचाई कार्य	..	३०.००
	वन कार्य	..	३.२०
	सड़क निर्माण	..	२०.००
			५३.२०
इलाहाबाद	.. सड़क निर्माण	..	२०.००
मिर्जापुर	.. लघु सिंचाई	..	६१.३६
	सड़क निर्माण	..	५०.००
			१११.३६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५२ पर)

इस समय इनफैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री (शिशु आहार निर्माणशाला) दलपतपुर, मुरादाबाद में २३८ कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, जिनका ब्योरा निम्नलिखित है :

क्रम सं०	पद का नाम	कर्मचारियों की सं०
१	मैनजर	१
२	सहायक मैनेजर	१
३	डेरी इंजीनियर	१
४	सीनियर चार्ज हैण्ड	१
५	जू० आ० चार्ज हैण्ड	५
६	स्टोर पर्चेज आफीसर	१
७	स्टोर कीपर	१
८	सेल आर्गनाइजर	१
९	सेल सुपरवाइजर	१
१०	सहायक सेल सुपरवाइजर	१
११	हेड टाइम कीपर	१
१२	शिफ्ट टाइम कीपर	१
१३	क्वालिटी कन्ट्रोल आफिसर	१
१४	सहायक क्वालिटी कन्ट्रोल आफिसर	१
१५	शिफ्ट केमिस्ट	३
१६	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर	१
१७	सीनियर रेफिजिरेशन मैकेनिक	२
१८	इलेक्ट्रिशियन	३
१९	जूनियर इलेक्ट्रिशियन	२
२०	मैकेनिकल फिटर	१
२१	जनरल मैकेनिक	१
२२	ट्रान्सपोर्ट फोरमैन	१
२३	फिटर	२
२४	सहायक फिटर	१
२५	ब्वायलर एटेन्डेन्ट	३
२६	जू० रेफ्रिजरेशन मैकेनिक	२
२७	ट्यूबबेल एटेण्डण्ट	१
२८	मैसन-कम-प्लम्बर	१

क्रम सं०	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या
२९	सहायक	४
३०	मजदूर	१
३१	कार्यालय अध्यक्ष	१
३२	सीनियर लेखाकार	१
३३	लेखाकार	३
३४	सीनियर लेखाकार	५
३५	जू० लेखा लिपिक	८
३६	खजांची	१
३७	सहायक खजांची	१
३८	जू० लिपक	७
३९	रूट क्लर्क	५
४०	ड्राइवर	१४
४१	क्लीनर	१०
४२	जूनियर मोटर मैकेनिक	१
४३	डेरी सुपरवाइजर	७
४४	जू० डेरी सुपरवाइजर	७
४५	फील्ड सेन्टर सुपरवाइजर	३४
४६	लैब असिस्टेन्ट	१
४७	लैब एटेन्डन्ट	३
४८	ओवरसियर	१
४९	सिक्योरिटी आफीसर	१
५०	वाच मैन	१५
५१	डेरी मैन	५८
५२	स्वीपर	२
५३	चपरासी	१
५४	माली	३
५५	बैरा (अतिथ्यालय)	१
	योग ..	२३८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५६ पर)

श्री मनेजर सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६ से सम्बन्धित सूची।

जिला बलिया के दोआबा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष १९७१–७२ की अवधि में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों तथा उनको की गयी सहायता का विवरण।

अग्निकांडों की संख्या तथा ग्राम का नाम	अग्निकांड की तिथि	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	दी गयी सहायता	
			अहेतुक सहायता रु०	गृह निर्माण अनुदान रु०
१—तालिबपुर ..	२–४–७०	तालिबन पुत्र घरभरन	२०.००	—
		शिवलखन पुत्र घरभरन	२०.००	—
		राम जन्म पुत्र चरितर	२०.००	—
		जगरनाथ पुत्र देवन	२०.००	—
२—सूर्यभान पुर ..	६–४–७०	भगवत पुत्र लालजी	—	—
३—चकगिरधर ..	६–४–७०	मुनी पुत्र सर्वजीत तिवारी	—	—
४—चकिया ..	११–४–७०	बंशरोपन पुत्र रामलखन	२५.००	—
५—दीधार	१६–४–७०	बाजार ग्राम सभा, दीधार	—	—
६—श्रीनगर	१८–४–७०	जू० हा० स्कूल श्रीनगर	—	—
७—मधुबनी	१९–४–७०	अमावस पुत्र जोउत	२५.००	१००.००
		रामनाथ पुत्र बूटी	२५.००	१००.००
		सूधन पुत्र करौंस	२५.००	१००.००
		गरज पुत्र मथुरा	२५.००	१००.००
		गंगा पुत्र करौंस	२५.००	१००.००
		सरजू पुत्र मकसूदन	२५.००	१००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			रामचन्द्र पुत्र करौंस	..	..	२५.००	१००.००
			बलेसर पुत्र जोउत	..	..	२५.००	१००.००
			भैया पुत्र मथुरा ..	..	..	२५.००	१००.००
			मुनीलाल पुत्र चन्द्रिका	..	..	२५.००	१००.००
			जगरनाथ पुत्र बूटी ..	..	..	२५.००	१००.००
			चन्द्रिका पुत्र मकसूदन	..	..	२५.००	१००.००
			शिवदयाल पुत्र सरजू	..	..	२५.००	१००.००
			जवाहिर पुत्र सरजू	..	..	२५.००	१००.००
			लल्लू पुत्र गरज ..	..	..	२५.००	१००.००
			दूखन पुत्र चन्द्रिका	..	..	२५.००	१००.००
			सूर्यनाथ पुत्र चन्द्रिका	..	..	२५.००	१००.००
			बूटी पुत्र करौंस ..	..	..	२५.००	१००.००
८—बाजिदपुर	..	२२–४–७०	सर्वानन्द पुत्र राजासिंह	..	..	—	—
			कृष्णानन्द पुत्र कपिल सिंह	..	..	—	—
			श्रीरंग सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह	..	..	—	—
			गजाधर पुत्र सूचित सिंह	..	..	—	—
९—गोन्हिया छपरा	..	८–४–७०	एकराम पुत्र लल्लन	..	..	—	—
१०—रामपुर कोड़हरा	..	६–५–७०	बैजनाथ पुत्र गोपीचन्द	..	..	२०.००	—
११—चकिया ..	..	८–५–७०	सोना सिंह पुत्र बृकेश सिंह	..	..	—	—
			सगरनाथ पुत्र चन्द्रीप	..	..	—	—
१२—पियरोटा ..	..	२५–५–७०	लक्ष्मण पुत्र लालजी	..	..	—	—
१३—बैरिया ..	..	५–६–७०	द्वारिका पुत्र रामवृक्ष	..	..	—	—
			जगधारी पुत्र रघुवीर	..	..	—	—
१४—तालिबापुर	..	२८–११–७०	शिवजन्म पुत्र परमेश्वर	..	..	—	—
			शिवपरसन पुत्र मीना	..	..	—	—
			अलगू पुत्र राधा ..	..	..	—	—
			बुद्धन पुत्र गोकुल ..	..	..	—	—

उत्तर प्रदेश
विधान सभा

अग्निकांडों की संख्या तथा ग्राम का नाम	अग्निकाड की तिथि	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	दी गयी सहायता	
			अहेतुक सहायता रु०	गृह निर्माण अनुदान रु०
		लक्षन पुत्र दहारी	—	—
		बब्बन पुत्र रामपरीक्षन	—	—
१५—कोटवा (चेता छपरा) ..	४–१२–७०	नरायन पुत्र धनी	२५.००	—
		शिवपूजन पुत्र अलियार	२५.००	—
		जमुना पुत्र टेंधन	२५.००	—
		बब्बन पुत्र गनेश	२५.००	—
		विश्वनाथ पुत्र शिवपूजन	२५.००	—
		बिहारी पुत्र जमुना	२५.००	—
		मौला पुत्र धनी	२५.००	—
१६—गंगापुर	२७–११–७०	रामनाथ पुत्र रामबीजकुंवर	—	—
१७—चांद दीयर ..	२८–१२–७०	भगेलू पुत्र ढोड़ा	—	—
१८—मधुबनी	१०–२–७१	शिव प्रसाद पुत्र धनी	२५.००	—
		बलेसर पुत्र धनी	२५.००	—
		श्रीकिसुन पुत्र सरजू	२५.००	—
		रजवतिया बेवा राम प्रसाद	२५.००	—
१९—हैवतपुर	२०–२–७१	पोढ़रिया स्त्री रामनारायन	२५.००	—
२०—बेलहरी	१९–३–७१	परमेश्वर पुत्र शिवगोविन्द	२०.००	—
		राम प्रसाद पुत्र जमुना	२०.००	—
		सीताराम पुत्र शिवगोविन्द	२०.००	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			रामेश्वर पुत्र जमुना	..	..	२०.००	—
			विश्वनाथ पुत्र जमुना	..	..	२०.००	—
२१—श्रीपालपुर	..	२०–३–७१	देवमुनी पुत्र शिवपूजन	..	..	२५.००	—
२२—मधुबना ..	..	२३–३–७१	भूमिदेव पुत्र जंगली	..	..	२५.००	—
					योग ..	१०२५.००	१८००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६० पर)

सीतापुर जिले में जनवरी, १९७० से मार्च, १९७१ तक नोटिस देकर सेवा मुक्त किये गये कलेक्शन अमीनों की सूची तथा उनकी निरन्तर सेवा अवधि ।

नाम	सेवा अवधि
१—श्री सुरेन्द्र सिंह	८ १/२ वर्ष
२—बैजनाथ सिंह	८ ,,
३—श्री विश्म्भर दयाल	५ ,,
४—श्री शिव बरन लाल	३ १/२ ,,
५—श्री बृजेन्द्र कुमार	२ ,,
६—श्री मनी राम	२ ,,
७—श्री राम सरन	२ ,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

विवरण

१—८६,७४७ रु० २८ पै० के गबन सम्बन्धी मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।

२—१, १८, ८७१ रु० ४७ पै० के गबन सम्बन्धी मामले पुलिस की जांच में हैं।

३—१८, ६०७ रु० २३ पै० के गबन सम्बन्धी मामले विभागीय जांच में हैं।

४—२८,४४२-६४ अपहरित धनराशि पर सालसी कार्यवाही की गई और विभागीय प्रयासों द्वारा उपरोक्त धन में २१,८०६ रु० ६५ पै० वसूल किया गया है।

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

संलग्नक

वर्ष	बकाया धनराशि	समय (कितना पुराना)
१९६२-६३	१०२१.९३	८
१९६३-६४	१९८२.५५	७
१९६४-६५	१२३०.६२	६
१९६५-६६	६००.००	५
१९६६-६७	५२०.००	४
१९६७-६८	१८४०.००	३
१९६८-६९	७१११७.१०	२
१९६९-७०	३३६१३.४५	१
	१११९२५.६५	

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये ता० प्र० ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६५ पर)

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जिले का नाम
१	२	३
१	श्री महेन्द्र सिंह	देहरादून
२	,, मुरारी लाल जाटव (ii)	आगरा
३	,, ओम प्रकाश पाराशर	बरेली
४	,, छत्रपाल सिंह	बिजनौर
५	,, जगदीश प्रसाद टमटा	रामपुर
६	,, सतीश चन्द्र सोनकर	मिर्जापुर
७	कु० रामकली कनौजिया	शाहजहांपुर
८	श्री गब्बू प्रसाद	बस्ती
९	,, भारती भूषण	सीतापुर
१०	,, महेन्द्र कुमार[1]	बाराबंकी
११	,, गंगादास पिपल	एटा
१२	,, उदय सिंह सरोज	बांदा
१३	,, श्रीकृष्ण	अल्मोड़ा

परिशिष्ट 'ज'

(देखिये ता० प्र० ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

अप्रैल, मई, १९७१ में असामयिक वर्षा से अधिक प्रभावित जिलों की सूची

१—गोरखपुर
२—बहराइच
३—बस्ती
४—गोंडा
५—देवरिया
६—सीतापुर
७—हरदोई
८—आजमगढ़
९—बाराबंकी
१०—फैजाबाद
११—खीरी
१२—शाहजहांपुर
१३—जौनपुर
१४—बलिया
१५—गाजीपुर
१६—उन्नाव
१७—कानपुर
१८—प्रतापगढ़
१९—इलाहाबाद
२०—बरेली
२१—सुल्तानपुर
२२—रायबरेली
२३—वाराणसी
२४—पीलीभीत
२५—फर्रुखाबाद
२६—एटा
२७—बुलन्दशहर
२८—इटावा
२९—पिथौरागढ़
३०—मेरठ
३१—अलीगढ़
३२—आगरा
३३—बांदा
३४—चमोली
३५—मिर्जापुर
३६—नैनीताल
३७—लखनऊ ।

अनुसूची 'झ'

(देखिये अता० प्र० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

बस्ती जिले के परगना नगर पूर्व के गांवों में अतिरिक्त घोषित भूमि का विवरण

क्रम-सं०	गांव का नाम	अतिरिक्त घोषित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	अगौना	०—३१
२	ताल चन्दो	७—४६
३	आसपुर	०—२६
४	कोइलपुरा	०—०२
५	रैकवार	०—०७
६	अवस्थीपुर	०—१६
७	बबुरिहिया	०—३०
८	गंगापुर	०—६½
९	बंजरिया	०—०६
१०	कटरा खुर्द	१—६८
११	मझरिया	०—१०
१२	गड़वल	०—१२
१३	बड़हरा	०—१०
१४	कलबारी मुस्तहकम	०—१३
१५	तेंदुई	०—६०
१६	कन्हरिया	०—३८
१७	कुसौरा	०—४६
१८	चौबेपुर	०—६६
१९	नगहरा	०—१२
२०	खुटना	०—३०
२१	करहली बुजुर्ग	०—५०
२२	अमहट	११—८७
२३	महुआपार खुर्द	११—१६
२४	आमा	२—८०
२५	बारहगत्तर	२२—२०
२६	बलआ उर्फ शुकुलपुर	२—६८
२७	रखौना	०—२७
	योग ..	६५—११

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७० पर)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	तहसील का नाम
१	श्री राम कुमार यादव	सदर
२	श्री मूल चन्द पांडे	,,
३	श्री दया शंकर पांडे	,,
४	श्री त्रिलोकी लाल	,,
५	श्री सत्यजीत यादव	,,
६	श्री शिव पूजन राय	,,
७	श्री चन्द्र वदन सिंह	,,
८	श्री कमलापति मिश्र	,,
९	श्री रूपा शंकर सिंह	,,
१०	श्री राजाराम दुबे	फूलपुर
११	श्री ब्रह्मदेव पांडे	,,
१२	श्री बांके बिहारी सिंह	,,
१३	श्री कैलाश नारायण पांडे	,,
१४	श्री चन्द्र बली यादव	,,
१५	श्री गंगा सिंह	,,
१६	श्री विजय प्रताप सिंह	,,
१७	श्री उमा शंकर राय	,,
१८	श्री राम कुमार यादव	,,
१९	श्री राम सुभग सिंह	,,
२०	श्री वीर बल यादव	,,
२१	श्री पलक धारी सिंह	,,
२२	श्री राम सागर सिंह	सगड़ी
२३	श्री कालिका प्रसाद	,,
२४	श्री राम सिंह	,,
२५	श्री सत्यनारायण मिश्र	,,
२६	श्री राम सूरत सिंह	मोहम्मदाबाद
२७	श्री शिव पूजन यादव	,,
२८	श्री मुसाफिर राम	,,
२९	श्री हरिहर राय	,,
३०	श्री निसार अहमद	,,
३१	श्री बृजवासी सिंह	घोसी
३२	श्री सुरेश प्रसाद यादव	,,
३३	श्री राम सुभ राय	,,
३४	श्री राम नाथ मौर्य	,,
३५	श्री राम विलास सिंह	लालगंज
३६	श्री शिव शंकर सिंह	,,

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११६ एल०ए०—१६७१-८-४५।